[2022] 12 एस. सी. आर 391

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान

वी.

नवाब काज़िम अली खान

(2020 की सिविल अपील संख्या 104)

नवंबर 07,2022

[अजय रस्तोगी और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भारत का संविधान, 1950-Art.173 (b)-राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता का उल्लंघन-राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु मानदंड-जन्म तिथि में विसंगति-प्रमाण का बोझ-सार्वजनिक दस्तावेज-संभावित मूल्य-दो अलग-अलग स्थानों पर और दो अलग-अलग तिथियों पर जन्म तिथि दिखाने वाले अपीलार्थी के दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्र, अर्थात्, एक रामपुर में 01.01.1993 पर और दूसरा 30.09.1990 पर।

लखनऊ चुनाव जनवरी-मार्च 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए हुए-अपीलार्थी को स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर से निर्वाचित घोषित किया गया-प्रत्यर्थी चुनाव याचिकाकर्ता ने अपीलार्थी के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी कि वह 01.01.1993 पर पैदा हुआ था और इसलिए जब उसने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उसकी उम्र 25 वर्ष से कम थी, और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था-खंडन में, अपीलार्थी ने अपनी जन्म तिथि 30.09.1990 होने का दावा किया-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया और उसके चुनाव को रद्द कर दिया-आयोजित (अजय रस्तोगी, जे के अनुसार): जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी पक्षकार की जानकारी में होता है, तो उसे साबित करने का भार उस पक्षकार पर होता है-"विशेष रूप से" शब्द का अर्थ है ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति के ज्ञान में पूर्व-विशिष्ट या असाधारण रूप से होते हैं-यह नियम तब लागू नहीं हो सकता जब तथ्य ऐसा हो कि पक्षकार के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी जाना जा सके-तत्काल मामले में, प्रत्यर्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य से स्थापित किया जो अपीलार्थी से संबंधित है कि, पहले दिन से ही अपीलार्थी ने अपनी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 के रूप में न केवल अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में बल्कि न्यायालय में भी दिखाई है।

वर्ष 2012 में नगर पालिका, रामपुर से प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र यह तभी संभव हो सकता था जब संबंधित

नगर पालिका, रामपुर के कार्यालय में सक्षम प्राधिकारी के पास दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध था-चूंकि दस्तावेज स्वयं अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर लोक अधिकारियों के कार्यालय से जारी किए गए थे, इसलिए पर्याप्त थे।

[2022] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रोबेटिव मान, आवश्यकतानुसार यू / साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 -

बस।

क्योंकि उसी को बाद में अपीलार्थी द्वारा रद्द कर दिया गया था, यह हो सकता है

अपने साक्ष्य मूल्य को न खोएं-अपीलार्थी की जन्म तिथि

उनके रिकॉर्ड में 1 जनवरी, 1993 है और केवल वर्ष 2015 में जब वह सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो गए, डी. डब्ल्यू.-5 उनकी माँ,

नगर निगम, लखनऊ के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया

पहली बार 17 जनवरी, 2015 को यह दावा करते हुए कि अपीलार्थी का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था-यू/निर्धारित प्रक्रिया एस. 13 (3)

नगर निगम में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम, 1969 का पालन नहीं किया गया।

21 तारीख को जन्म तिथि का नया प्रमाण पत्र जारी करते हुए लखनऊ

जनवरी, 2015-कोई संभावित मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता था

क्वीन मैरी अस्पताल से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य,

लखनऊ, एक नींव के रूप में जिस पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था

21 जनवरी 2015 को नगर निगम, लखनऊ द्वारा-विवादित

तदनुसार उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखा गया-आयोजित (प्रति बी. वी. नागरत्ना, जे.) (सहमत): एस के अनुसार। 101 , साबित करने का बोझ

दस्तावेज़ केवल वादी पर होते हैं क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा उस व्यक्ति पर होती है एक प्रस्ताव या तथ्य का दावा करना-एक बार जब वादी छूट देता है

साबित करने का प्रारंभिक बोझ और एक ऐसा मामला बनाता है जो उसे अधिकार देता है

राहत, एस के संदर्भ में। 102 , साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादियों पर डाल दी जाती है

वे परिस्थितियाँ जो राहत के वादी को अयोग्य ठहरा देंगी

- हालांकि एक बार जब सबूत का नेतृत्व प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा किया जाता है,

जिम्मेदारी के अमूर्त विचार जगह और सच्चाई से बाहर हैं या

अन्यथा हमेशा साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए पार्टियाँ-एस। 106 सामान्य नियम के लिए एक अपवाद है और यह निर्धारित करता है

कि जब कोई तथ्य साबित किया जाना है तो विशेष रूप से ज्ञान के भीतर है

एक पार्टी, यह उसे साबित करने के लिए है-एक चुनाव याचिका में, प्रारंभिक लौटने वाले उम्मीदवार की उम्र के निर्धारण को साबित करने का बोझ है

हालाँकि, याचिकाकर्ता पर तथ्यों को साबित करने का बोझ होता है

भारी मात्रा में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, अपीलार्थी ने इस तथ्य को साबित करने में असमर्थ कि उनका जन्म 30.09.1990 पर हुआ था--

नतीजतन, दाखिल करने के समय उनकी आयु 25 वर्ष नहीं थी।

साक्ष्य अधिनियम, 1972 को दरकिनार कर दें। 101 106, 35 और 21 तक - जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 - एस. 13 (3)-यू. पी.

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली

खान

जन्म और मृत्यु नियम, 2002 का पंजीकरण। 9 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951। 15 और 116 ए। साक्ष्य अधिनियम, 1972-पासपोर्ट और वीजा-स्वीकार किए गए दस्तावेजों का साक्ष्य मूल्य क्या सूचना में दर्ज की गई है

पासपोर्ट आवेदन इस तरह के आवेदन की सामग्री के प्रमाण के रूप में होगा, जिसमें उसमें दर्ज की गई जन्म तिथि और स्थान भी शामिल होगा।

आयोजित (प्रति बी. वी. नागरत्ना, जे.): पासपोर्ट कार्यालय जैसे सरकारी प्रतिष्ठान या कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के साथ बहुत बड़ा साक्ष्य मूल्य संलग्न किया जाना चाहिए और इस तरह के आवेदन में दर्ज किए गए विवरण, उसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों के साथ, यह समझा जाना चाहिए कि हस्ताक्षर करने वाले आवेदक द्वारा निविदा दी गई है।

आवेदन पत्र इस प्रकार स्वीकार करता है कि प्रस्तुत की गई जानकारी

इसमें सच्चाई और सच्चाई है और जहाँ तक उसकी जानकारी है-वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है कि उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 थी और जन्म स्थान रामपुर था, दिनांकित 06.07.2012 आवेदन पत्र में, अपीलार्थी के लिए उपरोक्त स्पष्ट स्वीकारोक्ति से बाद में फिर से दाखिल करने के लिए खुला नहीं था और

यह तर्क देते हुए कि वह इस बात से अनजान था कि कुछ दस्तावेजों में जन्म की 'गलत' तारीख दर्ज की गई थी-दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए

प्रत्यर्थी द्वारा चुनाव याचिकाकर्ता का ठोस और संभावित मूल्य है ऐसा इसलिए है क्योंकि उक्त दस्तावेज अपीलार्थी के स्वीकृत दस्तावेजों के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा स्वयं किए गए प्रवेश के अनुरूप हैं।

साक्ष्य-सार्वजनिक दस्तावेज-वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना बनाए गए दस्तावेजों का संभावित मूल्य-चाहे जन्म

नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21.01.2015 पर जारी किया गया प्रमाण पत्र एक वैध प्रमाण था-आयोजित (प्रति बीवी नागरत्ना, जे.): नगर निगम लखनऊ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र एस के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना था। 13 जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969। 13 (3) 1969 के अधिनियम और आर। 9 उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 का प्रावधान है कि कोई भी जन्म

या मृत्यु जो इसके एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं की गई थी घटना, केवल एक द्वारा किए गए आदेश पर पंजीकृत किया जाएगा

जन्म और मृत्यु की शुद्धता की पुष्टि करने के बाद प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट-वर्तमान मामले में, नगर निगम, लखनऊ को अपीलार्थी के जन्म को उस तारीख से पच्चीस साल बाद पंजीकृत करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिस दिन उसे जन्म प्रमाण पत्र जारी करके [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21.01.2015 उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना

यू/एस की आवश्यकता है। 13 (3) 1969 के अधिनियम, आर/डब्ल्यू आर। 9 (3) , 2002 नियम

इसके अलावा, आपातकालीन ओ. टी. जैसे अस्पताल के अभिलेखों का अवलोकन। (ई. ओ. टी.) रजिस्टर और प्रसूति श्रम कक्ष रजिस्टर (एम. एल. आर.) से पता चलता है कि वे विसंगतियों, पुनर्लेखन और तथ्यात्मक अशुद्धियों से भरे हुए हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-इसलिए, नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर कोई भार नहीं डाला जा सकता है।

लखनऊ 21.01.2015 पर जिसे अस्पताल द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के बल पर जारी किया गया है-जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 - एस. 13 (3)-यू. पी. का पंजीकरण जन्म और मृत्यु नियम, 2002 - आर. 9.

साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य-आयु निर्धारित करने के लिए अस्थि अस्थिकरण परीक्षण का साक्ष्य मूल्य-आयोजित (प्रति बी. वी. नागरत्ना, जे.): ऑसिफिकेशन टेस्ट को केवल उम्र के निर्णायक प्रमाण के रूप में निर्भर नहीं किया जा सकता है-उम्र निर्धारित करने के लिए सामान्य नियम यह है कि यह दो साल से अधिक या कम हो सकता है और किसी व्यक्ति की जन्म तिथि का निर्धारण रिकॉर्ड पर सामग्री और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना के आधार पर किया जाना है-ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट का उपयोग, अधिक से अधिक, अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों, मौखिक या दस्तावेजी की पुष्टि करने के लिए किया जा सकता है।

पहचान के साक्ष्य दस्तावेज-जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में आधार कार्ड, मतदाता आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस की प्रासंगिकता-आयोजित (प्रति बी. वी. नागरत्ना, जे.): आधार कार्ड पहचान का एक साधन है न कि जन्म तिथि का प्रमाण-तथ्यों पर, आधार कार्ड, मतदाता आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस निर्णायक रूप से नहीं थे

यह स्थापित करें कि अपीलार्थी की आयु अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख या विचाराधीन विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख को पँचिश वर्ष से अधिक थी।

शब्द और वाक्यांश-"प्रमाण के बोझ" और "प्रमाण की जिम्मेदारी" के बीच का अंतर-समझाया गया।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

पकड़नाः

अजय रस्तोगी, जे।

1. जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी पक्ष की जानकारी में होता है, तो उसे साबित करने का भार उस पक्ष पर होता है। यह शब्द " विशेष रूप से "का अर्थ है ऐसे तथ्य जो पूर्व-विशिष्ट या असाधारण रूप से एम. ओ. एच. डी. हैं।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली

खान

एक व्यक्ति के ज्ञान के भीतर। यह सच है कि यह तब लागू नहीं हो सकता जब तथ्य ऐसा हो कि पक्ष के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी जाना जा सके। यह नियम सबूत के बोझ के नियम का एक अपवाद है। इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति किसी के साथ व्यवहार करता है

अधिनियम के चरित्र और परिस्थितियों से पता चलता है कि इरादे के अलावा, इरादे को साबित करने का बोझ उस पर है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाना है जो न्याय को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है और अंततः सत्य का पता लगाना, प्रबल होना आवश्यक है। [पैरा 19] [416 जी-एच; 417-ए] 2. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, कानून के संदर्भ में या व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड का एक रजिस्टर एक प्रासंगिक तथ्य होगा। से

अभिलेख पर साक्ष्य, प्रत्यर्थी दस्तावेजी साक्ष्य से जो अपीलार्थी से संबंधित है, यह स्थापित करने में सक्षम था कि पहले दिन से लगातार उसने अपनी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 को न केवल अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में बल्कि 28 जून, 2012 को जारी अपने द्वारा प्राप्त जन्म प्रमाण पत्र में भी दिखाई है। ए 80/1) नगर पालिका, रामपुर द्वारा उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 के रूप में जो केवल तभी संभव हो सकती थी जब प्रासंगिक

दस्तावेजी साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी के पास/नगर पालिका, रामपुर के कार्यालय में उपलब्ध था और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी ने अभिलेख पर स्थापित किया है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 है और यह तथ्य अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं था कि अभिलेख पर प्रत्यर्थी द्वारा रखे गए और उन पर भरोसा किए गए दस्तावेज सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक दस्तावेज हैं। [पैरा 21 और 28] [418-बी; 425-ई जी]

3. पाठ्यक्रम में अभिलेख पर रखे जाने से पहले अपीलार्थी के पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था

क्वीन मैरी अस्पताल से चुनाव याचिका, जिसे वर्ष 2015 में 30 सितंबर, 1990 का दोहरा जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक आधार बनाया गया था। इसे और स्पष्ट करने के लिए, क्वीन मैरी अस्पताल द्वारा 21 अप्रैल, 2015 (Ex.A37) को डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो 30 सितंबर, 1990 को DW. 5 के बच्चे की जन्म तिथि को दर्शाता है। इस दस्तावेज़ से यह स्पष्ट है कि 17 जनवरी, 2015 को, जिस तारीख को उनकी माँ (डी. डब्ल्यू. 5) द्वारा मुख्य स्वास्थ्य [2022] 12 एस. सी. आर. को संबोधित आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ, का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी डी. डब्ल्यू. 5 की अभिरक्षा में इस बात का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं था कि बच्चे का जन्म 30 सितंबर, 1990 को अस्पताल में हुआ था। [पैरा 34] [427-जी-एच; 428-ए-बी]

4. क्वीन मैरी अस्पताल से प्राप्त अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के अलावा, ऐसा प्रतीत होता है

कि ई. ओ. टी. रजिस्टर जहां अपीलार्थी की माँ डी. डब्ल्यू. 5 का नाम दिखाया गया है, प्रविष्टि आंशिक रूप से मिटाई गई प्रतीत होती है और डी. डब्ल्यू. 5 से संबंधित प्रविष्टि के अलावा बाकी पृष्ठ, पूरे दस्तावेज़ से कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है। [पैरा 41] [432-बी]

5. जब पूरा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष होता है, तो यह अच्छी तरह से तय हो जाता है कि दिए गए मामले में सबूत का बोझ महत्वहीन हो जाता है।

जब ऐसे दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य हों, तो मुकदमे से पहले बनाए गए दस्तावेज़ पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है। [पैरा 42] [432-सी]

6. तत्काल मामले में, अपीलार्थी का शैक्षणिक रिकॉर्ड लगातार अपीलार्थी की दर्ज की गई जन्म तिथि को इंगित करता है।

1 जनवरी, 1993 है और 17 जनवरी, 2015 से पहले अधिक विशिष्ट होने के लिए, सभी दस्तावेज जो सार्वजनिक अधिकारियों के हस्ताक्षर के तहत विभिन्न सार्वजनिक कार्यालयों से जारी किए गए थे, अपीलार्थी की जन्म तिथि पूरी तरह से 1 जनवरी, 1993 के रूप में दिखाई गई है और जैसा कि डी. डब्ल्यू. 5 (अपीलार्थी की मां) द्वारा कहा गया है और इसलिए अपीलार्थी (DW.10) भी अपना स्नातकोत्तर करने के बाद वह सक्रिय राजनीति में आना चाहता था, 17 जनवरी, 2015 को पहली बार नगर निगम, लखनऊ के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था ताकि क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ के आधार पर अपीलार्थी का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके और तथ्य यह है कि आवेदन के साथ कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य समर्थित नहीं था, सिवाय शपथ पत्र के। [पैरा 43]

7. यह भी एक सामान्य कानून है कि जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है और वह भी एक सामान्य प्रश्न और एम. ओ. एच. डी. के संदर्भ में है।

विशेष रूप से आयु के निर्धारण के लिए, जो विवाद का विषय है और जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो प्रमाण की जिम्मेदारी का प्रश्न अकादमिक हो जाता है। तत्काल मामले में, वर्ष 2012 में नगर पालिका, रामपुर द्वारा जारी किए गए दस्तावेज,

1 जनवरी, 1993 के रूप में दर्ज जन्म तिथि को स्पष्ट रूप से इंगित करें और जो दसवीं कक्षा से उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड द्वारा विधिवत समर्थित है।

उन सभी चरणों में जो केवल अपीलार्थी के अपने हस्ताक्षरों के तहत या अपीलार्थी के अधिकार के तहत उत्पन्न किए गए थे और इस पर किसी भी तरह से विवाद नहीं किया जा सकता था। केवल इसलिए कि इसे बाद में अपीलार्थी द्वारा रद्द कर दिया गया है, यह नहीं हो सकता है

अपने प्रमाणिक मूल्य को खो दें। [पैरा 46 और 47] [432-एफ-जी; 433-ए-बी]

8. जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी

अनुमति दी जाती है बशर्ते मजिस्ट्रेट से आदेश लेने और जन्म तिथि की शुद्धता साबित करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। हालाँकि अपीलार्थी का बचाव यह है कि चूंकि उसका नाम पहले से ही नगर निगम, लखनऊ के अभिलेखों में पंजीकृत था, इसलिए जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) लागू नहीं हो सकती है, लेकिन यह प्रस्तुति इस कारण से गलत प्रतीत होती है कि नगर पालिका, रामपुर द्वारा बनाए गए जन्म रिकॉर्ड के आधार पर,

के आदेश पर उन्हें जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था 28 जून, 2012 को सक्षम प्राधिकारी, और एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग नगर पालिकाओं (रामपुर/लखनऊ) में जन्म के दो अलग-अलग रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और दी गई स्थिति में, उनके द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीयता संलग्न नहीं की जा सकती है।

नगर निगम, लखनऊ। अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया, व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, अधिकारियों द्वारा अपनाई जानी थी।

21 जनवरी को उन्हें जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

2015 , जिसका वास्तव में सक्षम द्वारा पालन नहीं किया गया है

नगर निगम, लखनऊ द्वारा प्राधिकरण। [पैरा 48] [434-एच; 435-ए-डी]

9. तत्काल मामले में, अपीलार्थी की जन्म तिथि उसके अभिलेखों में 1 जनवरी, 1993 है और केवल

वर्ष 2015 में जब अपीलार्थी सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो गया, तो अपीलार्थी की माँ (डी. डब्ल्यू.-5) ने 17 जनवरी, 2015 को पहली बार एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि [2022] 12 एस. सी. आर.

अपीलार्थी का जन्म 30 सितंबर 1990 को हुआ था और उसे तुरंत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और तीन दिनों के भीतर नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21 जनवरी, 2015 को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसके समर्थन में, वृत्तचित्र

जिस साक्ष्य को अपीलार्थी ने क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ से प्राप्त रिकॉर्ड में एक आधार के रूप में रखा है, जिसके आधार पर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में नगर निगम, लखनऊ से आरोप लगाया गया है, नहीं इसके साथ संभावित मूल्य जोड़ा जा सकता था। [पैरा 49] [435-डी एफ]

बृज मोहन सिंह बनाम। प्रिया ब्रैट नारायण सिन्हा और अन्य [1965] 3 एससीआर 861; जोशना गौड़ा बनाम। वृंदावन गौड़ा और एक अन्य (2012) 5 एस. सी. सी. 634: [2012] 1 एस. सी. आर. 464; बिराद मल सिंघवी बनाम। आनंद पुरोहित (1988) सप. एससीसी 604: [1988] 2 पूरक। एससीआर 1; सुशील कुमार बनाम। राकेश कुमार (2003) 8 एस. सी. सी. 673 [2003] 4 पूरक। एससीआर 802; राकेश कुमार बनाम। सुनील कुमार (1999) 2 एस. सी. सी. 489 [1999] 1 एस. सी. आर. 470; उपदेश कुमार और अन्य बनाम। पृथ्वी सिंह और अन्य (2001) 2 एस. सी. सी. 524: [2001] 1 एस. सी. आर. 454; पंजाब राज्य बनाम मोहिंदर सिंह (2005) 3 एस. सी. सी. 702 [2005] 2 एस. सी. आर. 758; विष्णु उर्फ उंड्रिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2006) 1 एससीसी 283: [2005] 5 पूरक। एससीआर 474; सतपाल सिंह बनाम। हरियाणा राज्य (2010) 8 एससीसी 714: [2010] 9 एससीआर 50 और उत्तम राव

(2009) 13 एससीसी 131: [2009] 9 एस. सी. आर. 538-संदर्भित। बी. वी. नागरत्ना, जे. (सहमत)

काफी हद तक मुद्दे के सकारात्मक होने का दावा करता है न कि उस पक्ष पर जो इसे नकारता है, क्योंकि एक नकारात्मक आमतौर पर सबूत देने में असमर्थ होता है। किसी तथ्य को साबित करने का भार हमेशा व्यक्ति पर होता है। जो दावा करता है और जब तक इस तरह का बोझ नहीं उठाया जाता है, तब तक दूसरे पक्ष को अपना मामला साबित करने के लिए बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वह व्यक्ति जिस पर एम. ओ. एच. डी. का बोझ है।

अपना बोझ उठाने में सक्षम रहा है। हालांकि, उपरोक्त नियम इस सामान्य सिद्धांत के अधीन है कि स्वीकार की गई चीजों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यह सवाल कि क्या किसी पक्ष द्वारा एल. आई. एस. को सबूत का भार सौंपा गया है या नहीं, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि तथ्यों को स्वीकार किया जाता है या, यदि अन्यथा, पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई है तो जहाँ तक किसी न्यायालय को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचाने में सक्षम बनाने की बात है, यह तर्क देना व्यर्थ है कि जिस पक्ष पर सबूत का भार है, वह अभी भी प्रत्यक्ष सबूत पेश करने के लिए उत्तरदायी होगा। दस्तावेजों को साबित करने का बोझ केवल वादी पर है क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा व्यक्ति पर होती है

एक प्रस्ताव या तथ्य का दावा करना जो स्वयं स्पष्ट नहीं है। [पैरा 12.2,12.3 और 12.4] [447-ई-एच; 448-ए-बी]

2. इसके अलावा, सबूत के बोझ और सबूत की जिम्मेदारी के बीच एक आवश्यक अंतर है। सबूत का बोझ उस व्यक्ति पर पड़ता है जो

तथ्य को साबित करना पड़ता है और यह कभी नहीं बदलता है, दूसरी ओर सबूत की जिम्मेदारी बदलती है। साक्ष्य के मूल्यांकन में इस तरह की जिम्मेदारी का स्थानांतरण एक निरंतर प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए एक मुकदमे में, एक बार जब वादी उच्च स्तर की संभावना पैदा करने में सक्षम हो जाता है ताकि प्रतिवादी पर दायित्व स्थानांतरित किया जा सके, तो यह प्रतिवादी पर है कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और उसके अभाव में, वादी पर पड़े सबूत का भार निर्वहन किया गया माना जाएगा ताकि वादी के अधिकार का प्रमाण हो। [पैरा 12.5] [448-डी-ई] 3. धारा 106 धारा 101 में निर्धारित सामान्य नियम का एक अपवाद है, कि किसी तथ्य को साबित करने का भार उस पक्ष पर है जो इस मुद्दे के सकारात्मक होने का पर्याप्त रूप से दावा करता है। धारा 106 का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस कर्तव्य या बोझ से मुक्त करना नहीं है, लेकिन यह कहता है कि जब कोई तथ्य साबित किया जाना विशेष रूप से किसी पक्ष की जानकारी में होता है, तो उसे इसे साबित करना होता है। यह उन मामलों पर लागू होता है जहां तथ्य विशेष रूप से किसी पक्ष की जानकारी में होता है और

और कोई नहीं। धारा 106 में प्रयुक्त 'विशेष रूप से' अभिव्यक्ति का अर्थ है ऐसे तथ्य जो किसी के ज्ञान में विशिष्ट या असाधारण रूप से हैं। इसका मतलब है कि कुछ तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी रखने वाले पक्ष का कर्तव्य है कि वह गवाह के रूप में पेश हो और यदि वह गवाह के पास नहीं जाता है।

गवाह बॉक्स, उसके खिलाफ एक मजबूत धारणा है। एक चुनाव याचिका में, निर्धारण साबित करने के लिए प्रारंभिक बोझ

लौटने वाले उम्मीदवार की आयु याचिकाकर्ता पर निर्भर करती है, हालांकि, बोझ [2022] 12 एस. सी. आर.

प्रत्यर्थी अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को साबित करने के लिए झूठ बोलता है। [पैरा 12.10] [449-C-E] 4. पासपोर्ट कार्यालय जैसे सरकारी प्रतिष्ठान या कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के साथ बहुत बड़ा साक्ष्य मूल्य संलग्न किया जाना चाहिए और इस तरह के आवेदन में दर्ज विवरण, उसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों के साथ, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया समझा जाना चाहिए जो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करता है जिससे यह स्वीकार किया जाता है कि उसमें जमा की गई जानकारी सही और सही है और उसकी जानकारी के अनुसार है। इसमें सफल उम्मीदवार, दिनांक 06.07.2012 के आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 थी और जन्म स्थान रामपुर था, बाद के समय में यह दावा नहीं कर सकता कि वह वर्ष 2015 तक अनजान था, कि विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 थी और उसका जन्म स्थान लखनऊ था। यह तथ्य कि सफल उम्मीदवार ने नगर निगम, रामपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को स्वयं सत्यापित किया है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई है, यह स्थापित करेगा कि

सफल उम्मीदवार ने इस तरह की जानकारी के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए इस तरह के तथ्य को स्वीकार किया, स्वीकार किया और उस पर भरोसा करने की कोशिश की। इसलिए सफल उम्मीदवार के लिए यह खुला नहीं है कि वह बाद में उपरोक्त स्पष्ट प्रवेश और

5. 1969 के अधिनियम की धारा 13 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन किए बिना जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 1 जारी किया गया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 9 और 1969 अधिनियम की धारा 13 (3) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी जन्म

या मृत्यु जो इसकी घटना के एक वर्ष के भीतर दर्ज नहीं की गई थी, केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या उसके बाद प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश पर दर्ज की जाएगी। जन्म या मृत्यु की शुद्धता का सत्यापन करना और निर्धारित शुल्क का भुगतान करना। एमओएचडी के यू. पी. पंजीकरण का नियम 9 (3)।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली

खान

जिस तारीख को जारी करके उनका जन्म बताया गया था 21.01.2015 पर जन्म प्रमाण पत्र (उदा. पी2 पेपर नं. ए. 63/1) उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, जैसा कि नीचे आवश्यक है।

1969 के अधिनियम की धारा 13 (3), जिसे उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 9 (3) के साथ पढ़ा जाता है। जन्म.

प्रमाण पत्र (उदा. पी2 पेपर नं. ए 63/1) नगर निगम द्वारा जारी किया गया, लखनऊ, 21.01.2015 पर अमान्य था। [पैरा 15.4] [460-डी-एच]

6. नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी दिनांकित 21.01.2015 जन्म प्रमाण पत्र पर कोई वजन नहीं रखा जा सकता है, जिसे अस्पताल द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के आधार पर जारी किया गया है और संबंधित अस्पताल के रिकॉर्ड में हेरफेर और अंतर्वेशन द्वारा बनाया गया है। इस बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में कि जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि का आधार बनने वाली प्रासंगिक जन्म सूची अदालत के समक्ष पेश करने के लिए क्यों उपलब्ध नहीं थी, जन्म रजिस्टर के साथ कोई साक्ष्य मूल्य संलग्न नहीं किया जा सकता है। नतीजतन, जन्म प्रमाण पत्र दिनांकित 21.01.2015 , ऐसे दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ को वैध दस्तावेज़ नहीं माना जा सकता है। [पैरा 15.13] [463-A-C]

7. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 दिखाने वाला जन्म प्रमाण पत्र अभी भी था

सफल उम्मीदवार के पास दो जन्म प्रमाण पत्र थे जो दो अलग-अलग स्थानों पर और दो अलग-अलग तिथियों पर अपनी जन्म तिथि दिखाते थे, एक रामपुर में 01.01.1993 पर और दूसरा लखनऊ में 30.09.1990 पर, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि केवल एक जन्म प्रमाण पत्र वैध और सही था। उम्मीदवार की जन्म तिथि का संबंध है। रामपुर में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि को 01.01.1993 के रूप में दिखाने वाला प्रमाण पत्र सही प्रमाण पत्र है न कि बाद में वर्ष 2015 में प्राप्त प्रमाण पत्र। [पैरा 15.14] [463-सी-ई] [2022] 12 एस. सी. आर.

(एम. एल. आर.) रजिस्टर विसंगतियों, अधिलेखन और तथ्यात्मक अशुद्धियों से भरे हुए थे। ऐसे दोनों रजिस्टर नहीं थे क्वीन मैरी अस्पताल या किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित और सत्यापित नहीं थे। डी. डब्ल्यू. 3 की खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार, एकमात्र आधार जिस पर वह कह रही थी कि रजिस्टरों में प्रासंगिक प्रविष्टियां वास्तविक थीं, उसकी समझ पर था।

अस्पताल की कार्य प्रक्रियाएँ। यह रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों की वास्तविकता के बारे में बहुत अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से हेरफेर प्रतीत होते हैं। [पैरा 16.18] [468-F-H]

9. एक अस्थीकरण परीक्षण पर केवल इस रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है

एक व्यक्ति के जीवन के वर्ष। आयु निर्धारित करने के लिए सामान्य नियम यह है कि यह दो साल से अधिक या कम हो सकता है और किसी व्यक्ति की जन्म तिथि रिकॉर्ड पर सामग्री के आधार पर और पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की सराहना पर निर्धारित की जानी है। एक अस्थिकरण परीक्षण की रिपोर्ट का उपयोग अधिक से अधिक किया जा सकता है मौखिक या दस्तावेजी अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों की पुष्टि करें। फिर भी, उपरोक्त मामले पर भरोसा करते हुए, उच्च न्यायालय ने सही कहा था कि यदि सफल उम्मीदवार के मामले में दो साल (प्लस या माइनस) का मार्जिन फैक्टर लागू किया जाता है, तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वर्ष 2017 में सफल उम्मीदवार की आयु 24 वर्ष थी जो इंगित करेगी कि उसका जन्म वर्ष 1993 में हुआ था। उस पृष्ठभूमि में, एक अस्थिकरण परीक्षण के आधार पर सफल उम्मीदवार की दिनांकित चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट 27.01.2017

रिकॉर्ड पर प्रदान किए गए भारी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के बावजूद कहा गया तथ्य। वास्तव में, जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत किया गया डी. डब्ल्यू. द्वारा-5 निर्विवाद समय पर और जो उसके एम. ओ. एच. डी. का हिस्सा है।

परिणाम और अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं हो सकती है। इसी तरह, दसवीं कक्षा के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र और बारहवीं कक्षा के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र अपीलार्थी की जन्म तिथि को आज तक 01.01.1993 के रूप में इंगित करें, जो प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पहले के पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों के अनुरूप भी हैं। वास्तव में, अपीलकर्ता-सफल उम्मीदवार ने अपनी जन्म तिथि 01.01.1993 और अपने जन्म स्थान को रामपुर के रूप में दर्शाने वाले शैक्षणिक प्रमाण पत्रों पर भरोसा किया था, ताकि वह अपना अधिकार सुरक्षित कर सके।

पहले के पासपोर्ट और वीजा। [पैरा 20] [479-ए-एफ]

10.2 . इसके अलावा, सफल उम्मीदवार द्वारा लिया गया रुख कि जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सभी दस्तावेज दिनांकित हैं

28.06.2012 नगर पालिका परिषद, रामपुर के कार्यालय द्वारा जारी, 08.05.2015 पर शॉर्ट सर्किट के कारण जला दिए गए थे, यह सुझाव देगा कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई थी, नष्ट हो गया था और बाद में रद्द कर दिया गया था, संदिग्ध था।

10.3 . इसके अलावा, ई. ओ. टी. और एम. एल. आर. रजिस्टरों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि वे विसंगतियों, अति-लेखन और तथ्यात्मक अशुद्धियों से भरे हुए हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी दिनांकित 21.01.2015 जन्म प्रमाण पत्र पर कोई वजन नहीं रखा जा सकता है, जिसे अस्पताल द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के बल पर जारी किया गया है, जो स्वयं नहीं है 30.09.1990 पर अपीलार्थी के जन्म का संकेत देने वाली जन्म सूची के उत्पादन के अभाव में प्रामाणिक, और अस्पताल के रिकॉर्ड में हेरफेर और अंतर्वेशन द्वारा बनाया गया है। [पैरा 20] [480-ए-सी] [2022] 12 एस. सी. आर.

10.4 . ऑसिफिकेशन टेस्ट के परिणाम पर कोई भार नहीं डाला जा सकता है क्योंकि अन्य दस्तावेज जैसे मैट्रिक प्रमाण पत्र, नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साबित करते हैं कि ऐसे दस्तावेजों में दर्ज आयु और जन्म तिथि ऑसिफिकेशन टेस्ट के परिणाम के विपरीत है। [पैरा 20] [480-सी-डी]

10.5 . अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र, जो शक्ति के आधार पर जारी किया गया था

क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा क्रमशः 21.04.2015 और 21.01.2015 पर जारी किए गए डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों में से, सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि का प्रमाण 30.09.1990 नहीं है। [पैरा 20] [480-डी-ई]

बृज मोहन सिंह बनाम। प्रिया ब्रैट नारायण सिन्हा और अन्य। ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 282 [1965] 3 एस. सी. आर. 861; बिरादमल सिंघवी बनाम। आनंद पुरोहित ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1796: [1988] 2 पूरक। एससीआर 1; जोशना गौड़ा बनाम. वृंदावन गौड़ा (2012) 5 एससीसी 634 [2012] 1 एससीआर 464 और नरेंद्र सिंह बनाम। माला राम और ओआरएस। (1999) 8 एससीसी 198

प्रतिष्ठित।

मुकर्रब और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एस. सी. सी 210 [2016] 8 एस. सी. आर. 557; आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम। अरुल्मिगु विश्वेसरस्वामी और वी. पी. मंदिर ए. आई. आर. 2003 एस. सी. 4548: (2003) 8 एससीसी 752: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 450 और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम रतनानी (2009) 2 एस. सी. सी. 75: [2008] 17 एससीआर 1251-पर निर्भर।
पी. सी. पुरुषोत्तमा रेड्डी बनाम एस. पेरुमल (1972) 1 एससीसी 9: [1972] 2 एस. सी. आर. 646; राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह 1985 (पूरक) एस. सी. सी. 611 [1985] 2 पूरक। एस. सी. आर. 399; थिरू जॉन बनाम। निर्वाचन अधिकारी (1977) 3 एस. सी. सी. 540: [1977] 3 एस. सी. आर. 538; कलवा देवदत्तम बनाम। यूनियन ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 880: [1964] 3 एससीआर 191; सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार (2003) 8 एससीसी 673 [2003] 4 सप्लीमेंट। एससीआर 802 रानी चंद्र कुंवर बनाम। चौधरी नरपत

सिंह और ओआरएस। (1906) एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 26 और रॉबिन्स बनाम। नेशनल ट्रस्ट कंपनी 1927 ए. सी. 515-निर्दिष्ट।

एचडी। अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खानकानून संदर्भ

रस्तोगी का निर्णय,

जे.

1 एससीआर 470

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

9 एससीआर 538

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

3 एससीआर 861

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

2 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 464

4 पूरक। एससीआर 802

संदर्भित किया गया है

पैरा 14

1 एससीआर 454

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

पैरा 42

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर 758

5 पूरक। एससीआर 474

संदर्भित किया गया है

पैरा 42

संदर्भित किया गया है

9 एससीआर 50

पैरा 42

नागरत्न का निर्णय, जे।

2 पूरक। एससीआर 1

प्रतिष्ठित

पैरा 8.8

4 पूरक। एससीआर 802

संदर्भित किया गया है

पैरा 8.8

1 एससीआर 464

प्रतिष्ठित

पैरा 8.8

पैरा 8.9

3 एससीआर 861

प्रतिष्ठित

2 एससीआर 646

संदर्भित किया गया है

पैरा 9.7

उस पर भरोसा करें

| 8 एससीआर 557

पैरा 9.10

उस पर भरोसा करें

17 एससीआर 1251

पैरा 12.3

4 पूरक। एससीआर 450

उस पर भरोसा करें

पैरा 12.5

| 3 एससीआर 191

संदर्भित किया गया है

पैरा 12.7

3 एससीआर 538

संदर्भित किया गया है

पैरा 12.1

8 एससीसी 198

प्रतिष्ठित

पैरा 12.1

2 पूरक। एससीआर 399

संदर्भित किया गया है

12.1 [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.104

2017 की चुनाव याचिका संख्या 8 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के दिनांक 16.12.2019 के निर्णय और आदेश से। कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , एम. निजाम पाशा, जुबैर खान, आदित्य समद्दर, सुश्री रूपाली, सैमुअल, योजना सिंह, कमल मोहन गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

आदिल सिंह बोपाराए, हर्ष अंदानी, गुरलाभ एस. भाइका सिंधु, सुमेर सिंह बोपाराए, तुषार अग्रवाल, सिद्धांत सारस्वत, अमरजीत

सिंह, प्रतीक आहूजा, बी. एन. दुबे, कुमार गौरव, सुश्री रितु रेनीवाल, विशाल कुमार सिंह, रॉबिन खोखर, अशोक के. महाजन, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

रास्टोगी, जे।

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 116 ए के तहत तत्काल अपील दायर की गई है, जिसमें इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 16 दिसंबर, 2019 के फैसले और आदेश पर जोर दिया गया है, जिसमें जिला रामपुर के 34, सुआर विधानसभा क्षेत्र से लौटे उम्मीदवार (अपीलार्थी) के चुनाव को अमान्य करार दिया गया है।

फलस्वरूप अलग कर दिया गया।

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद "अधिनियम 1951" के रूप में संदर्भित) के तहत अधिसूचना को 34, स्वार, जिला रामपुर निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा का चुनाव कराने के लिए अधिसूचित किया गया था। निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त के लिए चुनाव आयोजित करने के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी -

निर्वाचन क्षेत्र। कार्यक्रम की अनुसूची के अनुसार, अपीलार्थी और प्रथम प्रतिवादी ने अन्य लोगों के साथ अपने नामांकन पत्र दाखिल किए।

नामांकन की जांच 28 जनवरी, 2017 को हुई थी।

3. नामांकन पत्रों की जांच और वापस लेने के बाद, अपीलार्थी और चुनाव याचिकाकर्ता सहित छह अन्य थे उम्मीदवार जो चुनाव के लिए मैदान में बने रहे। यह ध्यान दिया जा सकता है कि निर्वाचन अधिकारी के समक्ष, प्रत्यर्थी (चुनाव याचिकाकर्ता) ने अपीलार्थी के खिलाफ एक आपत्ति दायर करते हुए आरोप लगाया कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है और इसलिए, एम. ओ. एच. डी. को देखते हुए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

संविधान का अनुच्छेद 173 (बी)। आपत्ति को निर्वाचन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया और तदनुसार चुनाव के अनुसार हुआ अनुसूची, जिसमें अपीलार्थी और प्रतिवादी (चुनाव याचिकाकर्ता) ने अन्य लोगों के साथ चुनाव लड़ा। चुनाव का परिणाम 11 मार्च, 2017 को घोषित किया गया था जिसमें अपीलार्थी ने सबसे अधिक मत प्राप्त किए थे और

निर्वाचित घोषित किया गया।

4. प्रत्यर्थी ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र आधार पर चुनाव याचिका दायर की कि अपीलार्थी था

संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) को देखते हुए वे विधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के योग्य नहीं थे क्योंकि जब उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनकी आयु 25 वर्ष से कम थी और जिस दिन उन्होंने जिला रामपुर के 34, स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

5. चुनाव याचिका में, प्रतिवादी (चुनाव याचिकाकर्ता) ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि अपीलार्थी की उम्र के संबंध में आपत्ति थी

निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पहली बार उनके द्वारा उठाया गया, लेकिन अभिलेख पर नंगे दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना किए बिना और अपीलार्थी की जन्म तिथि 1 जनवरी होने के बावजूद इसे खारिज कर दिया गया। 1993 , केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से संबद्ध सेंट पॉल स्कूल, रामपुर से 2007 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और 2009 में इंटरमीडिएट परीक्षा से उनके माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र सहित उनके शैक्षणिक अभिलेखों में जो दर्ज किया गया था, निर्वाचन अधिकारी उस पर विचार करने में विफल रहे और उनके द्वारा उठाई गई आपत्ति को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया।

6. चुनाव याचिका में निम्नलिखित आपत्तियां उठाई गई थीं और बेहतर सराहना के लिए उन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

((i)

कि अपीलार्थी का जन्म 01.01.1993 पर हुआ था और इसलिए, जांच के नामांकन की तारीख के अनुसार, अपीलार्थी (मोहम्मद. अब्दुल्ला आजम खान) की आयु 25 वर्ष से कम थी।

((ख)

वर्ष 2007 में माध्यमिक विद्यालय (कक्षा-X) परीक्षा में। जब वे माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में शामिल हुए, तो उनका रोल नंबर 5260139 था। उन्होंने सेंट पॉल स्कूल, रामपुर से पढ़ाई की, जो केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध था। माध्यमिक शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

(iii) कि अपीलार्थी (मो. अब्दुल्ला आज़म खान) ने स्वयं प्रवेश पत्र और परीक्षा प्रपत्र भरा, और [2022] 12 एस. सी. आर. में।

पूर्ववर्ती न्यायालय की रिपोर्ट

उनकी अपनी लिखावट में उनकी जन्म तिथि का उल्लेख किया गया है 01.01.1993 . अपीलार्थी की उपस्थिति और परीक्षा का अभिलेख (मोहम्मद। अब्दुल्ला आजम खान) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के पास उपलब्ध हैं।

कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा-10) का परिणाम जारी किया है जिसमें अपीलार्थी (मोहम्मद) की अनुक्रमांक, नाम, माता का नाम और पिता का नाम और जन्म तिथि है। अब्दुल्ला आजम खान)। प्रमाण पत्र के अनुसार, अपीलार्थी की मां तजीन फातिमा हैं और उनके पिता मोहम्मद हैं। आजम खान। अपीलार्थी (मोहम्मद) की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा-10) परिणाम, 2007 के प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि। अब्दुल्ला आज़म खान) 01.01.1993 है। माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा-10) के प्रमाण पत्र की एक प्रति अपीलार्थी के परिणाम (मो. अब्दुल्ला आजम खान) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त इस याचिका के अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न और चिह्नित है।

कि अपीलार्थी (मो. अब्दुल्ला आजम खान) वर्ष 2009 में सेंट पॉल कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा में उपस्थित हुए।

स्कूल, रामपुर। उक्त पेपर और रिकॉर्ड सेंट पॉल स्कूल, रामपुर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई के पास उपलब्ध हैं।

कि चुनाव याचिकाकर्ता ने प्रवेश प्रपत्र, परीक्षा प्रपत्र और दस्तावेज प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास किए हैं

अपीलार्थी की मध्यवर्ती परीक्षा से संबंधित (मो. अब्दुल्ला आजम खान), लेकिन वही प्राप्त नहीं कर पाए हैं। चुनाव याचिकाकर्ता केवल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपीलार्थी के माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (दसवीं कक्षा) के परिणामों का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सक्षम रहा है।

कि अपीलार्थी (मो. अब्दुल्ला आज़म खान) इसके बाद अपने स्नातकोत्तर के लिए गलगोटियास विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में शामिल हो गए।

डिग्री जहाँ उन्होंने प्रवेश के लिए फॉर्म भरा है

समान जन्म तिथि (01.01.1993)। अपीलार्थी का अभिलेख (मो. अब्दुल्ला आजम खान) अपनी मास्टर डिग्री के संबंध में गलगोटियास विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा में उपलब्ध हैं।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

7. इसके बाद, अपनी मास्टर डिग्री में, जिसे उन्होंने गलगोटियास विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से पास किया, जिसमें उनका पासपोर्ट और अन्य शामिल थे।

नामांकन पत्रों के साथ संलग्न दस्तावेज जो सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, लगातार संकेत देते हैं कि उनका जन्म 1 जनवरी को हुआ था।

1993 .

8. इसके अलावा, प्रत्यर्थी नं. 1 उच्च न्यायालय के समक्ष यह था कि अपीलार्थी/लौटाया गया उम्मीदवार किसी बहुत ही उच्च न्यायालय से संबंधित है।

प्रभावशाली परिवार और उनके पिता 2012 से 2017 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री (शहरी योजना, विकास और स्थानीय निकाय) थे और उनके स्थानीय प्रभाव और प्रभारी मंत्री होने के कारण, वर्ष 2015 में उनके द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य बनाए गए हैं, जिसे बाद में आधार और नींव बनाया गया था।

अपीलार्थी की जन्म तिथि को उचित ठहराने और उसका समर्थन करने के लिए, जिसमें, जैसा कि आरोप लगाया गया है, स्कूल के अभिलेखों में गलत तरीके से दर्ज किया गया था और तथ्य यह है कि क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ द्वारा बनाए गए अभिलेख, जो इंगित करते हैं कि अपीलार्थी का जन्म 30 सितंबर, 1990 को हुआ था, एक बाद का विकास है और यह समर्थन करने के लिए वर्ष 2015 में बनाया गया था कि -

अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) की आवश्यकता के संदर्भ में वर्ष 2017 में चुनाव लड़ने के लिए योग्य था।

9. इसके विपरीत, लिखित बयान में अपीलकर्ता एक विशिष्ट मामले के साथ आया कि जिन दस्तावेजों पर चुनाव याचिकाकर्ता के पास है

स्कूल/शैक्षणिक आधार पर जन्म तिथि के संबंध में निर्भर अभिलेख, यद्यपि उक्त दस्तावेज अपीलार्थी के हैं, लेकिन उनकी जन्म तिथि गलत और अनजाने में 1 जनवरी, 1993 के रूप में पंजीकृत है।

जैसा कि यह उनके पारिवारिक मित्रों में से एक, शाहजेब खान, डी. डब्ल्यू. 9 द्वारा दर्ज किया गया था, जिन्होंने अपीलार्थी को सेंट पॉल स्कूल, सिविल लाइन्स, रामपुर में भर्ती कराया था, जहां उनकी जन्म तिथि गलत और अनजाने में 1 जनवरी, 1993 के रूप में दर्ज की गई थी और यह गलत तरीके से उनके पूरे लेख में दिखाया गया था।

रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून, 2012 को 1 जनवरी, 1993 को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र में दिखाई देने वाली जन्म तिथि सहित उनकी परीक्षा और उच्च शिक्षा में भी, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। उनके अनुसार, नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21 जनवरी, 2015 को जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र क्वीन द्वारा रखे गए रिकॉर्ड पर आधारित है

मैरी अस्पताल, लखनऊ, जहाँ उनका जन्म हुआ था, अस्पताल के रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है।

10. अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष एक विशिष्ट मामले के साथ आया कि उसकी जन्म तिथि उसके 1 जनवरी, [2022] 12 एस. सी. आर. के शैक्षणिक अभिलेख में परिलक्षित होती है।

अपीलार्थी और तदनुसार उसकी आयु उस दिन 25 वर्ष से अधिक थी जब वर्ष 2017 में जिला रामपुर के 34, स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव के लिए उसके द्वारा नामांकन पत्र भरा गया था और उस तारीख को अपीलार्थी ने जिला रामपुर के 34, स्वार विधानसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ने के लिए संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) के अनुसार 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी। 11. दोनों पक्षों ने अपने-अपने बचाव के समर्थन में वृत्तचित्र के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। उच्च न्यायालय ने दस्तावेजी के साथ-साथ अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य की उचित सराहना करने और पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर ध्यान देने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख यानी 25 जनवरी, 2017 को, नामांकन पत्रों की जांच की तारीख यानी 28 जनवरी, 2017 और 34 के परिणाम की घोषणा की तारीख को, जिला रामपुर के स्वार विधानसभा क्षेत्र यानी 11 मार्च, 2017, अपीलकर्ता की आयु 25 वर्ष से कम थी और इस प्रकार वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था।

संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) के संदर्भ में चुनाव और अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित किया गया और परिणामस्वरूप इसे 16 दिसंबर, 2019 के विवादित फैसले द्वारा रद्द कर दिया गया।

अपीलार्थी की प्रस्तुतियाँ

12. अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने प्रस्तुत किया कि नामांकन पत्रों की वैधता का एक वैधानिक अनुमान है जैसा कि अधिसूचना की पुस्तिका के अध्याय VI के पैरा 6 के तहत परिलक्षित होता है।

निर्वाचन अधिकारी, जैसा कि इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राकेश कुमार बनाम राकेश कुमार मामले में अभिनिर्धारित किया था। सुनील कुमार 1 (पैरा 18) और बाद में उत्तम राव शिवदास जनकर बनाम में विचार किया गया। रंजीतसिंह विजयसिंह मोहिते पाटिल 2 (पैरा 35,40 और 44) और आगे प्रस्तुत करते हैं कि स्कूल/शैक्षणिक रिकॉर्ड जिन पर चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा निर्भरता रखी गई थी और जिनका संज्ञान उच्च न्यायालय द्वारा विवादित फैसले के तहत लिया गया है, अपीलार्थी द्वारा विवादित नहीं था, लेकिन अपीलार्थी ने दस्तावेज़ की सामग्री पर विवाद किया जिस पर प्रतिवादी ने पूरे समय भरोसा किया था।

1 (1999) 2 एससीसी 489 2 (2009) 13 एससीसी 131 एमओएचडी।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

और यह अपीलार्थी द्वारा चुनाव याचिका में दायर लिखित बयान से परिलक्षित हो सकता है और यह अपीलार्थी का विशिष्ट मामला था कि उसके स्कूल के अभिलेखों में दर्ज जन्म तिथि अर्थात 1 जनवरी, 1993

गलत और गलत तरीके से दर्ज किया गया है, वास्तव में, उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को हुआ था और उनकी जन्म तिथि का समर्थन करने के लिए, पर्याप्त प्राथमिक वृत्तचित्र

सबूत को रिकॉर्ड में रखा गया था जो क्लीन मैरी अस्पताल, लखनऊ के प्रमाणित रिकॉर्ड से संबंधित है, जो एक सरकारी अस्पताल है और जिसके बाद सक्षम प्राधिकारी यानी नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21 जनवरी, 2015 को जारी जन्म प्रमाण पत्र है।

13. इसका और समर्थन करने के लिए, विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि एक बार अपीलार्थी से संबंधित दस्तावेज़ की सामग्री विवादित हो गई थी

विशेष रूप से अपने लिखित बयान में, यह साबित करने का भार चुनाव याचिकाकर्ता पर था कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 1 जनवरी थी।

1993 जिस पर कोई प्रयास नहीं किया गया था और जिस आधार पर उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी पर सबूत का भार स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ा है, वह साक्ष्य अधिनियम के सिद्धांतों की अवहेलना है और जैसा कि आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति द्वारा साबित किया जाना है जो साक्ष्य अधिनियम के तहत अभिवचन करता है और

आगे निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गईं:

अपीलार्थी ने अपने नामांकन में अपनी जन्म तिथि बताई है।

((i)

सहायक दस्तावेजों के साथ 30 सितंबर, 1990 के कागजात। इसलिए, सबूत का भार चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी पर है कि वह स्वीकार्य और विश्वसनीय सबूत पेश करके अनुमान का खंडन करे जो संभावनाओं की प्रधानता के मानक को पूरा करता है और चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी रिकॉर्ड पर कोई कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत पेश करने में विफल रहा है ताकि वह अपना बोझ निभा सके।

सबूत के लिए।
प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता कोई भी प्रस्तुत करने में विफल रहा है।

((ख)

यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष और स्वीकार्य साक्ष्य कि अपीलार्थी

उनका जन्म 1 जनवरी, 1993 को हुआ था और उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को नहीं हुआ था और उनके समर्थन में, प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत एकमात्र दस्तावेज -

दसवीं कक्षा की परीक्षा जो उम्र के प्रमाण के लिए दस्तावेज नहीं है।

द्वारा कोई अन्य दस्तावेज या गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया था

(iii)

जन्म की एक वैकल्पिक तिथि साबित करने के लिए प्रतिवादी

अपीलार्थी, या इस तथ्य को साबित करने के लिए कि नामांकन पत्रों की जांच के समय उसकी आयु 25 वर्ष की नहीं थी।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इसके विपरीत, अपीलार्थी ने पर्याप्त, विश्वसनीय और ठोस मौखिक और निर्विवाद दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, जिन पर यदि समग्र रूप से विचार किया जाए, तो संभावनाओं की एक प्रमुखता स्थापित होती है कि उनकी आयु 25 वर्ष से अधिक थी।

28 जनवरी, 2017। जन्म तिथि का सबसे अच्छा प्रमाण अपीलार्थी की माँ (डी. डब्ल्यू. 5) और पुरुष बच्चे को जन्म देने वाले डॉक्टर का साक्ष्य है और यह एक विशिष्ट तिथि पर अपीलार्थी के जन्म का समर्थन करने वाला एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण है।

अपीलार्थी की माँ (डी. डब्ल्यू. 5) ने परीक्षा-प्रमुख में अपने हलफनामे में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह सरकार में राजनीति विज्ञान में व्याख्याता थीं। गर्ल्स पीजी कॉलेज, रामपुर में उन्होंने चार बार बच्चे को जन्म दिया। 1982 और 1984 में पहले दो प्रसवों के बच्चों की जन्म के समय मृत्यु हो गई और वर्ष 1985 में पैदा हुआ तीसरा बच्चा उनका बड़ा बेटा मोहम्मद है। आदिब और उसके बाद उन्होंने फिर से 7 अगस्त, 1990 से 4 नवंबर, 1990 तक तीसरे स्वीकृत प्रसूति अवकाश का लाभ उठाया, जो डी. डब्ल्यू. 1 द्वारा प्रमाणित सेवा पुस्तिका द्वारा विधिवत समर्थित है और यह स्वीकार करता है कि उन्होंने 30 सितंबर, 1990 को क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ में, एक सरकारी अस्पताल, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के प्रसूति विभाग में एक लड़के को जन्म दिया और यह 24 अक्टूबर, 1990 (Ex.R7), ई. ओ. टी. रजिस्टर (Ex.R4) और एम. एल. आर. रजिस्टर (Ex.R5) के साथ समर्थित है, जो डॉ. उमा सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) और डॉ. विनीता दास (डी. डब्ल्यू. 4) द्वारा विधिवत समर्थित है, जिन्होंने अपनी मौखिक गवाही में कहा है।

डी. डब्ल्यू. 5 की माँ को पुरुष बच्चे के जन्म का समर्थन किया

30 सितंबर, 1990 को अपीलार्थी।

अपीलार्थी ने आगे समझाया है कि स्कूल रिकॉर्ड में गलत जन्म तिथि पारिवारिक मित्र शाहजेब खान (डी. डब्ल्यू. 9) की ओर से की गई एक त्रुटि थी, जिसे 1995 में स्कूल में अपीलार्थी का प्रवेश मिला था।

यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि बचाव पक्ष के गवाहों में से किसी की भी प्रतिपरीक्षा के अभाव में या

अभिलेख पर रखे गए दस्तावेज जो सार्वजनिक अभिलेख हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 और आगे अब्दुल्ला आजम खान बनाम के संदर्भ में साबित होते हैं।

नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

विवादित निर्णय स्थापित साक्ष्य पर विचार करने में विफल रहता है, हालांकि यह किए गए दस्तावेजों के प्रमाण प्रदान करता है। लेखक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में और साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 पर विचार करने में विफल रहता है जिसमें कहा गया है कि कानून के तहत दर्ज अपने कर्तव्य के प्रदर्शन में एक अधिकारी (सार्वजनिक या निजी) द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज

प्रासंगिक और स्वीकार्य हैं।

कि जन्म रजिस्टर (Ex.R12) के संबंध में विवादित निर्णय में दर्ज किए गए हेरफेर और अंतर्वेशन के निष्कर्ष के संबंध में, कोई सबूत नहीं है

इस तरह के निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर। डी. डब्ल्यू. 2 में किसी भी हेरफेर या अंतर्वेशन के बारे में कोई सवाल नहीं उठाया गया था।

दस्तावेज़। किसी भी सबूत के अभाव में, निष्कर्ष आक्षेपित निर्णय में अभिलिखित स्थिति अस्थिर है।

विवादित निर्णय गलत तरीके से दर्ज करता है कि धारा 13 जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 और उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 9 का पालन नहीं किया गया है, जबकि 21 अप्रैल, 2015 का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था। हालांकि, तथ्य यह है कि अपीलार्थी का जन्म उसी वर्ष समकालीन रूप से दर्ज किया गया था

1990 नगर निगम, लखनऊ में और यह केवल पंजीकरण का एक डुप्लिकेट प्रमाण पत्र था जो 21 जनवरी, 2015 को जारी किया गया था।

चुनाव याचिकाकर्ता/प्रतिवादी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं हैं और किसी भी मामले में 1 जनवरी को अपीलार्थी की जन्म तिथि का प्रमाण नहीं हैं।

1993 .

विद्यालय के अभिलेखों में त्रुटि को पर्याप्त रूप से समझाया गया था डी. डब्ल्यू. 5 और तदनुसार आवश्यक कदम [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा उठाए गए।

अपीलार्थी द्वारा 23 मार्च, 2015 को प्रस्तुत किए गए पत्र द्वारा विद्यालय के अभिलेखों में सुधार के लिए अपीलार्थी

क्षेत्रीय अधिकारी, सी. बी. एस. ई., जैसा कि डी. डब्ल्यू. 7 द्वारा सिद्ध किया गया है, अरुण जोसेफ दयाल, सेंट पॉल स्कूल, सिविल लाइन्स, रामपुर के निदेशक।

(xv) डी. डब्ल्यू. 5 की सेवा पुस्तिका में कथित समूह बीमा योजना (जी. आई. एस.) नामांकन प्रपत्र पर निर्भरता यह स्थापित करने के लिए एक स्वीकृत दस्तावेज नहीं था कि अपीलार्थी का जन्म 1993 में हुआ था और यह याचिका की एक गंभीर गलत सराहना थी।

उच्च न्यायालय द्वारा किए गए अभिलेख पर साक्ष्य।

(xvi) किसी दस्तावेज़ में किसी भी पिछले बयान के बारे में एक गवाह का सामना करते समय यह अनिवार्य है कि उक्त दस्तावेज़ को भारतीय संविधान की धारा 145 के तहत गवाह को बताया जाए।

साक्ष्य अधिनियम जिसके लिए प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था और सबसे अच्छा यह केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक टुकड़ा है जिसका कोई कानूनी समर्थन नहीं है और 1 जनवरी को अपीलार्थी का जन्म स्थापित नहीं कर सकता है,

1993 .

14. अपीलार्थी के अनुसार, ये गंभीर स्पष्ट त्रुटियाँ थीं जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में की गई थीं। विवादित और उनकी दलीलों के समर्थन में, वकील ने बृज मोहन सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा किया। प्रिया ब्रैट नारायण सिन्हा और अन्य 3, बिराद मल सिंघवी बनाम। आनंद पुरोहित और जोशना गौड़ा बनाम। वृंदावन गौड़ा और अन्य ने इस न्यायालय के फैसलों की सहायता लेते हुए कहा कि विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

प्रत्यर्थी की प्रस्तुतियाँ

15. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील श्री आदिल सिंह बोपाराई ने उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए न्यायालय आक्षेपित निर्णय में प्रस्तुत करता है कि वह उच्च न्यायालय के समक्ष यह स्थापित करने में सफल रहा कि अपीलार्थी की जन्म तिथि प्रमुख साक्ष्य द्वारा 1 जनवरी, 1993 है और अपीलार्थी/गवाहों द्वारा किए गए स्वीकारोक्ति के अनुसार, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी विधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं था।

3 3 (1965) 3 एससीआर 861

4 (1988) सप. एस. सी. सी. 604

5 (2012) 5 एस. सी. सी. 634 अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) को ध्यान में रखते हुए 25 वर्ष की आयु जब नामांकन पत्र भरे गए थे या घोषणा की तारीख मैंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कींः

प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता ने निर्दोष रखा

अभिलेख पर साक्ष्य जिसमें मार्कशीट शामिल है

अपीलार्थी का दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र, 28 अगस्त, 2006 का उसका पासपोर्ट और 28 जून, 2012 को नगर पालिका, रामपुर द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र और वर्ष 2006 का उसका स्वयं भरा हुआ पासपोर्ट आवेदन और ये सभी

दस्तावेज़ अपीलार्थी की जन्म तिथि को पहली बार दर्शाते हैं।

जनवरी, 1993।

प्रत्यर्थी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे साक्ष्य में स्वीकार्य हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 और 35 के तहत प्रासंगिक हैं। द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

अपीलार्थी झूठा और मनगढ़ंत था और उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। 21 जनवरी, 2015 को नगर निगम, लखनऊ द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद अपीलार्थी द्वारा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

सितंबर, 1990 अपीलार्थी की जन्म तिथि के रूप में। लेकिन, प्रत्यर्थी द्वारा निर्भर दस्तावेजों का निष्पादन कभी भी विवादित नहीं किया गया है और सभी सार्वजनिक दस्तावेज हैं जिनमें लगातार दर्ज की गई उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 है और इस प्रकार, अपीलार्थी पर उपरोक्त धारणा का खंडन करने के लिए सबूत पेश करने का बोझ था, कि उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है न कि 1 जनवरी, 1993।

दोनों पक्षों ने चुनाव याचिका में अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, कि सभी अपीलार्थी से संबंधित हैं, न कि किसी और से। 2015 तक अपीलार्थी के पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र सहित शैक्षणिक रिकॉर्ड से संबंधित चुनाव याचिका का रिकॉर्ड लगातार उसकी जन्म तिथि का संकेत देता है।

1 जनवरी, 1993 को जन्म।

इसका खंडन करते हुए, अपीलार्थी ने अपनी जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 होने का दावा करते हुए अभिलेख पर रखा, जिससे विश्वास नहीं हो सकता था। उनकी दलीलों के समर्थन में,

प्रत्यर्थी के वकील ने इस पर भरोसा रखा है

सुशील कुमार बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। राकेश कुमार

और उसकी सहायता लेते हुए प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए तथ्य का निष्कर्ष इसके संभावित मूल्य से जुड़ी उचित सराहना पर आधारित है और उसके बाद ही यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थी अपनी जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 स्थापित करने में विफल रहा है और अपीलार्थी के चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया है और संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) को देखते हुए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है।

संविधान।

16. हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उनकी सहायता से अभिलेख पर दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का अध्ययन किया है।

बहुत ज़्यादा। इस न्यायालय द्वारा निर्धारित तय किए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यह जांच की जानी चाहिए कि क्या अपीलार्थी की जन्म तिथि, जैसा कि उसने दावा किया है, 30 सितंबर, 1990 है या 1 जनवरी, 1993 है।

साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य

17. साक्ष्य अधिनियम, 1872 का उद्देश्य मुद्दे में तथ्यों के अस्तित्व को साबित करना और गलत साबित करना और उन तथ्यों की सच्चाई का पता लगाना है जो

कार्यवाही में पक्षों के बीच हितों का संतुलन और इस तरह का संतुलन तथ्यों की सच्चाई को स्थापित करके किया जाना चाहिए। अंततः भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 सच्चाई की खोज के बारे में है। प्रक्रिया न्याय की हस्तनिर्मित है न कि इसकी मालकिन यानी प्रक्रिया न्याय को नियंत्रित करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रक्रिया न्याय का सहायक हाथ है और यह न्याय को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है।

18. यह साक्ष्य अधिनियम का एक अच्छी तरह से स्थापित कथन है कि साक्ष्य के बोझ को गलत तरीके से रखने से निर्णय दूषित हो जाता है। साथ ही, सबूत के बोझ से संबंधित नियम सुविधा और तर्कसंगतता और नीति के कुछ व्यावहारिक विचारों पर आधारित है, लेकिन जहां एक पक्ष के पक्ष में कानून की खंडन योग्य धारणा है, तो इसका खंडन करने का बोझ बाद वाले पर निर्भर करता है।

19. साथ ही, जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी पक्ष की जानकारी में होता है, तो उसे साबित करने का भार उस पक्ष पर होता है। "विशेष रूप से" शब्द का अर्थ है ऐसे तथ्य जो किसी व्यक्ति के ज्ञान में पूर्व-विशिष्ट या असाधारण रूप से हैं। यह सच है कि यह तब लागू नहीं हो सकता जब तथ्य ऐसा हो कि पक्ष के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भी जाना जा सके। यह नियम सबूत के बोझ के नियम का एक अपवाद है। इस प्रकार, जब कोई व्यक्ति चरित्र एम. ओ. एच. डी. के अलावा किसी अन्य इरादे से कार्य करता है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे।]

और अधिनियम की परिस्थितियों से पता चलता है कि इरादे को साबित करने का बोझ चालू है

उसे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य का सार

एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाना है जो न्याय को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है और अंततः जो आवश्यक है वह है सच्चाई का पता लगाना, प्रबल होना।

20. जहाँ तक सबूत के बोझ के सिद्धांतों का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा सुशील कुमार के मामले में सिद्धांतों को संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया गया है। (उपर्युक्त) पैरा 28 से 32:

28. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह दिखाने के लिए सबूत का बोझ कि एक उम्मीदवार जिसे नामांकन की तारीख को अयोग्य घोषित कर दिया गया था

31. इसके अलावा, कुछ मामलों के संबंध में, तथ्य प्रत्यर्थी के विशेष ज्ञान के भीतर होने के कारण, इसे साबित करने का बोझ भारतीय संविधान की धारा 106 के संदर्भ में उस पर होगा। साक्ष्य अधिनियम। हालांकि, यह सवाल कि क्या किसी विशेष मामले को साबित करने का बोझ वादी पर है या प्रतिवादी पर

यह विवाद की प्रकृति पर निर्भर करता है। (उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन को देखें। वी. आनंद चंद्र पृष्टि [(1996) 11 एस. सी. सी. 600]

32. चुनाव याचिका में किसी व्यक्ति की आयु न केवल अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए, बल्कि उस पर भी निर्धारित की जानी चाहिए।

वहाँ उपस्थित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित करने का प्रारंभिक बोझ हालांकि चुनाव याचिकाकर्ता पर था, लेकिन उन तथ्यों को साबित करने के लिए जो प्रतिवादी की विशेष जानकारी में थे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में बोझ उस पर था। यह भी सामान्य है कि जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया होता है, तो प्रमाण की जिम्मेदारी का सवाल अकादमिक हो जाता है [देखें भारत संघ बनाम। सुगौली शुगर वर्क्स (पी) लिमिटेड [(1976) 3 एस. सी. सी. 32] और कॉक्स एंड किंग्स (एजेंट्स) लिमिटेड v. कामगार [(1977) 2 एस. सी. सी. 705]। इसके अलावा, [2022] 12 एस. सी. आर. में एक पक्ष की ओर से प्रवेश।

यह उस पर बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में एक अनुमान होना चाहिए बनाया गया है कि उसी को स्थापित किया जाता है।

21. साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार, अभिलेख का एक रजिस्टर

कानून के संदर्भ में या नियमित रूप से वैधानिक प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा गया

व्यवसाय का पाठ्यक्रम एक प्रासंगिक तथ्य होगा और उपरोक्त पृष्ठभूमि में, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य पर विचार करने की आवश्यकता है। दलों ने अपने दस्तावेजों के साथ-साथ मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया है और अपीलार्थी की जन्म तिथि के संबंध में अपने-अपने दावों के समर्थन में चुनाव याचिकाकर्ता और अपीलार्थी द्वारा रखे गए प्रासंगिक दस्तावेजों के संदर्भ में प्रदर्शनों को चिह्नित किया है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य जिस पर भरोसा किया गया है, उसे निर्णय के पैरा 8 और 9 में देखा गया है और यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

8. दोनों पक्षों ने दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का नेतृत्व किया है।

निम्नलिखित कागजात साक्ष्य में स्वीकार किए गए हैं और किए गए हैं

निम्नानुसार प्रदर्शनी के रूप में चिह्नित किया गया हैः

याचिकाकर्ता के प्रमाणः

पेपर नं.

संक्षिप्त विवरण

Ex.

नहीं।

पी1

(ए-49/1 से

पासपोर्ट आवेदन दिनांक 06.07.2012 उत्तरदाता अपने हस्ताक्षर के तहत अपनी तिथि का उल्लेख करते हुए

ए 53/1)

जन्म 01.01.1993, और जन्म स्थान रामपुर। इससे पहले

ए 49/1-4

पासपोर्ट संख्या-8757022,28.08.2006 पर जारी किया गया था जो 31.12.2010 पर समाप्त हो गया था। नया पास पोर्ट No.K7951741 पास पोर्ट अधिकारी,

बरेली द्वारा 13.07.2012 पर 12.7.2022 तक की अवधि के लिए जारी किया गया था। एक्स. पी.-1 के कुछ पेपर नीचे उल्लिखित हैं।

ए 50/1-उत्तरदाता की बैंक पास बुक की एक प्रति

भारतीय स्टेट बैंक, नवाब गेट में बैंक खाता,

50/4

रामपुर।

नागर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र No.3857 की प्रति

ए 51/1

पालिका परिषद, रामपुर ने प्रत्यर्थी की जन्म तिथि 01.01.1993, जन्म स्थान रामपुर, पंजीकरण No.RNPB 2012-03857, जन्म तिथि का उल्लेख किया है।

पंजीकरण 28.06.2012 और जारी करने की तारीख 28.06.2012 उत्तरदाता के पास पोर्ट नं. F8757022, दिनांकित

ए 52/2

ए 52/3

28.08.2006 जन्म तिथि का उल्लेख 01.01.1993 पासपोर्ट पूर्वावलोकन विवरण के रूप में पासपोर्ट सं. के-7951741,

ए 53/1

दिनांक 13.07.2012 में उत्तरदाता की जन्म तिथि 01.01.1993 और पुराने पास पोर्ट No.F8757022 का उल्लेख किया गया है,

दिनांकित 28.08.2006 एमओएचडी।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

पी-2 (उत्तरदाता के दिनांकित पास पोर्ट आवेदन की प्रतिलिपि के लिए ए-60/1)

ए-78)

10.01.2018 अपनी जन्म तिथि का उल्लेख 30.09.1990 के रूप में करते हुए

और जन्म स्थान लखनऊ

ए-60/1-2

" मंत्रालय द्वारा जारी ऑन लाइन नियुक्ति रसीद

ए-61/1

विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने उपरोक्त पासपोर्ट आवेदन दिनांक 08.01.2018 के लिए

ए-62/1-3

प्रत्यर्थी के पास पोर्ट No.K7951741, दिनांक 13.07.2012 की प्रति, जिसमें उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 है और प्रस्थान/आगमन की प्रविष्टियाँ दिनांक 30.04.2013,05.05.2013,09.06.2015 और 26.07.2016 हैं। ए-62/3 उत्तरदाता का वीजा दिनांकित 09.07.2014 है जिसमें उसकी जन्म तिथि का उल्लेख 01.01.1993 के रूप में किया गया है।

पंजीयक द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 21.1.2015

ए-63/1

जन्म और मृत्यु, लखनऊ, जन्म तिथि 30.09.1990, जन्म स्थान-क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ, यू. पी., और पंजीकरण No.NNLKO-B 2015-292611 और पंजीकरण की तारीख 21.01.2015 पंजीयक जन्म और मृत्यु का आदेश, नगर पालिका

ए 64/1

परिषद, रामपुर, दिनांक 30.1.2015, प्रतिवादी के जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 28.6.2012 को रद्द करते हुए, निम्नानुसारः श्री मोहम्म "मन अबदुल्ला आज्म् खान पू तर श्री मोहम् मद आज्म् खान निनवासी मो। घर में मेरा घर काम कर रहा है, रामपू और इस तरह का काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है।

"

प्रत्यर्थी की यू. पी. विधान सभा की प्रति

ए-65/1

पहचान पत्र दिनांकित 14.03.2017

प्रतिवादी के आधार कार्ड की प्रति दिनांक 7.3.2015

ए-66/1

प्रतिवादी के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति

ए-67/1

उत्तरदाता के मतदाता आईडी कार्ड की प्रति दिनांकित

ए-68/1

18.07.2016 .

द्वारा जारी की गई दिनांकित 10.1.2018 पावती की प्रतिलिपि

ए-69/1

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बरेली आवेदन के लिए

दिनांकित 10.1.2018

उत्तरदाता के आवेदन की प्रति दिनांक 10.1.2018 से

ए-70/1

क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी बरेली ने कहा कि "मैंने जन्म तिथि और जन्म स्थान में परिवर्तन के कारण पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए आवेदन किया था।"

ए-75/2

जन्म और मृत्यु पंजीयक, नगर निगम, लखनऊ को जन्म के सत्यापन के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बरेली का पत्र, दिनांक 11.01.2018

उत्तरदाता का प्रमाण पत्र [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ए-76/1

जन्म और मृत्यु पंजीयक, नगर पालिका परिषद, रामपुर का पत्र, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, बरेली को संबोधित, जन्म प्रमाण पत्र रद्द करने के बारे में दिनांकित 30.1.2015 पत्र जारी करने की पुष्टि करता है।

उत्तरदाता।

ए.

मोहम्मद के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति। अब्दुल्ला आज़म

पी3

(ए.

80/1

खान (प्रत्यर्थी) दिनांकित 28.06.2012 की तारीख

79 ए के लिए

पंजीकरण आरएनपीबी 9012-03857, दिनांक 28.06.2012 के आधार पर नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी किया गया

80/1)

जन्म का मूल अभिलेख। इस जन्म प्रमाण पत्र को उत्तरदाता द्वारा आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था

पंजीयक दिनांक 30.01.2015

माध्यमिक विद्यालय की दसवीं कक्षा की परीक्षा की प्रति

पी4

ए-25/1

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी परिणाम 2007, जिसमें प्रतिवादी की जन्म तिथि को इस रूप में दिखाया गया है

01.01.1993

चुनाव का मौखिक साक्ष्य-याचिकाकर्ता

पीडब्लू 1-काज़िम अली खान (चुनाव-याचिकाकर्ता) पी. डब्ल्यू. 2-मोहम्मद। नसीम, पासपोर्ट अधिकारी, बरेली

पी. डब्ल्यू. 3-मोहम्मद। अतिर अंसारी, जूनियर पासपोर्ट सहायक, बरेली पीडब्लू 4-तेजपाल सिंह वर्मा, मुख्य स्वच्छता और खाद्य निरीक्षक /

उप-पंजीयक जन्म और मृत्यु, नगर पालिका परिषद, रामपुर

प्रतिवादी/प्रतिवादी के साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य।

पेपर नं.

संक्षिप्त विवरण

Ex.

नहीं।

नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सूची

आर 1

ए 30

निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी प्रतीक आवंटन सूची

आर 2 ए 31

निर्वाचन अधिकारी द्वारा परिणामों की घोषणा

ए 32

आर 3

11.03.2017

ए 100/1-2। पृष्ठ संख्या की प्रतिलिपि। 174 ई. ओ. टी. रजिस्टर ऑफ क्वीन

आर 4

मैरी अस्पताल, लखनऊ, जिसमें दिनांक 29.09.1990 वाले रोगियों के प्रवेश की प्रविष्टियाँ हैं, और उसके बाद दिनांक 7 अगस्त 1990 की प्रविष्टियाँ हैं, 22.09.1990

और 24.09.1990

क्वीन के एम. एल. आर. रजिस्टर के पृष्ठ संख्या 225 की ए 101/1-2 प्रति

आर 5

मैरी अस्पताल में कटिंग और ओवरराइटिंग है और श्रीमती तजीन फातिमा के प्रवेश की कोई तारीख नहीं है।

(उत्तरदाता की माँ)

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 21.04.2015 की नकल करें

आर 6 ए 37

के. जी. मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी अस्पताल में बच्चे का नाम "बेबी ऑफ तजीन" है।

फातिमा "का जन्म 30.09.1990 पर हुआ था इनडोर मरीज तजीन फातिमा का डिस्चार्ज टिकट

आर 7

ए 38/1-2

क्वीन मैरी अस्पताल 07.08.1990 पर भर्ती किया गया और

24.10.1990 पर निर्वहन

प्रोफेसर द्वारा दी गई दिनांकित 12.09.2017 जानकारी

आर 8

A41/1-3

विनीता दास, एचओडी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आर. टी. आई. अधिनियम 2005 के तहत प्रतिवादी की मां को सूचित किया कि अस्पताल के नियमों के अनुसार, केवल 10 साल का रिकॉर्ड रखा जाता है। चूंकि मामला 1990 का है, इसलिए प्रविष्टियों वाले प्रवेश रजिस्टर की सही प्रति देना संभव नहीं है। प्रवेश पर्ची रोगी द्वारा रखी जाती है, छुट्टी प्रमाण पत्र (पेपर नं। A38/1-2) द्वारा उत्पादित तज़ीन फ़ातिमा प्रमाणित है।

ए 42/1-5

आर 9

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की एच. ओ. डी. प्रोफेसर विनीता दास की जानकारी के आधार पर किंग जॉर्ज अस्पताल द्वारा आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रतिवादी को पत्र द्वारा दी गई जानकारी सूचना को संबोधित पत्र द्वारा दी गई है। अधिकारी और उल्लेख करते हुए किः (पेपर नं. ए 100/2)

मोहम्मदमंद अबदुल्ला आज्म खान के जिजस प्रथम पर जन्म

"

जिस तरह की व्यवस्था की गई है, उस तरह की व्यवस्था की गई है और इस तरह की व्यवस्था की गई है।

उफ़ एज़ "(पेपर नं. ए 100/2)

आर 10। ए 47/1-7

अगस्त 1990, दिसंबर 1992, जनवरी 1993 और फरवरी 1993 के लिए राजकीय महिला पीजी कॉलेज, रामपुर के वेतन बिल रजिस्टर की प्रति R11 A95/1-34। लेक्चरर तजीन फातिमा की सर्विस बुक की प्रति,

राजनीतिक विज्ञान जिसे स्थायी बनाया गया था

सरकारी आदेश दिनांक 11.02.1997 डब्ल्यू. ई. एफ.

20.04.1988 . उन्होंने 26.04.2001 (A95/25) नामित मोहम्मद पर अपने स्वयं के हस्ताक्षर के तहत अपना GIS नामांकन पत्र जमा किया। आजम खान (पति) 53 वर्ष 50 प्रतिशत, मोहम्मद अदील आजम खान (बेटा) 15 वर्ष 25 प्रतिशत और मोहम्मद। अब्दुल्ला आज़म खान (पुत्र) 8

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

R12 A A-- 96 96// 1-5 1-5 डॉ. तजीन फातिमा का आवेदन, दिनांक 17.01.2015 (प्रतिवादी की माँ) नगर स्वस्थ अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को, अपने बेटे मोहम्मद का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करते हुए। अब्दुल्ला आजम खान संलग्न हलफनामे के अनुसार। रानी के अभिलेखों से उनके बेटे के जन्म की पुष्टि की जा सकती है।

मैरी अस्पताल।

नगर निगम की कंप्यूटर से बनी शीट,

ए 96/3

लखनऊ, जन्म पंजीकरण की तारीख 21.012015, जन्म तिथि 30.09.1990 और नाम मोहम्मद का उल्लेख करते हुए। अब्दुल्ला आजम खान, जन्म स्थान-रानी

मैरी अस्पताल, दिनांक 21.4.2015

ए 96/4-5

नगर निगम, लखनऊ के जन्म रजिस्टर की फोटोस्टैट प्रति जिसमें अब्दुल्ला मोहम्मद के नाम की प्रविष्टि है। आजम खान ने रजिस्टर में दर्ज किया

30.09.1990 . इसके ऊपर ए 95/4 पर 07.02.1992 और 25.06.1993 पर दर्ज जन्म की दो प्रविष्टियाँ हैं।

जन्म दर्ज करने के लिए किसी अधिकारी का आदेश देना। अगला पृष्ठ (ए 95/5) तिथि 02.10.1990 से शुरू होता है लेकिन पृष्ठ तिथियों के नीचे 26.09.1990 है।

और 27.09.1990

9. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी का मौखिक साक्ष्य डी. डब्ल्यू.-1-डॉ. शैलेंद्र के. तिवारी, उच्चतर विभाग के सहायक निदेशक

शिक्षा, यू. पी. प्रयागराज।

आयुक्त, लखनऊ। डी. डब्ल्यू.-3-डॉ. उमा सिंह, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ क्वीन मैरी अस्पताल (प्रसूति विभाग)। & गायनो।)

डी. डब्ल्यू.-4-डॉ. विनीता दास-एच. ओ. डी. ओब्स्ट। & गैनो। , रानी मैरी की

अस्पताल, लखनऊ।

डी. डब्ल्यू.-5-डॉ. तजीन फातिमा, (प्रतिवादी की माँ) डी. डब्ल्यू.-6-डॉ. वंदना शर्मा-प्रिंसिपल राजकीय महिला पद

ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज, रामपुर।

डी. डब्ल्यू.-7-अरुण जोसेफ दयाल। निदेशक सेंट पॉल स्कूल, सिविल लाइन, रामपुर।

डी. डब्ल्यू.-8-Dr.Satibir सिंग केन, रेडियोलॉजिस्ट, जिला अस्पताल,

रामपुर।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

डी. डब्ल्यू.-9-शाहजेब खान, प्रत्यर्थी के पिता का मित्र।

डी. डब्ल्यू.-10-मोहम्मद। अब्दुल्ला आजम खान, प्रतिवादी। साक्ष्य का विश्लेषण

22. अब, हम में दिखाई देने वाली परिस्थितियों का विज्ञापन करेंगे

मामला जो हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करता है। जिला रामपुर के 34, स्वार विधानसभा क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई थी जो इस प्रकार हैः

(क) नामांकन दाखिल करने की तिथि

25 जनवरी, 2017

(ख) नामांकन की जांच की तिथि

28 जनवरी, 2017

30 जनवरी, 2017

(ग) नामांकन वापस लेने की तिथि

(घ) प्रतीकों के आवंटन की तारीख

1 सेंट फरवरी, 2017

(ई) ओ मतदान की तिथि

15 फरवरी, 2017

(च) गिनती की तारीख

11 मार्च, 2017

23. अपीलार्थी ने 24 जनवरी, 2017 को अपना नामांकन पत्र भरा और 11 मार्च, 2017 को निर्वाचित घोषित किया गया।

सबसे अधिक वोट यानी 1,06,443 वोट। 24. प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका में, उनकी एकमात्र आपत्ति यह थी कि अपीलार्थी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था

संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) को ध्यान में रखते हुए विधान सभा के सदस्य के लिए चुनाव क्योंकि वह 25 वर्ष से कम आयु के थे जब उन्होंने अपना नामांकन पत्र भरा था और जिस तारीख को उन्होंने चुनाव लड़ा था और जिला रामपुर के 34, स्वार विधानसभा क्षेत्र के परिणाम की घोषणा की तारीख को भी।

25. प्रत्यर्थी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी साक्ष्य यह साबित करने के लिए कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 है, जनता द्वारा जारी किए गए सभी सार्वजनिक दस्तावेज हैं।

अधिकारी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में साक्ष्य में स्वीकार्य हैं, जो इस प्रकार हैं:

दस्तावेजी साक्ष्यों के बाद, जन्म वर्ष दर्ज करें

वर्ष 1993 का अपीलार्थी (01.01.1993): —

((i) पूर्व। पी4-पेपर नं. ए-25/1-केंद्रीय विद्यालय बोर्ड द्वारा जारी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा कक्षा 10 वीं के परिणाम 2007 की प्रति।

माध्यमिक शिक्षा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

28.06.2012 .

((iv) पूर्व। पी1-पेपर नं. ए-49/1-4, अपीलार्थी का पास पोर्ट आवेदन दिनांक 06.07.2012, उसके हस्ताक्षर के तहत दायर किया गया है जिसमें उसका उल्लेख है

जन्म तिथि 01.01.1993, और जन्म स्थान रामपुर।

(v) Ex. पी-1-पेपर सं. 53/1, अपीलार्थी के पास पोर्ट का पूर्वावलोकन विवरण। के-7951741, दिनांक 13.07.2012 और एक्स। पी-2-पेपर नं. ए 62/1-3, अपीलार्थी के पास की प्रति पोर्ट नं. के 7951741, दिनांक 13.07.2012 जिसमें जन्म तिथि 01.01.1993 है और प्रस्थान/आगमन की प्रविष्टियाँ दिनांक 30.04.2013,05.05.2013,09.06.2015 और 26.07.2016 और वीजा दिनांक 09.07.2014 सभी हैं।

जन्म तिथि का उल्लेख 01.01.1993 के रूप में करें।

(vi) एक्स. आर.-11 (पेपर सं. ए. 95/1-34) अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य में दायर की गई और डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा साबित की गई अपीलार्थी की माँ की सेवा पुस्तिका की प्रति। इसमें अपीलार्थी की माँ (डी. डब्ल्यू.-5) द्वारा हस्ताक्षरित और 26.04.2001 पर प्रस्तुत जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र होता है।

बाद में कुलसचिव द्वारा 30.01.2015 पर रद्द कर दिया गया अपीलार्थी का आवेदन।

26. प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता एक गवाह, पीडब्लू. 1 के रूप में पेश हुए और दस्तावेजी साक्ष्य का समर्थन करते हुए स्थापित किया कि

स्कूल अभिलेखों और अभिलेख पर रखे गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसार अपीलार्थी की जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 है, उसी समय अपीलार्थी/लौटे उम्मीदवार द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों के बारे में उसकी परीक्षा-प्रमुख में एक विशिष्ट दावा किया गया है कि ये सभी नकली और जाली दस्तावेज हैं जो उनके लिए बनाए गए हैं।

अपीलार्थी की आयु और जन्म तिथि के संबंध में गलत साक्ष्य बनाएँ। इसके अलावा, वर्ष 2015 से पहले जारी किए गए आधिकारिक दस्तावेज लगातार एम. ओ. एच. डी. हैं।

उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 के रूप में इंगित करें और वह भी प्राप्त की गई है। उनकी क्रॉस-परीक्षा से।

27. अदालत के गवाह, पीडब्लू 2 मोहम्मद। नसीम, पासपोर्ट अधिकारी, बरेली, पीडब्लू. 3 मोहम्मद। अतिर अंसारी, जूनियर पासपोर्ट सहायक, बरेली और पीडब्लू. 4 तेजपाल सिंह वर्मा, मुख्य स्वच्छता और खाद्य निरीक्षक/उप पंजीयक जन्म और मृत्यु, नगर पालिका, रामपुर की जांच की गई और उन्होंने रिकॉर्ड में रखे गए सार्वजनिक दस्तावेजों का समर्थन किया जो यह स्थापित करता है कि स्वास्थ्य विभाग, नगर पालिका, रामपुर द्वारा 28 जून, 2012 को जारी जन्म प्रमाण पत्र, इसके अलावा, पासपोर्ट जारी करने के लिए अपीलार्थी द्वारा भरा गया ऑनलाइन आवेदन, पीडब्लू. 2 और पीडब्लू. 3 द्वारा 28 अगस्त, 2006 को जारी किया गया पुराना पासपोर्ट संख्या 8757022 और प्रासंगिक ऑनलाइन आवेदन और अन्य दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखा गया जो जनवरी 2015 में अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए थे और ऐसे सभी दस्तावेजों को लोक अधिकारियों पी. अदालत के गवाह पीडब्लू. 4 ने अपनी जांच में कहा कि अपीलार्थी के 28 जून, 2012 के जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित सभी रजिस्टर और अन्य रिकॉर्ड 8 मई, 2015 को शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग के कारण नष्ट कर दिए गए हैं। नगर पालिका, रामपुर का कार्यालय और 8 मई, 2015 से पहले कोई रिकॉर्ड रखने में असमर्थ है, लेकिन 28 जून, 2012 के जन्म प्रमाण पत्र को सत्यापित किया क्योंकि रिकॉर्ड कंप्यूटर सिस्टम में उपलब्ध है और एक प्रति रखी गई थी

अभिलेख पर और ये सभी दस्तावेज या तो अपीलार्थी द्वारा तैयार किए गए थे स्वयं या उसके इशारे पर।

इस तथ्य पर अपीलार्थी द्वारा विवाद नहीं किया गया था कि अभिलेख पर प्रत्यर्थी द्वारा रखे गए और जिन पर भरोसा किया गया है, वे सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक दस्तावेज हैं। 29. इस स्तर पर, अपीलार्थी की आपत्ति यह थी कि यद्यपि प्रत्यर्थी द्वारा जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे उसके हैं, लेकिन [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दस्तावेजों की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है, बचाव पक्ष के साक्ष्य में भी अपीलार्थी के बचाव का खंडन करते हुए कहा गया है कि वर्ष 1995 में क्योंकि उनके पिता डी. डब्ल्यू. 9 के एक दोस्त शाहजेब खान उन्हें 1995 में स्कूल ले गए और उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज कराई। भले ही अपीलार्थी का यह रुख अंकित मूल्य पर लिया जाता है, जन्म तिथि जो उनकी माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में दर्ज की जाती है, उसके बाद वर्ष 2006 का उनका पासपोर्ट और 28 जून, 2012 के पंजीकरण No.RNPB2012-03857 के साथ नगर पालिका, रामपुर द्वारा जारी उनका जन्म प्रमाण पत्र, जिसका विवरण कम से कम वर्ष 2015 तक न केवल उनके शैक्षणिक अभिलेखों में सभी निर्विवाद दस्तावेजी साक्ष्यों में लगातार प्रस्तुत किया गया है।

लेकिन अन्य सभी पत्राचार में, उन्होंने अपनी जन्म तिथि को 1 जनवरी, 1993 के रूप में दर्शाया है और चूंकि ये सभी उनके जारी किए गए दस्तावेज हैं

लोक अधिकारी द्वारा लोक प्राधिकरणों के कार्यालय से अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपलब्ध कराए गए प्रासंगिक आंकड़ों के आधार पर/ऑनलाइन या भौतिक रूप से आवेदन भरने पर, अपीलार्थी के नाम पर उसे जारी किए गए दस्तावेजों में उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 और उसके बाद का खुलासा किया गया है। अभिलेख पर मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन, यह न्यायालय निश्चित रूप से दर्ज कर सकता है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत आवश्यक रूप से इसका पर्याप्त संभावित मूल्य है।

30. साथ ही, दूसरी ओर, अपीलार्थी ने इन दस्तावेजों पर विवाद नहीं किया है जिन पर प्रतिवादी ने भरोसा किया है।

(चुनाव याचिकाकर्ता), जिसका विस्तृत संदर्भ पैरा 8 में दिया गया है, ने कहा कि दस्तावेज स्वयं अपीलार्थी के हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जो सार्वजनिक अधिकारियों/सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए हैं और जाहिर है

अपीलार्थी द्वारा स्वयं जानकारी दी गई है और इस स्तर पर धुआं स्पष्ट करने के लिए, अपीलार्थी का बचाव यह था कि उस समय जब अपीलार्थी 1995 में स्कूल गया था, उसके पिता डी. डब्ल्यू. 9 के मित्र ने अपनी जन्म तिथि दर्ज कराई थी, इसका कोई महत्व नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक प्रमाण पत्र और भरे गए सभी आवेदनों में स्वयं अपीलार्थी द्वारा और इन दस्तावेजों को तैयार किया जाता है जिनका अपीलार्थी किसी भी समय प्रतिवाद करने में विफल रहा है। प्रतिवाद में, अपीलार्थी ने बचाव करते हुए कहा कि उसकी माँ डी. डब्ल्यू. 5, जो एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्याता थीं और विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुई थीं।

2009 , उनकी प्रतिपरीक्षा में कहा गया कि उनका बेटा (अपीलकर्ता) अपना आईडी 1 करने के बाद वर्ष 2015 में राजनीति में सक्रिय हो गया और इस समय वह नगर निगम, लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ी और 17 जनवरी, 2015 को आवेदन प्रस्तुत किया।

31. यह जानना दिलचस्प है कि उनके द्वारा किया गया अनुरोध एक बयान के साथ मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को संबोधित किया गया था

कि उनके बेटे (अपीलार्थी) का जन्म 30 सितंबर, 1990 को क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ में हुआ था और जन्म प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता है

बहुत महत्वपूर्ण और अपरिहार्य कारणों से उन्होंने अपना हलफनामा संलग्न किया। इस तरह का आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर, तीन दिनों के भीतर, जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21 जनवरी को जारी किया गया था। 2015 (Ex. A-96/3) उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 दर्शाता है, जो आम लोगों द्वारा प्राप्त करना सामान्य रूप से संभव नहीं हो सकता था।

34. दूसरे शब्दों में, पाठ्यक्रम में अभिलेख पर रखे जाने से पहले अपीलार्थी के पास अपने दावे का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं था क्वीन मैरी अस्पताल से चुनाव याचिका, जिसे वर्ष 2015 में 30 वीं के डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र की मांग के लिए एक आधार बनाया गया था

सितंबर, 1990। इसे और स्पष्ट करने के लिए, क्वीन मैरी अस्पताल द्वारा 21 अप्रैल, 2015 (एक्स. ए.-37) को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

30 सितंबर, 1990 को डी. डब्ल्यू. 5 के बच्चे की जन्म तिथि दर्शाता है। इस दस्तावेज़ से यह स्पष्ट है कि 17 जनवरी, 2015 को [2022] 12 एस. सी. आर.

जिस तारीख को उसकी माँ (डी. डब्ल्यू. 5) द्वारा अपीलार्थी का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को संबोधित आवेदन प्रस्तुत किया गया था, उस तारीख को डी. डब्ल्यू. 5 की अभिरक्षा में यह समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत उपलब्ध नहीं था कि बच्चे का जन्म 30 सितंबर, 1990 को अस्पताल में हुआ था।

35. 21 अप्रैल, 2015 को लखनऊ के क्वीन मैरी अस्पताल से एक डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, लेकिन मूल का क्या हुआ?

यदि कोई है, तो अपीलार्थी द्वारा कभी भी अभिलेख पर नहीं रखा गया है। केवल यह स्पष्टीकरण देने के लिए कि डी. डब्ल्यू. 5 (अपीलार्थी की माँ) द्वारा प्रस्तुत 17 जनवरी, 2015 के आवेदन में भी प्रमाण पत्र का कोई उल्लेख नहीं था।

पहले जारी किया गया और एक डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की गई है

अपीलार्थी की जन्म तिथि, जिसका जन्म, जैसा कि आरोप है, 30 सितंबर, 1990 को क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ में हुआ है। जिस आधार पर अपीलार्थी यह स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा है कि उसकी जन्म तिथि 30 सितंबर, 1990 है, वह आधार पर आता है।

36. डी. डब्ल्यू. 5 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि उनके सभी स्कूल अभिलेखों, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री में उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 दर्ज की गई है और प्रश्न यह है कि शैक्षणिक अभिलेख में दर्ज अपीलार्थी की जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 के बारे में उनकी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने एक बहुत ही जिज्ञासु बात कही

बयान कि यह अपीलार्थी ही है जिसने उसे सूचित किया कि उसकी जन्म तिथि उसके स्कूल के अभिलेखों में गलत तरीके से दर्ज की गई है, लेकिन न तो अपीलार्थी और न ही माँ-डी. डब्ल्यू. 5 ने कभी भी वर्ष 2015 से पहले किसी भी समय जन्म प्रमाण पत्र में सुधार की मांग की।

37. अपीलार्थी स्वयं गवाह पेटी में DW.10 के रूप में उपस्थित हुआ। यह उनके पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड, उनके पासपोर्ट, 28 जून, 2012 को नगर पालिका, रामपुर से जारी जन्म प्रमाण पत्र की तारीख, उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 के रूप में दर्ज की गई थी और दिलचस्प रूप से, पहली बार अपनी जाँच में उन्होंने कहा है कि उनकी माँ ने उन्हें बताया कि उनका जन्म 30 सितंबर, 1990 को हुआ था, न कि 1 जनवरी को।

1993 , और उन सभी दस्तावेजों के संदर्भ में जो उन्हें प्रतिपरीक्षा में रखे गए थे, उनका एकमात्र बयान यह था कि हालांकि ये दस्तावेज उनके हैं, लेकिन उनकी जन्म तिथि गलत तरीके से दर्ज की गई है, और बाद में रद्द कर दी गई है, लेकिन जन्म तिथि का विवरण देते हुए

गलत, चुनाव याचिका के दौरान पहली बार रखे गए दस्तावेजों को छोड़कर, काउंटर में कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था। जहाँ से यह तथ्य एकत्र किया गया था, यहाँ तक कि प्रतिपरीक्षा में भी इसका खुलासा नहीं किया गया था और उनकी प्रतिपरीक्षा में एक बयान दिया गया था कि उनकी जन्म तिथि एम. ओ. एच. डी है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली

खान [अजय रस्तोगी, जे.]

या तो 28 जून, 2012 के अपने जन्म प्रमाण पत्र में या कहीं भी पासपोर्ट में

1 जनवरी, 1993 को बाद के चरण में दर्ज किया गया था जिसे रद्द कर दिया गया था और उन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में पूरी तरह से टालमटोल जवाब दिया। साक्ष्य में समर्थन करने के लिए, अपीलार्थी ने तीन बुनियादी दस्तावेज, ई. ओ. टी. रजिस्टर (आर-4), एम. एल. आर. रजिस्टर (आर-5) और इनडोर रोगी का डिस्चार्ज टिकट प्रस्तुत किया है। डॉ. तजीन फातिमा, डी. डब्ल्यू. 5 (आर-7) और प्रो. विनीता दास, एचओडी, ओबीएसटी। & गैनो। (डी. डब्ल्यू. 4), डॉ. उमा सिंह, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ (डी. डब्ल्यू. 3) जिन्होंने वर्ष 1990 की प्रासंगिक अवधि के क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ से संबंधित सभी रजिस्टरों को प्रस्तुत किया, जब ई. ओ. टी. रजिस्टर और विशेष रूप से पृष्ठ 174 का संदर्भ दिया गया,

यह सवाल कि क्या ई. ओ. टी. रजिस्टर वार्षिक संख्या, 5097 की प्रविष्टि 174 में विशेष प्रविष्टि पर कोई अधिलेखन है, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ,

पुनर्लेखन किया गया है और जिसे कॉलम संख्या में देखा जा सकता है। 3 उसमें से।

एक और सवाल में उसे कॉलम संख्या में विवरण के बारे में क्रॉस-परीक्षा में रखा गया। 16 यह रजिस्टर कि क्या यह बाकी कॉलम में उल्लिखित जानकारी से मेल खाता है, और यह भी कि क्या ईओटी रजिस्टर के पृष्ठ 174 पर गर्भावस्था की अवधि की प्रविष्टि अलग है

एमएलआर रजिस्टर के पृष्ठ 225 में गर्भावस्था की अवधि की प्रविष्टि से, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, ये सभी प्रविष्टियाँ अलग-अलग हैं। अस्पताल के तथाकथित आधिकारिक रिकॉर्ड के संदर्भ में डॉ. उमा सिंह (डी. डब्ल्यू. 3) से पूछे गए प्रश्नों के अंश इस प्रकार हैं:

क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जानकारी

(अ)

30.09.1990 पर पैदा हुए बच्चों को नगर निगम भेजा गया था

निगम, लखनऊ?

हां.

उत्तर। :

क्या आप पृष्ठ 174 की प्रविष्टि देखने के बाद बता सकते हैं

(ख)

ई. ओ. टी. रजिस्टर का वार्षिक No.5097 आपके द्वारा साथ ले जाया गया है कि इसमें कोई पुनर्लेखन किया गया है या नहीं?

उत्तर। हां, इसमें अधिलेखन किया गया है। अधिलेखन देखा जाता है

कॉलम नं. 3 उसमें से।

क्या आप कॉलम में विवरण देखकर बता सकते हैं

((ग)

नहीं। 16 ऊपर दर्ज करें कि क्या यह इसके साथ मेल खाता है

उपरोक्त कॉलम के बाकी हिस्सों में उल्लिखित जानकारी

रजिस्टर करें?

उत्तर। :

पृष्ठ संख्या में गर्भावस्था की अवधि की प्रकृति क्या है। 174

((घ)

पृष्ठ में गर्भावस्था की अवधि की प्रविष्टि से अलग नहीं। 225 एम. एल. आर. रजिस्टर की वार्षिक संख्या 1826, कॉलम संख्या। 10 ?

उत्तर। :

हां.

(ई)

चाहे जिस तरीके से पृष्ठ संख्या में प्रविष्टियाँ की गई हों। 225 एम. एल. आर. रजिस्टर का यह अन्य खाता संख्या के उपरोक्त पृष्ठ पर की गई प्रविष्टियों से मेल खाता है?

उत्तर।

पूरी तरह से मेल न खाए। ईओटी रजिस्टर और एमएलआर रजिस्टर जो आपके पास है

(च)

आज न्यायालय में आपके साथ लाया गया और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, क्या यह क्वीन मैरी अस्पताल या राजा द्वारा किसी अधिकारी या विभाग प्रमुख द्वारा सत्यापित या हस्ताक्षरित है

जॉर्ज मेडिकल? और उसमें या पृष्ठ में से किसी भी प्रविष्टि पर किसी भी अधिकारी या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर या जवाबी हस्ताक्षर किए जाते हैं।

अस्पताल के डॉक्टर? और क्या उपरोक्त दोनों अस्पताल रजिस्टरों को किसी अधिकारी या विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाता है? उपरोक्त दोनों रजिस्टर अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं हैं।

उत्तर। :

क्वीन मैरी अस्पताल या किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय। ऊपर के दोनों रजिस्टर भी सत्यापित नहीं हैं। लेकिन कुछ पृष्ठों पर अस्पताल के सलाहकार के हस्ताक्षर हैं।

38. रानी से अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का समर्थन करना

मैरी अस्पताल की डॉ. विनीता दास (डी. डब्ल्यू. 4), एच. ओ. डी., प्रसूति और स्त्री रोग विभाग भी गवाह बॉक्स में दिखाई दीं।

39. साथ ही, अब तक नगर निगम, लखनऊ (एक्स. आर.-12) का रजिस्टर जो डी. डब्ल्यू. 2 डॉ. अर्चन द्वारा तैयार किया गया है।

द्विवेदी, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपने द्वारा रखे गए दस्तावेजों के समर्थन में प्रतिपरीक्षा में पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। नगर निगम, लखनऊ द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु पंजीकरण के रजिस्टर को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिपरीक्षा में उनसे पूछे गए कुछ प्रश्न उद्धरण के लिए प्रासंगिक हैंः

(अ)

क्या जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम में दिए गए प्रारूप में जन्म रजिस्टर को बनाए रखना आवश्यक है,

1969 ?

हां.

उत्तर। :

ऊपर के कागजात फिर से दिखाए गए और उनसे पूछा गया कि क्या आप कर सकते हैं?

(ख)

इसे देखें और तब तक जन्म के पंजीकरण की तारीख क्या है

उसमें उल्लिखित प्रत्यर्थी?

इस पेपर के कॉलम नंबर 3 में जन्म तिथि पंजीकरण

उत्तर। :

21.01.2015 है।

जन्म प्रमाण पत्र कितने दिनों के बाद जारी किया जा रहा है

((ग)

जन्म पंजी में की गई संबंधित प्रविष्टियों के बाद? जब आवेदक इसके बाद अनुरोध पत्र देता है

उत्तर। :

जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अस्पताल से जन्म सूची प्राप्त होने के तुरंत बाद जन्म पंजीकरण किया जाता है।

((घ)

कार्यालय?

हां, फिर से कहा गया है कि उपरोक्त जन्म रजिस्टर नहीं है

उत्तर। :

निर्धारित प्रारूप में, और फिर से यह बताना चाहते हैं कि उक्त प्रारूप का केवल पालन किया गया है लेकिन इस मामले में इसका उपयोग नहीं किया गया है। पृष्ठांकन नहीं किया गया है और न ही रजिस्टर को सत्यापित किया गया है और न ही किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पृष्ठांकन किया गया है।

40. गवाह दस्तावेजों का समर्थन भी नहीं कर पाया है। उक्त दस्तावेजों के अलावा, हमने उद्धरण प्रतियों को देखा है नगर निगम, लखनऊ (एक्स. आर. 12) द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर का। नंगी आँखों से भी ऐसा प्रतीत होता है कि पृष्ठ 43 पर अंतिम प्रविष्टि 30 सितंबर, 1990 की है और पृष्ठ पर कोई जगह नहीं बची थी, फिर भी यह पता चलता है कि किसी ने और अवैध प्रविष्टि डालने की कोशिश की है और यदि यह 30 सितंबर, 1990 के बाद पृष्ठ 44 पर अगले पृष्ठ पर जारी रहती, तो दूसरी प्रविष्टि 2 अक्टूबर, 1990 को आती है और 1 अक्टूबर, 1990 को कोई प्रविष्टि नहीं है। साथ ही, ऐसा प्रतीत होता है कि सभी प्रविष्टियां एक ही समय पर निरंतरता में की गई हैं और यह न्यायालय उन दस्तावेजों के साथ कोई

विश्वसनीयता संलग्न नहीं कर सकता है जिन पर अपीलार्थी ने बहुत अधिक भरोसा किया है, जो उनके अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का आधार है, जो माता डी. डब्ल्यू. 5 द्वारा दिनांक 17 जनवरी, 2015 को नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21 जनवरी, 2015 को जारी किए गए केवल आवेदन पर है। अभिलेख पर अपीलार्थी द्वारा रखे गए मौखिक साक्ष्य द्वारा समर्थित शेष दस्तावेज केवल इस बात को सही ठहराने के लिए हैं कि डी. डब्ल्यू. 5 प्रसूति अवकाश पर थी और एक पुरुष बच्चे का जन्म वर्ष 1990 में हुआ था और तीसरे प्रसूति अवकाश का लाभ उसके द्वारा 7 अगस्त, [2022] 12 एस. सी. आर. से लिया गया था।

1990 24 अक्टूबर, 1990 तक और 30 सितंबर, 1990 को एक लड़के का जन्म हुआ था, इसके साथ किसी भी प्रकार की कोई विश्वसनीयता नहीं जोड़ी जा सकती थी।

41. कि क्वीन मैरी अस्पताल से प्राप्त रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के अलावा, हमने देखा है

प्रासंगिक दस्तावेजों में और नंगी आंखों से यह प्रतीत होता है कि ई. ओ. टी. रजिस्टर में जहां अपीलार्थी की मां डी. डब्ल्यू. 5 का नाम दिखाया गया है, प्रविष्टि आंशिक रूप से मिटाई गई प्रतीत होती है और डी. डब्ल्यू. 5 से संबंधित प्रविष्टि के अलावा बाकी पृष्ठ, पूरे दस्तावेज़ से कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है।

42. जब पूरा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष होता है, तो यह अच्छी तरह से तय हो जाता है कि दिए गए समय पर सबूत का बोझ महत्वहीन हो जाता है।

पूर्व लिखित दस्तावेज पर सुरक्षित रूप से भरोसा किया जा सकता है जब

ऐसे दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य हैं। यह न्यायालय बृज मोहन सहित बड़ी संख्या में निर्णयों में

सिंह (ऊपर), उपदेश कुमार और अन्य बनाम। पृथ्वी सिंह और अन्य, पंजाब राज्य बनाम। मोहिंदर सिंह 3, विष्णु उर्फ उंड्रिया बनाम। महाराष्ट्र राज्य 'और सतपाल सिंह बनाम। की स्थिति

हरियाणा 1 इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस तरह के मुद्दे और साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्वीकार्य दस्तावेजों पर विचार करते समय, दस्तावेज़ की सामग्री के संभावित मूल्य की जांच करनी होगी। प्रविष्टियों की प्रामाणिकता इस बात पर भी निर्भर कर सकती है कि किसकी जानकारी इस तरह की प्रविष्टि दर्ज की गई थी और उनकी जानकारी का स्रोत क्या था, जिसका अर्थ है,

कि इस तरह के दस्तावेज़ को कुछ मामलों में पुष्टि की भी आवश्यकता हो सकती है।

43. तत्काल मामले में, अपीलार्थी का शैक्षणिक रिकॉर्ड लगातार इंगित करता है कि अपीलार्थी की दर्ज की गई जन्म तिथि पहली है।

9 (2006) 1 एस. सी. सी. 283 10 (2010) 8 एससीसी 714 एमओएचडी।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

आवेदन के साथ दस्तावेजी साक्ष्य का समर्थन किया गया था, सिवाय 17 जनवरी, 2015 के आवेदन में डी. डब्ल्यू. 5 द्वारा शपथ लिए गए हलफनामे के और मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों में आम आदमी के लिए जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन जहां तक अपीलार्थी का संबंध है, 21 जनवरी, 2015 को बिना किसी समय की हानि के जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो अन्यथा संभव नहीं था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि रद्द करना

रद्द करने के लिए, कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है, लेकिन तथ्य यह है कि अपीलार्थी ने स्वयं 28 जून, 2012 को नगर पालिका, रामपुर से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जिसमें अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के अलावा उसकी जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 दर्शाई गई है, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि नगर पालिका, रामपुर के समक्ष सबूत उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर जन्म हुआ था। उन्हें 28 जनवरी, 2012 को प्रमाण पत्र जारी किया गया था। एक बहुत ही खास

44. बिराद मल सिंघवी (ऊपर) में अपीलार्थी द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह एक ऐसा मामला था जिसमें पराजित उम्मीदवारों में से एक ने चुनाव याचिका दायर की थी और उनका निवेदन था कि दो अन्य उम्मीदवार थे। जिनके नामांकन पत्र चुनाव अधिकारी द्वारा मनमाने ढंग से खारिज कर दिए गए थे, लेकिन वे न तो गवाह पेटी में आए और न ही कोई व्यक्ति नामांकन पत्र में उपस्थित हुआ।

उन दोनों उम्मीदवारों के मैट्रिक प्रमाणपत्रों में दर्ज जन्म तिथि का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स। दी गई स्थिति में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 को देखते हुए उन अभिलेखों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और वे अस्वीकार्य हो सकते थे।

45. जहाँ तक जोशना गौड़ा (ऊपर) में अपीलार्थी द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह एक ऐसा मामला था जिसमें स्कूल प्रवेश रजिस्टर और स्थानांतरण प्रमाण पत्र सहित प्रवेश प्रपत्र पर निर्भरता रखी गई थी, लेकिन अभिलेख पर कोई सहायक साक्ष्य/प्रमाण उपलब्ध नहीं था। उस संदर्भ में, एक निष्कर्ष दर्ज किया गया था जो संभावित के संबंध में निर्णायक निष्कर्ष था

तीन दस्तावेजों Exhs के संदर्भ में मूल्य। 5 , 5 ए और 7 को जोड़ा नहीं जा सका। 46. यह भी एक सामान्य कानून है कि जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है और वह भी एक सामान्य प्रश्न और [2022] 12 एस. सी. आर. के संदर्भ में है।

विशेष रूप से आयु के निर्धारण के लिए, जो विवाद का विषय है और जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो प्रमाण की जिम्मेदारी का प्रश्न अकादमिक हो जाता है। इस न्यायालय द्वारा राकेश कुमार (उपरोक्त) मामले में इस पर विचार किया गया है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) के संदर्भ में उम्मीदवार की आयु के निर्धारण के संबंध में, इस न्यायालय ने कहाः

" 27. सुशील कुमार बनाम। राकेश कुमार [(2003) 8 एस. सी. सी. 673] यह न्यायालय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 36 (2) के संदर्भ में उम्मीदवार की आयु के निर्धारण के संबंध में है।

देखा गयाः (एससीसी पीपी। 684-85 , पैरा 32)

" 32. चुनाव याचिका में व्यक्ति की आयु का निर्धारण न केवल अभिलेख पर रखी गई सामग्री के आधार पर किया जाना चाहिए, बल्कि उससे संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी किया जाना चाहिए। चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों को साबित करने का प्रारंभिक बोझ हालांकि चुनाव याचिकाकर्ता पर था, लेकिन उन तथ्यों को साबित करने के लिए जो प्रतिवादी की विशेष जानकारी में थे, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के संदर्भ में बोझ उस पर था। यह भी सामान्य है कि जब दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किया होता है, तो प्रमाण की जिम्मेदारी का सवाल अकादमिक हो जाता है [देखें भारत संघ बनाम। सुगौली शुगर वर्क्स (पी) लिमिटेड [(1976) 3 एस. सी. सी. 32] और कॉक्स एंड किंग्स (एजेंट्स) लिमिटेड v. कामगार [(1977) 2 एस. सी. सी. 705: 1977 एससीसी

(एल एंड एस) 342]। इसके अलावा, एल. आई. एस. में किसी पक्ष की ओर से प्रवेश उस पर बाध्यकारी होगा और किसी भी स्थिति में यह अनुमान लगाया जाना चाहिए कि इसे स्थापित किया गया है। "

इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ, बिराद मल सिंघवी [1988] का अनुसरण किया।

एस. सी. सी. 604] और कई अन्य निर्णय।

47. तत्काल मामले में, नगर पालिका, रामपुर द्वारा वर्ष 2012 में जारी किए गए दस्तावेज़ स्पष्ट रूप से दर्ज की गई जन्म तिथि 1 जनवरी, 1993 को दर्शाते हैं और जो उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड द्वारा विधिवत समर्थित है। दसवीं कक्षा के बाद से सभी चरणों में जो केवल उत्पन्न किए गए थे

मूल्य। 48. इस संबंध में, यह ध्यान रखना प्रासंगिक हो सकता है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) स्पष्ट रूप से एमओएचडी का प्रतिपादन करती है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [अजय रस्तोगी, जे.]

जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण की अनुमति है बशर्ते मजिस्ट्रेट से आदेश लेने और जन्म तिथि की शुद्धता साबित करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया हो। हालाँकि अपीलार्थी का बचाव यह है कि क्योंकि उसका नाम पहले से ही पंजीकृत था

नगर निगम, लखनऊ के अभिलेखों में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) लागू नहीं हो सकती है, लेकिन यह प्रस्तुति इस कारण से गलत प्रतीत होती है कि नगर पालिका, रामपुर द्वारा बनाए गए जन्म रिकॉर्ड के आधार पर उन्हें 28 जून, 2012 को सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था और जन्म के दो अलग-अलग अभिलेख नहीं हो सकते हैं। एक ही व्यक्ति की दो अलग-अलग नगर पालिकाओं (रामपुर/लखनऊ) में उपलब्ध है और दी गई स्थिति में, नगर निगम, लखनऊ द्वारा बनाए गए अभिलेखों पर कोई विश्वसनीयता संलग्न नहीं की जा सकती है, और हमारे विचार में, अधिनियम, 1969 की धारा 13 (3) के तहत निर्धारित प्रक्रिया, सामान्य रूप से, अधिकारियों द्वारा अपनाई जानी थी, जबकि 21 जनवरी, 2015 को उसे एक नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जिसका वास्तव में नगर निगम, लखनऊ द्वारा सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन नहीं किया गया है।

49. तत्काल मामले में, अपीलार्थी की जन्म तिथि उसके अभिलेखों में 1 जनवरी, 1993 है और केवल वर्ष 2015 में जब

अपीलार्थी सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के लिए उत्सुक हो गया, अपीलार्थी की माँ (डी. डब्ल्यू.-5) ने 17 जनवरी, 2015 को पहली बार एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें दावा किया गया कि अपीलार्थी का जन्म 30 सितंबर को हुआ था।

जैसा कि नगर निगम, लखनऊ से आरोप लगाया गया है, हमारे माना जाता है कि इससे कोई संभावित मूल्य नहीं जोड़ा जा सकता था।

50. उच्च न्यायालय ने, हमारे सुविचारित विचार में, दस्तावेजी और अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक साक्ष्य की जांच की है, इसलिए हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय पारित करने में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं की गई थी, जिसके लिए हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

51. नतीजतन, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है।

कोई लागत नहीं।

52. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नागरत्ना जे।

मुझे उनके द्वारा प्रस्तावित निर्णय को पढ़ने का लाभ मिला है।

लॉर्डशिप अजय रस्तोगी, जे. हालांकि मैं उनके लॉर्डशिप द्वारा किए गए तर्क और निष्कर्ष से सहमत हूं, फिर भी, मैं तर्क पर विस्तार से बताना चाहता हूं और अपील को खारिज करने के लिए अतिरिक्त कारण भी बताना चाहता हूं।

2. यह अपील इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 2017 की चुनाव याचिका No.08 में दिनांक 16.12.2019 के फैसले पर आधारित है। जिसे यहाँ सफल उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को अनुमति दी गई है और यहाँ सफल उम्मीदवार का चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए किया गया है।

सुविधा के लिए, इसमें दलों के पद को दायर की गई चुनाव याचिका में उनके पद और स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा। उच्च न्यायालय के समक्ष। दूसरे शब्दों में, उन्हें क्रमशः चुनाव याचिकाकर्ता और सफल उम्मीदवार के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

3. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तत्काल अपील को जन्म देने वाले तथ्य हैं -

निम्नानुसारः

3.1 . धारा 15 के तहत एक अधिसूचना प्रकाशित की गई थी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद आर. पी. अधिनियम के रूप में संदर्भित), 34-स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा के चुनाव को अधिसूचित करता है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

चुनाव लड़ना 25.01.2017 था और मतदान 15.02.2017 पर होना था। अपीलार्थी सफल उम्मीदवार था जबकि चुनाव याचिकाकर्ता असफल उम्मीदवार था जिसने चुनाव याचिका दायर की थी।

3.2 . सफल उम्मीदवार ने 34-स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर से चुनाव लड़ने के लिए 24.01.2017 पर अपना नामांकन दाखिल किया।

उत्तर प्रदेश। इसके बाद, चुनाव याचिकाकर्ता, नवाब काज़िम अली खान ने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक आपत्ति दायर की, जिसमें सफल उम्मीदवार के नामांकन को इस आधार पर चुनौती दी गई कि वह अपना नामांकन दाखिल करते समय पच्चीस वर्ष का नहीं हुआ था और इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) को देखते हुए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था। चुनाव याचिकाकर्ता ने एक स्थानीय दैनिक दैनिक जागरण अमर उजाला में 28.01.2017 पर प्रकाशित एक समाचार पत्र लेख के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

3.3 . दिनांक 30.01.2017 के आदेश द्वारा, निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें सफल उम्मीदवार ने चुनाव आयोग की धारा 3 के कॉलम बी में कहा था।

नामांकन प्रपत्र, और प्रपत्र 26 में भी, कि उनकी आयु छब्बीस वर्ष थी।

इस तरह के दावे के समर्थन में, सफल उम्मीदवार ने अपना जन्म प्रमाण पत्र (No.229428) संलग्न किया था जो उसे नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21.05.2015 पर जारी किया गया था और उक्त दस्तावेज़ में, सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 30.09.1990 के रूप में दर्ज की गई थी। यह भी ध्यान दिया गया कि सफल उम्मीदवार के आधार कार्ड और मतदाता सूची के अनुसार, संबंधित समय पर उसकी आयु बीस-छह वर्ष थी।

चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों की अस्वीकृति और जमा किए गए दस्तावेजों और नामांकन पत्र में सफल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, उनका नामांकन निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

3.4 . चुनाव 15.02.2017 पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया था और 11.03.2017 पर अपीलार्थी को सफल उम्मीदवार घोषित किया गया था।

34 स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर से उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए चुनाव। उक्त चुनाव में चुनाव याचिकाकर्ता तीसरे स्थान पर रहा।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, चुनाव याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष 2017 की चुनाव याचिका दायर की, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए सफल उम्मीदवार के चुनाव को संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) की आवश्यकताओं का पालन न करने के लिए अमान्य घोषित किया जाए। भारत से। उक्त प्रार्थना को उच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई और सफल उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया गया। इसलिए यह अपील की गई है।

दलीलें:

5. चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा अपनी चुनाव याचिका में किए गए कथन निम्नलिखित सीमा के अलावा दोहराने की मांग नहीं करते हैं:

कि सफल उम्मीदवार ने बीस पूरा नहीं किया था

(i)

संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) के आलोक में स्वीकार किया गया भारत आर. पी. अधिनियम की धारा 36 (2) के साथ पढ़ा जाता है।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कि सफल लोगों द्वारा प्रस्तुत जन्म प्रमाण पत्र

(ख)

निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार डुप्लिकेट थे क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21.04.2015 पर जारी किए गए प्रमाण पत्र और

21.01.2015 , क्रमशः, और 30.09.1990 पर नहीं, जिस तारीख को सफल उम्मीदवार का जन्म हुआ था। इसलिए, ऐसे दस्तावेज़ प्रतिबिंबित नहीं करते थे

सफल उम्मीदवार की सही जन्म तिथि। कि निर्वाचन अधिकारी ने दायर आपत्ति को अस्वीकार कर दिया

111)

क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी मूल जन्म प्रमाण पत्र में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि का सत्यापन किए बिना चुनाव याचिकाकर्ता। क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र मनगढ़ंत दस्तावेज थे और सफल रहे।

उम्मीदवार का वास्तविक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था पंजीयक (जन्म और मृत्यु), नगर पालिका परिषद, रामपुर, उत्तर प्रदेश और उक्त दस्तावेज के अनुसार, उनकी तिथि

जन्म 01.01.1993 था और 30.09.1990 नहीं जैसा कि सफल उम्मीदवार द्वारा तर्क दिया गया था।

उपरोक्त दलीलों पर, चुनाव याचिकाकर्ता ने अलग रखने की मांग की

सफल उम्मीदवार का निष्कासन।

6. चुनाव याचिका के जवाब में, सफल उम्मीदवार

अनुभाग ने निम्नलिखित कथनों के साथ उच्च न्यायालय के समक्ष अपना लिखित बयान दायर किया:

i) कि उनका जन्म क्वीन मैरी अस्पताल में 30.09.1990 पर हुआ था,

लखनऊ, और 01.01.1993 पर नहीं, जैसा कि चुनाव याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है। इसलिए, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि पर उनकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक थी, यानी, उनके नामांकन की जांच की तिथि पर, यानी, 28.01.2017 और जिस तारीख को उन्हें निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था, यानी 11.03.2017 पर। इसलिए, वह चुनाव लड़ने और पद धारण करने के लिए विधिवत योग्य थे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) और आर. पी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत विधान सभा का सदस्य।

(ख)

कि निर्वाचन अधिकारी ने आपत्तियों को सही ढंग से खारिज कर दिया

चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया कि सफल ओ. एच. डी. में पर्याप्त प्रकृति का कोई दोष नहीं था।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

उम्मीदवार का नामांकन पत्र और साथ में

दस्तावेज़।

उपरोक्त कथनों के साथ यह प्रार्थना की गई थी कि चुनाव

चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर किए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाए क्योंकि

योग्यता से रहित।

6.1 . चुनाव याचिकाकर्ता ने लिखित में अपनी प्रतिकृति दाखिल की

जिसे नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया हैः

(ए) लिखित कथन की सामग्री को अस्वीकार करते हुए

सत्य और लिखित कथन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मनगढ़ंत, जाली और भ्रामक होने के कारण, चुनाव याचिकाकर्ता ने अपनी चुनाव याचिका की सामग्री को दोहराया।

(ख) चुनाव याचिकाकर्ता ने एक अतिरिक्त याचिका दायर की है

एसोसिएशन, मुख्य चुनाव अधिकारी को, खुलासा करते हुए सफल उम्मीदवार के पैन कार्ड के संबंध में विसंगतियाँ। कि सफल उम्मीदवार ने गुप्त रूप से एक नया पैन कार्ड प्राप्त किया था जिस पर नंबर था। डी. डब्ल्यू. ए. पी. के. 7513 आर जो

उसे 24.03.2015 पर जारी किया गया था, जिसमें उसकी जन्म तिथि 30.09.1990 के रूप में जानबूझकर इस तथ्य को छिपाकर दिखाया गया था कि उसने पहले से ही पैन कार्ड नं. डीएफओपीके6164 के चालू है

30.08.2013 जिसमें उनकी जन्म तिथि दर्ज की गई थी

01.01.1993 . मूल पैन कार्ड के अनुसार, सफल उम्मीदवार की आयु बीस-पाँच वर्ष से कम थी, जबकि उनके नए पैन कार्ड के अनुसार उनकी आयु बीस-छह वर्ष थी।

(ग) इसके अलावा, सफल उम्मीदवार ने एक बैंक खाता खोला था।

नहीं। 34341386006 भारतीय स्टेट बैंक में पैन कार्ड सं। डी. एफ. ओ. पी. के. 6164 के. जिसमें बैंक खाते में उनकी जन्म तिथि 01.01.1993 दर्ज की गई थी। कि सफल उम्मीदवार के पास दो पैन कार्ड थे और उसने अपनी सही आय का खुलासा नहीं किया था विधानसभा चुनाव लड़ते हुए।

प्रमाणः

7. पक्षों ने मौखिक के साथ-साथ दस्तावेजी साक्ष्य में अनुमति दी

आयन याचिकाः

7.1 . चुनाव याचिकाकर्ता ने पीडब्लू-1 के माध्यम से मौखिक साक्ष्य दिया - गवाह। चुनाव याचिकाकर्ता को प्रदर्शनी पी-1 से पी-4 तक चिह्नित किया गया भावनाएँ।

7.2 . सफल उम्मीदवार डी. डब्ल्यू.-1-डी. डब्ल्यू.-10 गवाहों के माध्यम से मौखिक साक्ष्य देता है। सफल उम्मीदवार को एक्स. बी. अंक दिया गया। नहीं।

आर 1-आर 12 दस्तावेज़।

7.3 . अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, उच्च न्यायालय ने चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को स्वीकार कर लिया

इसमें वर्ष 2017 में आयोजित 34-स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर के संबंध में सफल उम्मीदवार/अपीलार्थी के चुनाव को अलग रखें। पीड़ित सफल उम्मीदवार ने इसे प्राथमिकता दी है

अपील करें।

प्रस्तुतियाँः

हमने श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील को सुना है, जिन्हें सफल उम्मीदवार की ओर से विद्वान वकील द्वारा निर्देश दिया गया है, जिनका चुनाव हुआ था।

8. अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार की ओर से प्रस्तुतियाँ दोहराने के लिए आवश्यक नहीं हैं और निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत की गई हैंः 8.1 . सफल उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने कहा कि

उच्च न्यायालय को गलत सराहना के आधार पर प्रस्तुत किया गया था

कानून और विवाद से संबंधित तथ्य, और मुद्दे में तथ्य की गलत समझ पर भी। कि अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करने के समय और मतदान की तारीख को भी पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर ली थी और इसलिए वह विधान सभा के सदस्य का पद धारण करने के लिए हर तरह से सक्षम था।

8.2 . यह संतोषजनक था कि वर्तमान मामले में मुद्दा यह है कि

यह नहीं कि क्या सफल उम्मीदवार ने अपने आधिकारिक दस्तावेजों में अपनी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की है, लेकिन क्या सफल उम्मीदवार वास्तव में 01.01.1993 पर पैदा हुआ था; या क्या इस तथ्य के बावजूद कि कुछ दस्तावेजों में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 दर्ज की गई थी, वह वास्तव में किसी अन्य तिथि, यानी 30.09.1990 पर पैदा हुआ था।

8.3 . यह प्रस्तुत किया गया था कि सफल उम्मीदवार की वास्तविक जन्म तिथि के संबंध में सबसे अच्छा साक्ष्य, प्रशंसापत्र साक्ष्य था।

सफल उम्मीदवार की माँ (डी. डब्ल्यू.-5) और डॉक्टर (डी. डब्ल्यू.-3) जिन्होंने सफल उम्मीदवार को जन्म दिया। कि सबूत का कानून यह आवश्यक है कि प्रत्यक्ष और प्राथमिक साक्ष्य, यदि उपलब्ध हो, तो

किसी तथ्य के प्रमाण के लिए दिया जाना चाहिए और ऐसा साक्ष्य एम. ओ. एच. डी. का सबसे अच्छा प्रमाण होगा।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

ऐसा तथ्य। यह मूलभूत नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 59 से 65 और धारा 91 (संक्षिप्तता के लिए इसके बाद "साक्ष्य अधिनियम" के रूप में संदर्भित) में परिलक्षित होता है। तत्काल मामले में, सफल उम्मीदवार की माँ का साक्ष्य और

डॉक्टर को जन्म देना एक निश्चित तिथि पर सफल उम्मीदवार के जन्म के तथ्य का प्रत्यक्ष मौखिक प्रमाण है। 8.4 . यह जोरदार रूप से तर्क दिया गया कि डी. डब्ल्यू.-5 की गवाही पूरी तरह से उनकी सेवा पुस्तिका और वेतन रजिस्टर में पाठों के साथ-साथ अस्पताल के रिकॉर्ड द्वारा भी पुष्टि की गई थी। कि अस्पताल रिकॉर्ड करता है जैसे कि आपातकालीन ओटी। (ई. ओ. टी.) रजिस्टर और मातृत्व श्रम कक्ष रजिस्टर (एम. एल. आर.), न केवल प्राथमिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य थे जो जन्म की घटना के समकालीन थे, बल्कि सार्वजनिक दस्तावेज भी थे।

जिन्हें उचित अभिरक्षा से पेश किया गया था और इसलिए, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के साथ पठित धारा 35 के तहत प्रासंगिक और स्वीकार्य दोनों होंगे।

8.5 . इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-3 की गवाही का उल्लेख करते हुए, डॉ. उमा सिंह, जिन्हें डॉक्टर कहा जाता है जिन्होंने प्रसव को सक्षम बनाया।

सफल उम्मीदवार, यह प्रस्तुत किया गया था कि डी. डब्ल्यू. 3 द्वारा दिए गए बयान, जब अस्पताल के रिकॉर्ड के साथ विचार किया जाता है, तो निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि सफल उम्मीदवार का जन्म 30.09.1990 पर हुआ था। वह डी. डब्ल्यू.-3 एक ऐसा गवाह था, जो सफल उम्मीदवार के जन्म के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ था कि वह सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि के बारे में सच्चाई की पुष्टि करने में सक्षम हो। कि उच्च न्यायालय ने डी. डब्ल्यू.-3 के साक्ष्य की अवहेलना करने में एक गंभीर त्रुटि की एकमात्र आधार कि उसने कहा कि वह निश्चित रूप से यह कहने में असमर्थ थी कि 30.09.1990 पर DW-5 से पैदा हुआ बच्चा वास्तव में सफल उम्मीदवार था। डी. डब्ल्यू.-3 से इस तरह का दावा करने की अपेक्षा करना एक बेतुका आवश्यकता थी, जिस पर कानून के तहत विचार नहीं किया गया था।

8.6 . विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कपिल सिब्बल ने सफल उम्मीदवार की गर्भावस्था की अवधि में विसंगति को स्पष्ट करने की मांग की।

माता, जैसा कि प्रसूति श्रम कक्ष रजिस्टर में प्रासंगिक प्रविष्टि के कॉलम 10 में दर्ज किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उस समय सफल उम्मीदवार की माँ की आयु, यानी 38 वर्ष, 'गर्भावस्था की अवधि' के लिए समर्पित कॉलम में गलत तरीके से दर्ज की गई थी। यह कि यह एक लिपिकीय त्रुटि की प्रकृति में था और इसे अभिलेख की प्रामाणिकता से संबंधित सामग्री के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, विशेष रूप से, जब उक्त रजिस्टर में दर्ज अन्य सभी विवरण सही थे।

8.7 . जहां तक जालसाजी और अस्पताल के अभिलेखों के मनगढ़ंत होने के आरोपों का संबंध है, यह माना गया कि बाद की तारीख में सफल उम्मीदवार के जन्म के बारे में प्रविष्टियां करने के लिए, 1990 से रजिस्टरों में एक क्षैतिज स्थान को खाली रखने की आवश्यकता होगी, जब तक कि सफल उम्मीदवार पर जाली अभिलेख बनाने का आरोप नहीं लगाया जाता है। इस तरह की धारणा पूरी तरह से असंभव है और इसलिए, अस्पताल के रिकॉर्ड की जालसाजी और मनगढ़ंत होने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा, ऐसा कोई बेतुका अनुमान विशेष रूप से तब नहीं लगाया जा सका जब अस्पताल के रिकॉर्ड डी. डब्ल्यू.-4, अर्थात् डॉ. विनीता दास, स्त्री रोग और प्रसूति विभाग की प्रमुख के साथ-साथ डी. डब्ल्यू.-3 और डी. डब्ल्यू. 4 द्वारा जारी और उनके द्वारा साबित किए गए जन्म प्रमाण पत्र द्वारा पुष्टि की गई हो।

8.8 . इसके बाद यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय की सफल उम्मीदवार के स्कूल रिकॉर्ड पर निर्भरता, जिसमें उसकी जन्म तिथि थी

गलत तरीके से 01.01.1993 के रूप में दर्ज किया गया, गलत स्थान पर रखा गया था। उस स्कूल के अभिलेख जन्म के तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं और संभावनाओं के संतुलन पर, माँ के प्रत्यक्ष साक्ष्य, डॉक्टर को जन्म देने और समकालीन रूप से बनाए गए अस्पताल के अभिलेखों पर प्रमुखता नहीं दी जा सकती है। में। इस तरह के कथनों को मजबूत करने के लिए, बिरादमल सिंघवी बनाम आनंद पुरोहित ए. आई. आर. पर निर्भरता रखी गई थी। 1988 एससी 1796; सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार (2003) 8 एससीसी 673; जोशना गौड़ा बनाम वृंदावन गौड़ा (2012) 5 एससीसी 634।

8.9 . यह आगे प्रस्तुत किया गया कि स्कूल रिकॉर्ड में त्रुटि को डी. डब्ल्यू.-5 के साथ-साथ डी. डब्ल्यू.-9 द्वारा पर्याप्त रूप से समझाया गया था, जो वह व्यक्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सफल उम्मीदवार के साथ था।

उसे स्कूल में दाखिला दिलाएँ। यह कि भारत में स्कूल में प्रवेश के समय देर से जन्म तिथि देना एक आम प्रथा है ताकि सार्वजनिक सेवा के बढ़े हुए वर्षों का लाभ प्राप्त किया जा सके, और इस तरह की प्रथा को इस न्यायालय द्वारा बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रैट नारायण सिन्हा और अन्य मामलों में स्वीकार किया गया है। ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 282 8.10 . जहाँ तक सफल उम्मीदवार की माँ के जी. आई. एस. नामांकन पत्र पर चुनाव याचिकाकर्ता की निर्भरता का संबंध है, जिसमें उसने कहा था कि सफल उम्मीदवार की आयु 26.04.2001 पर आठ वर्ष थी, यह प्रस्तुत किया गया था कि उक्त दस्तावेज़ न तो प्रत्यक्ष था और न ही प्रत्यक्ष था।

एक निश्चित तिथि पर जन्म का समकालीन प्रमाण। जी. आई. एस नामांकन प्रपत्र सबसे अच्छा परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक टुकड़ा था जिसका कोई वजन नहीं था और यह स्थापित नहीं कर सका कि सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 थी।

8.11 . उपरोक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, यह दावा किया गया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने पर्याप्त सबूत प्रस्तुत नहीं किए थे ताकि -

अपने सकारात्मक मामले को साबित करने के लिए सबूत के बोझ का निर्वहन करना, जैसा कि कानून के तहत आवश्यक है, जैसा कि बिराद मल सिंघवी (ऊपर) और सुशील कुमार ने कहा है।

(ऊपर)। कि चुनाव याचिकाकर्ता का पूरा मामला जाली प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सफल उम्मीदवार के पिता द्वारा दबाव डालने के बारे में अनुमानों और गलत धारणाओं पर आधारित था और इसलिए, चुनाव याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए था।

उपरोक्त कथनों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाए और तत्काल अपील को खारिज करके अनुमति दी जाए

चुनाव याचिका।

9. प्रत्यर्थी चुनाव याचिकाकर्ता श्री बोपाराई के विद्वान वकील की ओर से प्रस्तुतियों का सारांश इस प्रकार हैः 9.1 . चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने विवादित फैसले का समर्थन किया और तर्क दिया कि चुनाव में कोई कमजोरी नहीं थी।

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष और निर्णय जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करेंगे। इसलिए, यह प्रार्थना की गई थी कि तत्काल अपील हो सकती है

खारिज कर दिया जाता है और 16.12.2019 दिनांकित उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की जाती है।

9.2 . विद्वान वकील ने अपनी दलीलों को विस्तार से बताते हुए कहा कि इसमें सफल उम्मीदवार का नामांकन सुआर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में किया गया है।

जिला निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर, को गलती से स्वीकार कर लिया गया था क्योंकि सफल उम्मीदवार की आयु कम थी और उसने पच्चीस वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) के तहत एक योग्यता और पात्रता मानदंड है। चूँकि सफल उम्मीदवार का नामांकन अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था और अंततः उन्हें उक्त चुनाव में सफल उम्मीदवार घोषित किया गया था, इसलिए परिणाम को दरकिनार किया जाना चाहिए था जो उच्च न्यायालय द्वारा सही किया गया था।

9.3 . चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि सफल उम्मीदवार की सही जन्म तिथि 01.01.1993 है

सफल उम्मीदवार की कक्षा-X की मार्कशीट में दर्ज; उसे जारी किए गए पासपोर्ट दिनांक 28.08.2006 और 13.07.2012, सफल

नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी उम्मीदवार का मूल जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2012, सफल उम्मीदवारों के पासपोर्ट आवेदन वर्ष 2012 से संबंधित उम्मीदवार और सफल [2022] 12 एस. सी. आर. को जारी किया गया वीजा।

उम्मीदवार दिनांकित 09.07.2014। यह आगे तर्क दिया गया कि उपरोक्त दस्तावेज सार्वजनिक दस्तावेज हैं और उन्हें सफल उम्मीदवार द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 और 35 के तहत स्वीकार्य और प्रासंगिक थे और ऐसे दस्तावेजों की वैधता के बारे में एक अनुमान उत्पन्न होगा।

9.4 . इसके बाद यह तर्क दिया गया कि सफल उम्मीदवार द्वारा लिया गया बचाव कि उसे गलत जन्म तिथि के बारे में पता चला

उपरोक्त दस्तावेजों में केवल वर्ष 2015 में उल्लेख किया गया था और पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों को अंततः रद्द कर दिया गया था, जिससे विश्वास पैदा नहीं हुआ क्योंकि सफल उम्मीदवार ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा था कि रद्द करने की प्रक्रिया वर्ष 2018 में शुरू की गई थी, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने के बहुत बाद। कि सफल उम्मीदवार का ऐसा आचरण इस तथ्य का प्रमाण था कि सफल उम्मीदवार से संबंधित अभिलेखों में जन्म की पूर्व तिथि गढ़ने का प्रयास केवल तभी किया गया था जब उसके चुनाव को चुनौती दी गई थी, और उससे पहले नहीं।

9.5 . चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कहा कि उन्होंने उपरोक्त को जोड़कर सबूत के प्रारंभिक बोझ का निर्वहन किया था

एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 26 ने तर्क दिया कि एक बार जब सफल उम्मीदवार ने उपरोक्त सार्वजनिक दस्तावेजों के निष्पादन को स्वीकार कर लिया था, तो सबूत की जिम्मेदारी सफल उम्मीदवार पर स्थानांतरित हो गई थी ताकि वह अनुमान का खंडन करने के लिए सबूत पेश कर सके और आगे यह प्रदर्शित कर सके कि उसकी जन्म तिथि 30.09.1990 है न कि 01.01.1993। 9.6 . चुनाव याचिकाकर्ता ने सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार (2003) 8 एस. सी. सी. 673 पर भी भरोसा किया, यह दावा करने के लिए कि जब दोनों दलों के पास है

एक चुनाव याचिका में प्रस्तुत साक्ष्य, सबूत की जिम्मेदारी का सवाल

यह अकादमिक हो जाएगा और इसलिए, यह न्यायालय के लिए था कि वह विपरीत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की सराहना करे और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सबूत के पूरे या हिस्से के बोझ का निर्वहन किसे करना था।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

9.7 . चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने सेवा पुस्तिका में जी. आई. एस. (समूह बीमा योजना) नामांकन प्रपत्र का उल्लेख किया

यह देखा गया कि एक बार जब किसी दस्तावेज़ को ठीक से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस दस्तावेज़ की सामग्री को भी साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है और इस तरह से स्वीकार किए गए तथ्य को स्थापित करने के लिए इस तरह के स्वीकार पर भरोसा करने वाले पक्ष को आगे कोई सबूत नहीं देना होगा। 9.8 . यह प्रस्तुत किया गया था कि ई. ओ. टी. रजिस्टर (उदा. आर-4 पेपर नं. ए-100/1-2) और एम. एल. आर. रजिस्टर (उदा. आर-5 पेपर नं. ए-101/1-2) सफल उम्मीदवार द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था, न तो थे

गर्भावस्था की अवधि आदि से संबंधित अभिलेखों में विसंगति, जिसे डी. डब्ल्यू.-3, डॉ. उमा सिंह ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डी. डब्ल्यू.-3 ने यह भी कहा कि वह इस बात की पुष्टि नहीं कर सकती कि सफल उम्मीदवार का जन्म 30.09.1990 पर हुआ था। 9.9 . इसके बाद यह तर्क दिया गया कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें सफल लोगों की जन्म तिथि है।

उम्मीदवार को 30.09.1990 के रूप में दिखाया गया था, जो जन्म रजिस्टर (Ex. आर-12 ए 96/4-5) जिसे डी. डब्ल्यू.-2, डॉ. अर्चना द्विवेदी, अतिरिक्त नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उक्त प्रविष्टि सार्वजनिक अभिलेखों में हेरफेर का परिणाम थी। उस डी. डब्ल्यू.-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा था कि जन्म रजिस्टर एक क्लर्क द्वारा बनाए रखा गया था और जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 (इसके बाद संक्षिप्तता के लिए "अधिनियम" के रूप में संदर्भित), और [2022] 12 एस. सी. आर. के अधिदेश के अनुसार निर्धारित प्रारूप में नहीं था।

इसे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, जन्म रजिस्टर को पृष्ठांकित नहीं किया गया था और सफल उम्मीदवार की मां के नाम की प्रविष्टि कालानुक्रमिक क्रम में नहीं की गई थी। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-2 ने गवाही दी कि अस्पताल द्वारा रखी गई जन्म सूची, जिसके आधार पर सफल उम्मीदवार के नाम की जन्म प्रविष्टि की गई थी

नगरपालिका द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में बनाया गया था, नहीं था

उपलब्ध है। इसलिए, नगरपालिका द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में आधार या प्रविष्टि करने का आधार उपलब्ध नहीं था और इसलिए, संबंधित प्रविष्टि बाहरी कारकों का परिणाम थी।

9.10 . इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि सफल उम्मीदवार द्वारा ऑसिफिकेशन परीक्षण के परिणाम पर रखी गई निर्भरता साबित नहीं हुई

कि उनका जन्म 30.09.1990 पर हुआ था। इस तरह के विवाद को मजबूत करने के लिए, चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने मुकर्रब और अन्य बनाम पर भरोसा रखा। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एस. सी. सी. 210 जिसमें इस न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि ऑसिफिकेशन टेस्ट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह है - उम्र का निर्णायक प्रमाण नहीं। इस तरह के तर्क को आगे बढ़ाते हुए, चुनाव याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने डी. डब्ल्यू.-8, डॉ. सतबीर सिंह केन की गवाही का उल्लेख किया, जिन्होंने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि अस्थिकरण परीक्षण उम्र का निश्चित प्रमाण नहीं है क्योंकि इस तरह के परीक्षण का परिणाम वास्तविक उम्र से कुछ हद तक भिन्न हो सकता है।

उपरोक्त कथनों के साथ, यह प्रार्थना की गई थी कि वर्तमान अपील

योग्यता से रहित होने के कारण खारिज किया जाए और विवादित निर्णय की पुष्टि की जाए।

विचार के लिए बिंदुः

10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत के विधानमंडल में एक सीट को भरने के लिए चुने जाने के योग्य नहीं होगा।

राज्य जब तक कि वह विधान सभा में सीट के मामले में कम से कम पच्चीस वर्ष का न हो और विधान परिषद में सीट के मामले में कम से कम तीस वर्ष का न हो। संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील और विद्वान वकील को सुनने के बाद और अभिलेख पर सामग्री के अवलोकन पर, निम्नलिखित बिंदु विचार के लिए उत्पन्न होंगेः

क्या उच्च न्यायालय सही और न्यायोचित था

((i)

सफल उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2017 की चुनाव याचिका No.08 को अनुमति देना और इस तरह विधायी एम. ओ. एच. डी. के सदस्य के पद के लिए सफल उम्मीदवार के चुनाव को अलग करना।

विधानसभा, 34-स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश, इस आधार पर कि सफल उम्मीदवार के नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति हुई थी और भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) का उल्लंघन हुआ था?

((ख) कौन-सा आदेश?

11. तथ्यों और तर्कों के वर्णन को दोहराने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय इसके कि सफल उम्मीदवार विधानसभा के लिए अपने चुनाव से व्यथित है, जबकि 34-स्वार निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश को चुनाव याचिकाकर्ता के कहने पर उच्च न्यायालय के विवादित फैसले द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। 12. चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दायर चुनाव याचिका को अनुमति देने में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए साक्ष्य पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, साक्ष्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के आलोक में सबूत के बोझ के संबंध में बार में उद्धृत इस न्यायालय के प्रासंगिक निर्णयों पर चर्चा और चित्रण करना आवश्यक है।

12.1 . भारतीय संदर्भ में 'सबूत के बोझ' के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाली कानूनी योजना, अधिनियम की धारा 101 से 106 में निहित है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम।

12.2 . भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी भी तथ्य के अस्तित्व को साबित करने के लिए बाध्य होता है, तो यह कहा जाता है कि सबूत का भार उस व्यक्ति पर है। यह धारा इस नियम पर आधारित है, अर्थात् संभावित रूप से संभावित रूप से नकारात्मक नहीं, जिसका अर्थ है कि बोझ

किसी तथ्य को साबित करना उस पक्ष पर निर्भर करता है जो काफी हद तक दावा करता है इस मुद्दे की पुष्टि करता है और उस पक्ष पर नहीं जो इसे नकारता है, क्योंकि एक नकारात्मक आमतौर पर सबूत देने में असमर्थ होता है। किसी तथ्य को साबित करने का भार हमेशा उस व्यक्ति पर होता है जो दावा करता है और जब तक कि इस तरह का बोझ कम नहीं हो जाता है।

आरोपमुक्त होने पर, दूसरे पक्ष को अपना मामला साबित करने के लिए बुलाए जाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत को इस बात की जांच करनी होगी कि क्या वह व्यक्ति किस पर है झूठ का बोझ अपने बोझ का निर्वहन करने में सक्षम रहा है। हालांकि, उपरोक्त नियम इस सामान्य सिद्धांत के अधीन है कि स्वीकार की गई चीजों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

12.3 . यह सवाल कि क्या किसी पक्ष द्वारा एल. आई. एस. को सबूत का भार सौंपा गया है या नहीं, तथ्यों पर निर्भर करेगा और

मामले की परिस्थितियाँ। यदि तथ्यों को स्वीकार किया जाता है या, यदि अन्यथा, [2022] 12 एस. सी. आर.

पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर लाई गई है ताकि अदालत को एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके, यह तर्क देना बेकार है कि जिस पक्ष पर सबूत का बोझ है, वह अभी भी सीधे सबूत पेश करने के लिए उत्तरदायी होगा, बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड। रतनानी (2009) 2 एस. सी. सी. 75: ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1499

12.4 . दस्तावेजों को साबित करने का बोझ केवल वादी पर होता है क्योंकि जिम्मेदारी हमेशा उस व्यक्ति पर होती है जो किसी प्रस्ताव या तथ्य पर जोर देता है जो स्वयं नहीं है।

जाहिर है। इस स्थिति को इस प्रभाव के अवलोकन में संक्षेपित किया गया है कि, एक दावे के लिए कि एक आदमी जो जीवित है वह पैदा हुआ था, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है;

दावा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर नहीं है, क्योंकि यह स्वयं स्पष्ट है।

कि वह पैदा हुआ था। लेकिन यह दावा करने के लिए कि वह एक निश्चित तारीख को पैदा हुआ था, यदि तारीख भौतिक है, तो प्रमाण की आवश्यकता होती है; व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है

रॉबिन्स बनाम नेशनल ट्रस्ट एंड कंपनी लिमिटेड 1927 एसी 515 के माध्यम से दावा करते हुएः 101 आईसी 903।

12.5 . इस मोड़ पर यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रमाण के बोझ और प्रमाण की जिम्मेदारी के बीच एक आवश्यक अंतर है। सबूत का बोझ

एक ऐसे व्यक्ति पर झूठ बोलता है जिसे तथ्य को साबित करना होता है और यह कभी नहीं बदलता है, दूसरी ओर, सबूत की जिम्मेदारी बदल जाती है। साक्ष्य के मूल्यांकन में इस तरह की जिम्मेदारी का स्थानांतरण एक निरंतर प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, स्वामित्व के आधार पर कब्जे के लिए एक मुकदमे में, एक बार जब वादी उच्च स्तर की संभावना पैदा करने में सक्षम हो जाता है ताकि प्रतिवादी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित की जा सके, तो यह प्रतिवादी पर है कि वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे और उसके अभाव में, वादी पर पड़े सबूत का बोझ इस तरह से निर्वहन किया गया माना जाएगा कि वादी के अधिकार के प्रमाण के बराबर है, आर. वी. ई. वेंकटचाला गौंडर बनाम अरुलमिगु विश्वेसरस्वामी और वी. पी. टेम्पल ए. आई. आर. 2003

एससी 4548 (4558-59): (2003) 8 एससीसी 752।

12.6 . साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के संदर्भ में, अपने दावे को साबित करने का प्रारंभिक भार हमेशा वादी पर होता है और यदि वह इसका निर्वहन करता है

12.7 . हालाँकि, जहाँ प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व किया गया है, वहाँ जिम्मेदारी के अमूर्त विचार जगह और सच्चाई से बाहर हैं या अन्यथा हमेशा पक्षों के नेतृत्व में साक्ष्य के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए [कलवा देवदत्तम बनाम। यूनियन ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 880]

12.8 . धारा 103 के अनुसार, किसी विशेष तथ्य के बारे में सबूत का भार उस व्यक्ति पर है जो चाहता है कि न्यायालय इसके अस्तित्व, एम. ओ. एच. डी. में विश्वास करे।

अकादमिक और विभाजित हो जाता है, प्रत्येक पक्ष को यह साबित करने के लिए बाध्य करता है कि संबंधित याचिका।

12.10 . धारा 106 धारा 101 में निर्धारित सामान्य नियम का एक अपवाद है, कि किसी तथ्य को साबित करने का भार उस पक्ष पर है जो

काफी हद तक इस मुद्दे की पुष्टि करता है। धारा 106 का उद्देश्य किसी व्यक्ति को उस कर्तव्य या बोझ से मुक्त करना नहीं है, बल्कि यह बताती है कि जब कोई तथ्य साबित किया जाना विशेष रूप से किसी पक्ष की जानकारी में होता है, तो उसे इसे साबित करना होता है। यह उन मामलों पर लागू होता है जहां तथ्य विशेष रूप से किसी पक्ष की जानकारी में है और किसी और के लिए नहीं है। धारा 106 में प्रयुक्त 'विशेष रूप से' अभिव्यक्ति का अर्थ है ऐसे तथ्य जो विशिष्ट या असाधारण हैं।

अपने ज्ञान के भीतर। इसका मतलब है कि कुछ तथ्यों की व्यक्तिगत जानकारी रखने वाले पक्ष का कर्तव्य है कि वह गवाह के रूप में पेश हो और यदि वह गवाह के पास नहीं जाता है, तो उसके खिलाफ एक मजबूत धारणा है। एक चुनाव याचिका में, लौटे उम्मीदवार की उम्र के निर्धारण को साबित करने का प्रारंभिक बोझ याचिकाकर्ता पर होता है, हालांकि, अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों को साबित करने का बोझ प्रतिवादी पर होता है। (सुशील कुमार

बनाम राकेश कुमार (ऊपर)) 12.11 . धारा 106 के प्रावधान यह निर्धारित करने में स्पष्ट और स्पष्ट हैं कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से धारा 106 के अंतर्गत आता है।

एक व्यक्ति का ज्ञान, उस तथ्य को साबित करने का बोझ उस पर है। यदि वह ऐसा करता है, तो उसे अपने बोझ का निर्वहन करने वाला माना जाना चाहिए, लेकिन यदि वह अपने विशेष ज्ञान के भीतर तथ्यों के आधार पर स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो वह धारा 106 द्वारा उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहता है।

[स्रोतः साक्ष्य के कानून पर सरकार, 20वां संस्करण, खंड 2।] 12.12 . सुशील कुमार बनाम राकेश कुमार (ऊपर) में,

विवाद एकमात्र प्रत्यर्थी के नामांकन की अनुचित स्वीकृति के संबंध में था, इस आधार पर कि वह [2022] 12 एस. सी. आर. से बिहार विधान सभा का चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था।

181 , परबत्ता निर्वाचन क्षेत्र। उक्त मामले में, अन्य बातों के साथ, कुंडली

उसमें प्रत्यर्थी के नाम और न्यू सेंट ज़ेवियर्स स्कूल, बोरिंग रोड, पटना के प्रवेश रजिस्टर और स्वामी विवेकानंद विद्यालय, मीठापुर, पटना द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र को यह साबित करने के लिए दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया गया था कि उसमें सफल उम्मीदवार उक्त विधानसभा चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था। उक्त मामले में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 का उल्लेख किया गया था और यह देखा गया था कि रजिस्टर को एक क़ानून के संदर्भ में या एक वैधानिक प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से बनाए रखा जाता है।

व्यवसाय का पाठ्यक्रम एक प्रासंगिक तथ्य होगा और यदि ऐसा महत्वपूर्ण साक्ष्य है

यदि प्रस्तुत किया गया था, तो यह मुद्दे को पकड़ लेगा। यह देखा गया कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है कि किसी के बयान के आधार पर स्कूल रजिस्टर में जन्म तिथि दर्ज की गई थी। जिम्मेदार व्यक्ति और यह कि प्रवेश रजिस्टर या प्राथमिक विद्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

इसके अलावा, बृज मोहन (सुप्रा) के साथ-साथ बिराद मल सिंघवी (सुप्रा) का संदर्भ दिया गया था और यह देखा गया था कि

प्राथमिक सामग्री जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, उसमें प्रस्तुत साक्ष्य को स्वीकार करना संभव नहीं होगा। सफल उम्मीदवार द्वारा स्कूल के प्रवेश रजिस्टर की जांच करते समय, यह देखा गया कि उक्त रजिस्टर में प्रविष्टियां एक व्यक्ति द्वारा एक बैठक में दो अलग-अलग कलमों के साथ की गई थीं। इसके अलावा, उक्त रजिस्टर में अन्य परिवर्तन किए गए थे और इसलिए, इसे कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती थी। यह देखा गया कि रजिस्टर में जालसाजी एक अपरिष्कृत रूप में की गई थी और उच्च न्यायालय ने उसी पर ध्यान दिया था, लेकिन फिर भी उक्त दस्तावेजों पर भरोसा करने के लिए आगे बढ़ा, जो कि

कानून में गलत दिशा। यह भी देखा गया कि इसमें प्रतिवादी को इस बारे में विशेष जानकारी थी कि उसने किस स्कूल में पढ़ाई की थी और उसे पढ़ना चाहिए।

उन्होंने अपनी शिक्षा के विवरण का खुलासा करने के बजाय इसका खुलासा किया है। उन्होंने दमन वेरी और सुझाव झूठी का सहारा लिया था और ऐसे दस्तावेज पेश किए थे जो स्पष्ट रूप से जाली और मनगढ़ंत थे। उसमें प्रत्यर्थी को न्यू सेंट ज़ेवियर्स जूनियर स्कूल में भर्ती नहीं कराया जा सकता था, क्योंकि उसकी उम्र अधिक थी और प्रत्यर्थी के पिता का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था। इसके अलावा, उक्त मामले में प्रतिवादी द्वारा दायर कुंडली ने विश्वास को प्रेरित नहीं किया। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-2 जिसने कुंडली पर साक्ष्य दिया, वह एक दर्शक था जिसका कुंडली की तैयारी या उसके लेखन से कोई लेना-देना नहीं था और उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं था और कुंडली को किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं देखा जा सकता था। साथ ही, एम. ओ. एच. डी. की ओर से एक आवेदन दायर किया गया था।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

उसमें प्रत्यर्थी को उस घटना के संबंध में जो अप्रैल, 1995 में हुई थी और अपीलार्थी की जन्म तिथि उस तारीख को चौदह वर्ष और इस प्रकार वर्ष 1996 में सोलह वर्ष कहा गया था और नामांकन दाखिल करने की तारीख को उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम थी।

यह अवलोकन करना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, धारा 17 से 20 में परिभाषित एक पक्ष का प्रवेश, ठोस है। सबूत प्रोप्रियो वीगोर। एक स्वीकार, यदि स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से किया जाता है, तो इसे बनाने वाले पक्ष के खिलाफ सबसे अच्छा सबूत है और भले ही निर्णायक, इस सिद्धांत पर निर्माता पर जिम्मेदारी डालता है कि 'जिसे एक पक्ष स्वयं सच मानता है उसे उचित रूप से ऐसा माना जा सकता है और जब तक कि अनुमान का खंडन नहीं किया जाता है, तब तक स्वीकार किए गए तथ्य को स्थापित किया जाना चाहिए।'

न्यायालय के समक्ष दिया गया बयान या उसे पर्याप्त रूप से समझाया जाना चाहिए। किसी भी संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में, अदालत यह मान लेगी कि अदालत के समक्ष बयान सही है और उस पक्ष पर बाध्यकारी है जिसकी ओर से बयान दिया गया है। बनाया गया "।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत, स्वीकार किए गए तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

12.13 . नरेंद्र सिंह बनाम माला राम और अन्य में। (1999) 8 एस. सी. सी. 198, विवाद नामांकन पत्रों की अनुचित अस्वीकृति और उस उम्मीदवार द्वारा चुनाव याचिका दायर करने के संबंध में था जिसके नामांकन पत्र अनुचित रूप से खारिज और अनुचित थे।

वापस लौटे उम्मीदवार के नामांकन पत्रों की स्वीकृति। इस न्यायालय ने राजेंद्र बाबू, जे. के माध्यम से बोलते हुए विचार के बारे में चर्चा की।

और चुनाव विवाद में साक्ष्य की सराहना। निर्णय के पैरा 15 में, यह देखा गया कि चुनाव विवाद में साक्ष्य की सराहना के मामले में सामान्य सिद्धांत यह है कि इस तरह के विवाद में कार्रवाई का कारण बनने वाले आवश्यक तथ्यों को साबित करने की जिम्मेदारी इसे बनाने वाले व्यक्ति, अर्थात् चुनाव याचिकाकर्ता पर है। किसी विशेष तथ्य को साबित करने के लिए कौन सा सबूत पर्याप्त होगा, यह [2022] 12 एस. सी. आर. पर निर्भर करता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ। जब प्रस्तुत साक्ष्य किसी भी तरह से निष्कर्ष निकालने में सक्षम होता है, तो वापस आए उम्मीदवार के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी होगी। राम सिंह बनाम कर्नल राम सिंह 1985 (पूरक) का संदर्भ दिया गया था। एस. सी. सी. 611, जिसमें यह देखा गया था कि "सीमावर्ती मामलों में अदालतों को 'सच्चाई को झूठ से अलग करने, भूसे को अनाज से अलग करने' का कठिन कार्य करना पड़ता है।

विश्लेषणः

अब मैं उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की शुद्धता का आकलन करने के लिए अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करूंगा।

(i) पुनः: अपीलार्थी के पासपोर्ट और वीजा-सफल

उम्मीदवारः

13. चुनाव याचिकाकर्ता ने पूर्व को प्रस्तुत किया। पी-1 और पी-3 जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दिखाई गई थी, तर्क दें कि सफल उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम थी

अपना नामांकन दाखिल करने का समय और यह तथ्य कि उपरोक्त दस्तावेजों ने जन्म तिथि को 01.01.1993 के रूप में इंगित किया था, सफल उम्मीदवार द्वारा विवादित नहीं था, हालांकि उक्त तिथि को उसकी जन्म तिथि के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था।

13.1 . यह ध्यान दिया जाता है कि सफल उम्मीदवार ने वर्ष में पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपने हस्ताक्षर के तहत आवेदन किए थे

2006 और 2012 (पूर्व। पी-1-पेपर नं. ए-49/1-4) जिसमें उन्होंने अपनी जन्म तिथि का उल्लेख 01.01.1993 के रूप में किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने कहा कि

सफल उम्मीदवार हमेशा इस तथ्य से अवगत था कि शैक्षिक प्रमाण पत्र और पासपोर्ट में, उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दिखाई गई थी और वर्ष 2015 तक उसे स्वीकार किया गया था।

13.2 . पीडब्लू-2, श्री. मोहम्मद. नसीम, पासपोर्ट अधिकारी, बरेली,

अपदस्थ किया कि वह अपने पासपोर्ट संख्या जारी करने के लिए आवेदन करते समय सफल उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों की फोटोकॉपी लेकर आया था। के-7951741 जो उन्हें बरेली पासपोर्ट कार्यालय से 13.07.2012 पर जारी किया गया था। पीडब्लू-2 ने बयान दिया कि सफल उम्मीदवार ने स्वास्थ्य विभाग/नगर निगम, रामपुर द्वारा जारी अपने जन्म प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की थी। 28.06.2012 , उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र की एक प्रति, स्टेट बैंक में उनके बैंक खाते से संबंधित एक पासबुक की एक प्रति और उनके पुराने पासपोर्ट संख्या की एक प्रति। एफ-8757022 28.08.2006 पर जारी किया गया जो

31.12.2010 तक वैध था। यह पूछे जाने पर कि क्या किसी आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां रिकॉर्ड में रखी जाती हैं, एमओएचडी।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

पीडब्लू-2 ने पदच्युत किया कि मूल प्रतियां वापस कर दी जाती हैं और स्व-सत्यापित प्रतियों को स्कैन किया जाता है।

13.3 . जब यह प्रश्न पूछा गया कि क्या संशोधन करके

सफल उम्मीदवार के पुराने पासपोर्ट संख्या में जन्म तिथि की विशेष प्रविष्टि। के-7951741, एक नया पासपोर्ट संख्या। जेड-4307442 उनकी जन्म तिथि का उल्लेख 30.09.1990 के रूप में करने के बाद उन्हें 10.01.2018 पर जारी किया गया था, पीडब्लू-2 ने अपदस्थ किया कि वह प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि प्रत्येक आवेदन पी. एस. पी. में अलग से उपलब्ध था।

प्रणाली। उन्होंने पदच्युत किया कि अदालत के आदेश के अनुपालन में, उन्होंने

केवल पासपोर्ट सं. का उपलब्ध रिकॉर्ड लाया। के-7951741 और यदि उसके बाद एक नया पासपोर्ट नं। जेड-4307442 जारी किया गया था, उसे सिस्टम से जांचना होगा। कि वह पासपोर्ट सं. से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने में सक्षम होगा। जेड-4307442 न्यायालय द्वारा निर्धारित अगली तारीख को, यदि वह वास्तव में जारी की गई थी।

13.4 . इसके अलावा, एक्स के अवलोकन पर। पी-1, पेपर नं. ए-49/1-4, जो पासपोर्ट आवेदन दिनांक 06.07.2012 है जो सफल व्यक्ति द्वारा किया गया है।

उम्मीदवार, मेरी राय है कि यह उनके अपने हस्ताक्षर के तहत बनाया गया है और उनकी जन्म तिथि 01.01.1993 और जन्म स्थान को रामपुर के रूप में दर्ज करता है। उस पृष्ठभूमि में, यह जांच करना आवश्यक है कि क्या दिनांकित पासपोर्ट आवेदन में दर्ज की गई जानकारी, उस आवेदन की सामग्री के प्रमाण के रूप में होगी, जिसमें दर्ज की गई जन्म तिथि और स्थान भी शामिल है।

13.5 . मेरा मानना है कि साक्ष्य का बहुत बड़ा मूल्य होना चाहिए।

पासपोर्ट कार्यालय जैसे किसी सरकारी प्रतिष्ठान या कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के साथ संलग्न और ऐसे आवेदन में दर्ज विवरण, उसके साथ जमा किए गए दस्तावेजों के साथ, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया समझा जाना चाहिए जो आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करता है जिससे यह स्वीकार किया जाता है कि उसमें जमा की गई जानकारी सही और सही है और अपनी जानकारी के अनुसार है। मैंने पाया कि इसमें सफल उम्मीदवार ने दिनांकित 06.07.2012 आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 थी और जन्म स्थान रामपुर था, बाद के समय में यह दावा नहीं कर सकता कि वह अनजान था, वर्ष 2015 तक कि विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 थी और उसका जन्म स्थान लखनऊ था। यह तथ्य कि सफल उम्मीदवार ने नगर निगम, रामपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को स्वयं सत्यापित किया है, जिसमें उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई है, यह स्थापित करेगा कि सफल उम्मीदवार ने [2022] 12 एस. सी. आर. में इस तथ्य को स्वीकार किया, स्वीकार किया और उस पर भरोसा करने की कोशिश की।

ऐसी जानकारी के आधार पर पासपोर्ट सुरक्षित करने का आदेश। इसलिए यह

सफल उम्मीदवार के लिए उपरोक्त स्पष्ट प्रवेश से बाद में फिर से हस्ताक्षर करने के लिए खुला नहीं है और तर्क देता है कि वह इस बात से अनजान था कि कुछ दस्तावेजों में 'गलत' जन्म तिथि दर्ज की गई थी। इस तथ्य को स्वीकार करने के बाद कि उनकी जन्म तिथि 01.01.1993 थी और जन्म स्थान रामपुर था, दिनांकित 06.07.2012 के आवेदन पत्र में, जो एक निर्विवाद समय पर था, सफल उम्मीदवार इस पद से पुनः आवेदन नहीं कर सकता है।

एक ही। 13.6 . मैं इस तथ्य पर भी ध्यान देता हूं कि सफल उम्मीदवार ने अपने पासपोर्ट पर कई विदेशों की यात्रा की थी जो प्राप्त किए गए थे।

वर्ष 2006 और 2012 में और वर्ष 2014 में दिया गया वीजा और इन दस्तावेजों में उनकी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दिखाई गई थी। मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूं कि सफल उम्मीदवार, जो नियमित रूप से वर्ष 2006 और 2012 में प्राप्त पासपोर्ट का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए करता था, यह देखने में विफल रहा कि पासपोर्ट में दर्ज जन्म तिथि गलत थी। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि एक शिक्षित व्यक्ति जैसे कि सफल उम्मीदवार ने नौ वर्षों (2006 से 2015) में अपने पासपोर्ट के पहले पृष्ठ को नहीं देखा था और बाद में ही यह समझ पाया था कि उसमें दर्ज की गई जन्म तिथि 'गलत' थी, जब वह राजनीति में प्रवेश करने और विधान सभा का चुनाव लड़ने के कगार पर था। सभा।

13.7 . इसके अलावा, मैं पी. डब्ल्यू. 4 के बयान पर भी ध्यान देता हूं। जिन्होंने अपदस्थ किया कि जन्म प्रमाण पत्र संख्या 3857, रजिस्टर संख्या 3857 से संबंधित सभी कागजात। R.N.P.B. 2012-03857, दिनांक 28.06.2012 नगर पालिका के कार्यालय में 08.05.2015 पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से नष्ट हो गया था। परिषद, रामपुर और यह कि ऐसी तारीख से पहले की अवधि से संबंधित कोई भी कागजात नगर पालिका परिषद, रामपुर के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थे। कि ऐसे दस्तावेज केवल कंप्यूटर द्वारा बनाए गए प्रपत्र और जन्म प्रमाण पत्र संख्या 3857, रजिस्टर संख्या 3857 की एक प्रति में उपलब्ध थे। R.N.P.B. 2012 03857, दिनांक 28.06.2012 प्रस्तुत किया गया था जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई थी।

13.8 . सफल उम्मीदवार द्वारा लिया गया रुख कि जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 28.06.2012 से संबंधित सभी दस्तावेज नगर पालिका परिषद, रामपुर के कार्यालय में 08.05.2015 पर शॉर्ट सर्किट के कारण जला दिए गए थे, यह सुझाव देगा कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई थी, बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में रद्द कर दिया गया। यह अजीब बात है कि वर्ष 1993 से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र को नष्ट कर दिया गया था।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

सफल उम्मीदवार विभिन्न अभिलेखों में अपनी जन्म तिथि को बदलने के लिए कई प्रयास कर रहा था। यह अविश्वसनीय है कि जब सफल उम्मीदवार ने राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की और कई क्षेत्रों में अपनी जन्म तिथि को सही करने की दिशा में विभिन्न प्रयास किए। अभिलेख, अर्थात, वर्ष 2015 में, उक्त प्रमाणपत्र से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र और प्रासंगिक दस्तावेज, जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 दर्ज की गई थी, आग में नष्ट हो गए और तदनुसार रद्द कर दिए गए।

13.9 . यह भी ध्यान दिया जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र की मांग करने वाला आवेदन 28.06.2012 पर किया गया था जिस पर नंबर था। आरएनपीपी 2012-03857 से नगर तक

पालिका परिषद, रामपुर और उसी तारीख को सफल उम्मीदवार को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें जन्म तिथि "1-जनवरी" दिखाई गई थी।

. ” 1993

जन्म स्थान को "घर और मीज बाजार खा, जे ल रोड, रामपू" के रूप में दिखाया गया था। आर.

उक्त पता बच्चे के जन्म के समय उसके माता-पिता का पता यानी सफल उम्मीदवार के साथ-साथ स्थायी पता दिखाया गया है।

माता-पिता का पता। उक्त दस्तावेज़ से यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि वर्ष 2012 में, याचिकाकर्ता ने जानबूझकर नगर पालिका परिषद, रामपुर में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन किया ताकि एक नया पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए इसे जोड़ा जा सके। आगे का अनुमान है कि मैं

उक्त दस्तावेज़ से निष्कर्ष यह है कि सफल उम्मीदवार ने नगर पालिका परिषद, रामपुर से अपना जन्म प्रमाण पत्र मांगा है क्योंकि वह रामपुर में पैदा हुआ था और जन्म प्रमाण पत्र स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह था 01.01.1993 पर पैदा हुआ। इसके बाद उक्त जन्म प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। पीडब्लू-4 ने बयान दिया है कि सफल उम्मीदवार को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित सभी दस्तावेज 08.05.2015 पर आग में नष्ट हो गए थे जो वास्तव में अजीब और रहस्यमय है क्योंकि तब तक सफल उम्मीदवार ने नगर निगम, लखनऊ से "डुप्लिकेट" जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया था।

(ii) पुनः: सफल उम्मीदवार के शैक्षिक प्रमाण पत्रः

14. माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के अनुसार दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र

(पी4, पेपर नं. ए-25/1) वर्ष 2007 में C.B.S.E द्वारा जारी किया गया, सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि इस संबंध में सफल उम्मीदवार द्वारा लिया गया रुख यह है कि उसे पता चला कि उसकी जन्म तिथि 'गलत तरीके से' माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र (दसवीं कक्षा) में केवल वर्ष 2015 में 'आईडी1' के रूप में उल्लिखित की गई थी, जब वह अपने शैक्षिक अभिलेखों की जांच कर रहा था, अविश्वसनीय और असत्य था।

14.1 . जहाँ तक सफल उम्मीदवार के शैक्षिक रिकॉर्ड का संबंध है, जिसमें उनकी जन्म तिथि 01.01.1993 दर्ज है, उनका कहना है कि उनके पिता के व्यस्त सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कारण, उनके पिता के दोस्त शाहजेब खान (डी. डब्ल्यू.-9) ने उसे सेंट पॉल स्कूल, रामपुर की नर्सरी कक्षा में भर्ती कराया। यह सफल उम्मीदवार का मामला है कि उसकी जन्म तिथि को गलत तरीके से 30.09.1990 के बजाय 01.01.1993 के रूप में दर्ज किया गया था और यह उसके सभी शैक्षिक अभिलेखों में जारी रहा। कि उन्होंने अपने अभिलेखों में उल्लिखित जन्म तिथि को बदलने के लिए सेंट पॉल स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से C.B.S.E पर आवेदन किया और स्कूल को कई अनुस्मारक भी भेजे और उन्हें इलाहाबाद में C.B.S.E के कार्यालय में भेज दिया गया, हालांकि, आज तक C.B.S.E द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी।

14.2 . इस संबंध में, सफल उम्मीदवार की डी. डब्ल्यू.-5 माँ ने अपदस्थ किया कि उनके पारिवारिक मित्र शाहजेब खान (डी. डब्ल्यू.-9) सफल उम्मीदवार को वर्ष 1995 में नर्सरी कक्षा में प्रवेश के लिए सेंट पॉल स्कूल, रामपुर ले गए और गलत तरीके से जन्म तिथि 01.01.1993 दर्ज की।

प्रवेश प्रपत्र में 30.09.1990 के बजाय। कि सफल उम्मीदवार का जन्म 30.09.1990 पर हुआ था और उसके शैक्षिक रिकॉर्ड में उल्लिखित जन्म तिथि गलत थी। डी. डब्ल्यू.-5 से पूछा गया कि क्या वह जानती है कि उसके बेटे-सफल उम्मीदवार ने स्नातक डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री के तहत दसवीं, बारहवीं कक्षा में उसकी जन्म तिथि का उल्लेख 01.01.1993 के रूप में किया था। डी. डब्ल्यू.-5 ने अपदस्थ किया कि जब उसका बेटा स्नातक के अंतिम वर्ष में था, तो उसने उसे सूचित किया कि उसके शैक्षिक रिकॉर्ड में जन्म तिथि थी गलत तरीके से उल्लेख किया गया है और अन्य शैक्षणिक अभिलेखों में जन्म तिथि को दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि को बदले बिना ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए, स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि को सही करने के लिए प्रिंसिपल, सेंट पॉल स्कूल रामपुर को एक आवेदन दिया गया था।

14.3 . डी. डब्ल्यू.-9, जिसे वह व्यक्ति कहा जाता है जो सफल उम्मीदवार के साथ सेंट पॉल स्कूल में उसे नर्सरी में भर्ती कराने के लिए गया था।

कक्षा की भी जांच की गई। डी. डब्ल्यू.-9 ने पदच्युत किया कि वर्ष 1995 में, वह सफल उम्मीदवार को सेंट पॉल स्कूल, सिविल लाइन्स, रामपुर ले गया।

उसने उक्त विद्यालय में प्रवेश लिया। कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद, मास्टर जो प्रवेश देने के प्रभारी थे, ने सफल उम्मीदवार को नर्सरी कक्षा में नामांकित कराया और प्रवेश पत्र में अपनी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में रखी और DW-9 को हस्ताक्षर करने के लिए कहा और DW 9 ने उसी पर हस्ताक्षर किए। 14.4 . मेरा विचार है कि सफल उम्मीदवार द्वारा अपनी जन्म तिथि में 'त्रुटि' की व्याख्या करने के लिए वर्णित संस्करण, जैसा कि सभी में दर्ज है।

शैक्षिक अभिलेख, सफल उम्मीदवार के मामले में सहायता नहीं करेंगे।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

वर्ष 1995 में सेंट पॉल स्कूल, रामपुर की कक्षा में, और अनजाने में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि का उल्लेख 01.01.1993 के रूप में किया था। हालाँकि, डी. डब्ल्यू.-9-शाहजेब खान ने अपनी परीक्षा के पैराग्राफ 5-इन-चीफ में अपदस्थ किया है कि मास्टर ने प्रवेश पत्र में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि लिखी थी। इसलिए, मैं इस संबंध में डी. डब्ल्यू.-5 या डी. डब्ल्यू.-7 के बयानों को अधिक महत्व देने के लिए इच्छुक नहीं हूं क्योंकि वे एक दूसरे के साथ असंगत हैं। 14.5 . यह आगे ध्यान दिया जाता है कि सफल उम्मीदवार ने जोर देकर कहा है कि उसकी जन्म तिथि 30.09.1990 है न कि 01.01.1993 और वर्ष 1995 में नर्सरी कक्षा में उसके प्रवेश के समय एक गलत तारीख दी गई थी। इसका मतलब है कि सफल

उम्मीदवार को नर्सरी कक्षा में प्रवेश देने की मांग की गई थी जब वह लगभग साढ़े पांच साल का था जो विश्वास करने योग्य नहीं है क्योंकि वह उस वर्ग के लिए अधिक उम्र का होगा। दूसरी ओर, यदि उनका जन्म 01.01.1993 पर हुआ होता, तो यह संभव है कि ढाई साल की उम्र में उन्हें नर्सरी कक्षा में भर्ती कराया गया होता, जो नर्सरी में प्रवेश पाने के लिए सही उम्र है। इसके अलावा, सफल उम्मीदवार

लगभग साढ़े 14 वर्ष जब उन्होंने अपनी 10 वीं कक्षा पूरी की और साढ़े 16 वर्ष जब उन्होंने अपनी 12 वीं कक्षा पूरी की जो ऐसा करने की सामान्य आयु है। यदि सफल उम्मीदवार के अनुसार उसकी वास्तविक जन्म तिथि है 30.09.1990 , अनुमान यह है कि जब उन्होंने अपनी 10 वीं कक्षा पूरी की होगी तो उनकी आयु लगभग साढ़े 17 वर्ष और 12 वीं कक्षा पूरी करने पर साढ़े 19 वर्ष होगी जो असंभव है। इसके अलावा, कोई स्पष्टीकरण नहीं है

रिकॉर्ड करें कि देर से उम्र में उन्होंने वर्ष 2009 में अपनी 10 वीं कक्षा और इंटरमीडिएट की परीक्षा क्यों पूरी की।

14.6 . डी. डब्ल्यू.-7 जो सेंट पॉल स्कूल, रामपुर के निदेशक हैं।

सफल उम्मीदवार द्वारा बताए गए संस्करण को साबित करने के लिए भी जांच की गई थी। उन्होंने अपदस्थ कर दिया कि सफल उम्मीदवार ने स्कूल को 23.03.2015 दिनांकित एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2015 में उन्हें पता चला कि उनकी जन्म तिथि गलत तरीके से उनके शैक्षिक प्रमाणपत्रों में 01.01.1993 के रूप में दर्ज की गई थी, जबकि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 30.09.1990 था और उन्होंने डी. डब्ल्यू.-7 से आवश्यक परिवर्तन करने का अनुरोध किया।

उन्होंने बदले में 23.03.2015 दिनांकित पत्र को क्षेत्रीय कार्यालय, [2022] 12 एस. सी. आर. को भेज दिया।

सफल उम्मीदवार को 30.09.1990 के रूप में दिखाया गया था और इसलिए, इसे 01.01.1993 से 30.09.1990 में बदला जाना चाहिए। इसके अलावा, अनुस्मारकों में, डी. डब्ल्यू.-7 ने कहा कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर और अस्पताल द्वारा प्रदान किए गए जन्म प्रमाण पत्र में, सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि बताई गई है। इसे 30.09.1990 के रूप में दिखाया गया था और इसलिए, शैक्षिक अभिलेखों में जन्म तिथि को भी 01.01.1993 से 30.09.1990 में बदला जाना चाहिए।

14.7 . यह आगे ध्यान दिया जाता है कि सफल उम्मीदवार की ओर से किए गए अनुरोध पर, के प्राचार्य द्वारा कई पत्र संबोधित किए गए थे

सेंट पॉल स्कूल, रामपुर ने क्षेत्रीय अधिकारी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इलाहाबाद से सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि को सही करने की अनुमति का अनुरोध किया। इसके अलावा, उक्त अनुमति नहीं दी गई थी और 30.10.2017 पर, सफल उम्मीदवार-DW-5 की मां को संबोधित एक पत्र में कहा गया था कि मामला बीस था। वर्षों पुराना और स्कूल के लिए आवश्यक विवरण का पता लगाना संभव नहीं था। इसका मतलब यह होगा कि स्कूल के रिकॉर्ड में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दिखाई देती है और उस आधार पर सफल उम्मीदवार के अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड भी उसकी जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में इंगित करते हैं। सफल उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत पासपोर्ट आवेदन पत्र की मांग करने वाले आवेदन को देखने पर, यह है -

उन्होंने कहा कि उनकी जन्म तिथि और जन्म स्थान का उल्लेख 01.01.1993 और रामपुर में किया गया है। इसके अलावा, उनके द्वारा दिए गए दो संदर्भ रफी राजा खान और रिज़वान मोहम्मद खान भी हैं जो ग़ैर मीर बाज़ खान, जेल रोड, रामपुर में रहते हैं। सफल उम्मीदवार के स्थायी आवासीय पते का विवरण ग़ैर मीर बाज़ खान, जेल रोड, रामपुर, गंज, उत्तर प्रदेश के रूप में भी दिखाया गया था। इसका मतलब यह होगा कि स्कूल के अभिलेखों में, अपीलार्थी की जन्म तिथि 01.01.1993 और उसका जन्म स्थान रामपुर बना हुआ है।

14.8 . लेकिन चूंकि डी. डब्ल्यू.-7 ने C.B.S.E को किए गए अपने अनुरोध में जन्म और मृत्यु और जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि पर भरोसा किया।

अस्पताल द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र, यह जांचने के लिए आवश्यक है कि क्या उक्त रजिस्टर और अस्पताल के रिकॉर्ड वास्तविक थे और एम. ओ. एच. डी. पर भरोसा किया जा सकता है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

पर। तदनुसार, ऐसे प्रश्नों की जांच विश्लेषण के निम्नलिखित खंड में की गई है।

रीः क्या जन्म प्रमाण पत्र जिसमें पंजीकरण हो

iii)

नहीं। एन. एन. एल. के. ओ.-बी.-21.01.2015 पर जारी किया गया

नगर निगम, लखनऊ, एक वैध टुकड़ा था सबूत?

15. जन्म प्रमाण पत्र की वैधता का पता लगाने के लिए

पंजीकरण सं। एन. एन. एल. के. ओ.-बी.-2015-292611 नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21.01.2015 पर जारी किया गया, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित दस्तावेजों पर भरोसा रखाः क) (उदा. आर-12 ए-96/1-5), बी) (एक्स। आर-12 ए-96/3), सी) (एक्स। 12 पेपर नं. ए-96/4-5) 15.1 . सफल उम्मीदवार के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित उपरोक्त दस्तावेजों और मूल अस्पताल की फाइल को देखने पर,

डी. डब्ल्यू.-2 द्वारा प्रस्तुत, यह देखा गया है कि फाइल में केवल एक आवेदन और एक शपथ पत्र (उदा. आर-12 ए-96/1-5) दिनांकित 17.01.2015 सफल उम्मीदवार की मां द्वारा शहर के स्वास्थ्य अधिकारी, नगर को बनाया गया निगम, लखनऊ, जन्म प्रमाण पत्र और कंप्यूटर जनरेटेड शीट जारी करने के लिए (उदा. आर-12 ए-96/3) जिसमें सफल उम्मीदवार के जन्म पंजीकरण का विवरण था।

15.2 . उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जन्म रजिस्टर (उदा. 12 पेपर नं. डी. डब्ल्यू.-2 द्वारा प्रस्तुत ए-96/4-5) न तो प्रमाणित था और न ही प्रमाणित।

किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित और पृष्ठांकित भी नहीं किया गया था। उस डी. डब्ल्यू.-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि जन्म रजिस्टर एक क्लर्क द्वारा बनाए रखा गया था और निर्धारित प्रारूप में नहीं था। 1969 के अधिनियम का अधिदेश, और इसे किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित नहीं किया गया था। इसके अलावा, जन्म रजिस्टर को पृष्ठांकित नहीं किया गया था और सफल उम्मीदवार की मां के नाम की प्रविष्टि कालानुक्रमिक क्रम में नहीं की गई थी। डी. डब्ल्यू.-2 ने आगे गवाही दी कि

अस्पताल द्वारा रखी गई जन्म सूची, जिसके आधार पर नगर पालिका द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में जन्म प्रविष्टि की जाती है, उपलब्ध नहीं थी। उपर्युक्त मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर,

उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जन्म रजिस्टर (उदा. 12 पेपर नं. ए-96/4-5) हेरफेर और अंतर्वेशन का एक स्पष्ट मामला था, क्योंकि सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि और नाम की प्रविष्टि को पृष्ठ के नीचे एक छोटी सी जगह में डाला गया था जिसमें दिखाया गया था कि यह 30.09.1990 पर किया गया था। यह भी नोट किया गया कि जन्म रजिस्टर में सफल उम्मीदवार की प्रविष्टि पर किसी भी प्राधिकरण [2022] 12 एस. सी. आर. का कोई हस्ताक्षर या आदेश नहीं था।

नगर निगम, लखनऊ, या उप-मंडल मजिस्ट्रेट; उच्च न्यायालय ने इसलिए अभिनिर्धारित किया कि सफल उम्मीदवार के नाम की प्रविष्टि 30.09.1990 पर नहीं की गई थी और उक्त प्रविष्टि एक अंतर्वेशन थी।

15.3 . उच्च न्यायालय, शपथपत्र के अवलोकन पर (उदा. आर-12 ए-96/1-5) दिनांकित 17.01.2015 डॉ. तजीन फातिमा (डी. डब्ल्यू.-5), माँ द्वारा बनाई गई

सफल उम्मीदवार ने डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की मांग करते हुए कहा कि सफल उम्मीदवार की मां ने उक्त हलफनामे में इस तथ्य को छुपाया था कि एक और जन्म प्रमाण पत्र (उदा. पी-3 पेपर नं. ए-80/1) नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी किया गया था और बाद में इसे 30.01.2015 पर रद्द कर दिया गया था। 15.4 . यह भी देखा गया है कि सफल उम्मीदवार की मां ने शहर के स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को सफल उम्मीदवार के जन्म के पच्चीस (25) वर्षों के बाद 17.01.2015 पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था।

1969 के अधिनियम की धारा 13। इसके अलावा यू. पी. का नियम 9। जन्म और मृत्यु नियम, 2002 और 1969 अधिनियम की धारा 13 (3),

कि कोई भी जन्म या मृत्यु जो इसकी घटना के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं की गई थी, केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म या मृत्यु की शुद्धता को सत्यापित करने के बाद और निर्धारित शुल्क के भुगतान पर किए गए आदेश पर पंजीकृत की जाएगी। उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 9 (3) में प्रावधान किया गया है कि कोई भी जन्म या मृत्यु जो इसकी घटना के एक वर्ष के भीतर पंजीकृत नहीं किया गया था, केवल उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश पर और रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान के बाद पंजीकृत किया जाएगा। 10 / - . इसलिए मैं यह विचार कि नगर निगम, लखनऊ को बीस-पाँच वर्षों के बाद सफल उम्मीदवार के जन्म को पंजीकृत करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

जिस तारीख को उनका जन्म 21.01.2015 पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करके बताया गया था। पी-2 पेपर सं। उत्तर प्रदेश जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियम, 2002 के नियम 9 (3) के साथ पठित 1969 अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत उप-मंडल मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना। ठीक में, यह माना जाता है कि जन्म प्रमाण पत्र (उदा। पी-2 पेपर नं. ए-63/1) जो नगर निगम, लखनऊ द्वारा 21.01.2015 पर जारी किया गया था, अमान्य था।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

15.5 . विवादित निर्णय से, यह आगे नोट किया जाता है कि जन्म में सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि के संबंध में प्रविष्टि

रजिस्टर, जिसे 30.09.1990 दिखाया गया है, वर्ष 2015 में सभी संभावनाओं में डाला गया था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि नगर द्वारा 21.01.2015 पर सफल उम्मीदवार को जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था

निगम, लखनऊ और उस समय सफल उम्मीदवार के पिता

15.6 . जन्म प्रमाण पत्र की वैधता का पता लगाने के लिए पंजीकरण संख्या। एन. एन. एल. के. ओ.-बी-21.01.2015 पर जारी किया गया नगर निगम, लखनऊ द्वारा, सफल उम्मीदवार की माँ द्वारा संबोधित अनुरोध पत्र-डी. डब्ल्यू.-5-तजीन फातिमा दिनांक 19.01.2015 को शहर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम को संबोधित किया जाना चाहिए।

लखनऊ, सफल उम्मीदवार को जन्म प्रमाण पत्र और नगर निगम, लखनऊ द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर की प्रति जारी करने के लिए, जिसमें सफल उम्मीदवार के नाम की प्रविष्टि 30.09.1990 पर की गई थी।

15.7 . डी. डब्ल्यू.-2 डॉ. अर्चना द्विवेदी, अतिरिक्त प्राचार्य

लखनऊ के आयुक्त ने कहा कि अदालत के दिनांकित 27.05.2019 के आदेश के अनुसार, वह 21.01.2015 पर जारी सफल उम्मीदवार का मूल जन्म प्रमाण पत्र और क्लीन मैरी का जन्म रिकॉर्ड लेकर आई थी।

अस्पताल 01.01.1990 से 31.12.1990 तक। उसने स्वीकार किया कि रजिस्टर/अस्पताल के जन्म रिकॉर्ड में पृष्ठ संख्या नहीं थी और न ही यह था किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित या सत्यापित किया गया। डी. डब्ल्यू.-2 पहले रखा गया

अदालत ने अस्पताल के जन्म अभिलेख में प्रासंगिक प्रविष्टि की जो 30.09.1990 पर तजीन फातिमा के प्रसव से संबंधित थी। क्रॉस के दौरान

1969 के अधिनियम, डी. डब्ल्यू.-2 में निर्धारित प्रारूप में जन्म रजिस्टर का उत्तर हां में दिया गया; हालाँकि, इस सवाल के जवाब में कि क्या जन्म अदालत में उनके द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में था, उन्होंने नकारात्मक में जवाब दिया। यह पूछे जाने पर कि 30.09.1990 पर जन्म रजिस्टर में किस आधार पर प्रविष्टि की गई थी और क्या वह आई थी

इससे संबंधित कोई भी कागजात, डी. डब्ल्यू.-2 ने अपदस्थ किया कि जन्म रजिस्टर [2022] 12 एस. सी. आर. में प्रविष्टियाँ।

अस्पताल द्वारा प्रदान की गई जन्म सूची के अनुसार बनाई गई थी, हालांकि, उक्त सूची अदालत के समक्ष पेश करने के लिए उपलब्ध नहीं थी।

15.8 . इस सवाल का जवाब देते हुए कि जन्म रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टियां करने के कितने दिनों के बाद जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, डी. डब्ल्यू.-2 ने अपदस्थ किया कि जन्म प्रमाण पत्र तब जारी किया जाता है जब कोई आवेदक अनुरोध पत्र को संबोधित करता है और अस्पताल से जन्म सूची प्राप्त करने के तुरंत बाद जन्म पंजीकृत किया जाता है।

15.11 . इन तथ्यों पर उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष के आलोक में आगे विचार किया जाना चाहिए कि सफल उम्मीदवार से संबंधित प्रविष्टि पृष्ठ के नीचे, जन्म रजिस्टर में एक छोटी सी जगह में डाली गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि यह 30.09.1990 पर की गई थी। 15.12 . यह भी ध्यान दिया जाता है कि जन्म रजिस्टर के प्रासंगिक कॉलम में सफल उम्मीदवार को 'हिंदू' के रूप में दर्ज किया गया था। यह चुनाव याचिकाकर्ता के मामले को और मजबूत करेगा कि सफल उम्मीदवार के विवरण को बाद में रजिस्टर में एक स्थान में जोड़ा गया था, जो मूल रूप से किसी अन्य जन्म से संबंधित था।

15.13 . उपरोक्त चर्चा के आलोक में, मेरा विचार है कि द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 21.01.2015 पर कोई भार नहीं डाला जा सकता है।

नगर निगम, लखनऊ, जिसे अस्पताल द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के बल पर जारी किया गया है और संबंधित अस्पताल के रिकॉर्ड में हेरफेर और अंतर्वेशन द्वारा बनाया गया है। इसलिए यह माना जाता है कि किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में कि क्यों

जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि का आधार बनने वाली प्रासंगिक जन्म सूची, न्यायालय के समक्ष पेश करने के लिए उपलब्ध नहीं थी, जन्म रजिस्टर के साथ कोई साक्ष्य मूल्य संलग्न नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप यह माना जाता है कि ऐसे दस्तावेजों के आधार पर नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता है।

15.14 . यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 दिखाने वाला जन्म प्रमाण पत्र अभी भी अपने पास था

क्षेत्र और वैध और इस प्रकार जब तक इसे बाद में रद्द नहीं किया गया, तब तक सफल उम्मीदवार के पास दो अलग-अलग स्थानों पर और दो अलग-अलग तिथियों पर अपनी जन्म तिथि दिखाने वाले दो जन्म प्रमाण पत्र थे, अर्थात्, एक रामपुर में 01.01.1993 पर और दूसरा लखनऊ में 30.09.1990 पर जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि जहां तक सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि का संबंध है, केवल एक जन्म प्रमाण पत्र वैध और सही था। मेरे विचार में, सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि दिखाने वाला प्रमाण पत्र

01.01.1993 रामपुर में सही प्रमाण पत्र है न कि वर्ष 2015 में प्राप्त प्रमाण पत्र।

15.15 . उपरोक्त चर्चा के आलोक में, नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी दिनांकित जन्म प्रमाण पत्र की अयोग्यता के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

(iv) पुनः: प्रविष्टियों के आधार पर 30.09.1990 पर जन्म प्रमाण

अस्पताल के अभिलेखों और मौखिक साक्ष्य में:

16. डी. डब्ल्यू-3-डॉ. क्वीन मैरी अस्पताल की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ उमा सिंह ने कहा कि वह अपने साथ संबंधित प्रसव कक्ष लेकर आई थीं।

रजिस्टर एंड ऑपरेशन थिएटर रजिस्टर (ओटी रजिस्टर)। पृष्ठ संख्या का उल्लेख करते हुए। 225 श्रम रजिस्टर (एम. एल. आर.) की वार्षिक सं. 1826 मासिक सं। 257 , उसने अपदस्थ कर दिया कि प्रविष्टि सफल उम्मीदवार की माँ डॉ. तजीन फातिमा से संबंधित थी और उक्त प्रविष्टि के अनुसार उसने 3 बजे 30.09.1990 पर एक लड़के को जन्म दिया: 43 ए. एम. उसने यह भी कहा कि उसने हस्ताक्षर किए थे और दिनांक 21.04.2015 (ए-37) का डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी किया था। क्वीन मैरी अस्पताल में जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण के बारे में एक सवाल के जवाब में, डी. डब्ल्यू.-3 ने कहा कि डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र विभाग प्रमुख द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रक्रिया के संबंध में [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए, डी. डब्ल्यू.-3 ने कहा कि डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध करने के लिए एक आवेदन किया जाना है

किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो इसके बाद इसे विभाग प्रमुख को भेजेंगे जो डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करेंगे। डी. डब्ल्यू.-3 ने यह पूछे जाने पर नकारात्मक जवाब दिया कि क्या उन्होंने डुप्लिकेट जन्म जारी करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा भेजे गए आवेदन को अदालत में लाया था।

प्रमाण पत्र। जबकि डी. डब्ल्यू.-3 ने कहा कि बच्चे के जन्म के बारे में नगर निगम को सूचित करना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी है, उन्होंने कहा कि वह आत्मविश्वास से यह कहने में असमर्थ हैं कि 30.09.1990 पर पैदा हुए बच्चों की जानकारी को भेजा गया था या नहीं।

नगर निगम।

16.1 . आपातकालीन ओ. टी. रजिस्टर वार्षिक संख्या 5097 के पृष्ठ संख्या 174 में प्रासंगिक प्रविष्टि का उल्लेख करते हुए और मासिक संख्या। 512 , डी. डब्ल्यू.-3 से पूछा गया था

क्या उस पर कोई अधिलेखन था और उसने हां में जवाब दिया। यह पूछे जाने पर कि क्या पृष्ठ संख्या में प्रविष्टियाँ की गई हैं।

225 एम. एल. आर. रजिस्टर की संख्या अन्य वार्षिक संख्याओं के पृष्ठों में की गई प्रविष्टियों से मेल खाती है। डी. डब्ल्यू.-3 ने जवाब दिया कि वे पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं।

अस्पताल में 30.09.1990 पर पैदा हुए, DW-3 ने कहा कि रजिस्टर इस बात की पुष्टि करता है कि 'संबंधित महिला' ने 30.09.1990 पर एक पुरुष बच्चे को जन्म दिया। हालाँकि, डी. डब्ल्यू.-3 ने 'नकारात्मक' में जवाब दिया जब उनसे पूछा गया कि क्या वह निश्चित रूप से कह सकती हैं कि उनके द्वारा लाए गए रजिस्टर के अनुसार 30.09.1990 पर पैदा हुआ पुरुष बच्चा सफल उम्मीदवार था। 16.3 . उच्च न्यायालय द्वारा डी. डब्ल्यू.-3 से एक सवाल पूछा गया था कि क्या ई. ओ. टी. और एम. एल. आर. रजिस्टर जो डी. डब्ल्यू.-3 अपने साथ लाए थे, वे थे

क्वीन मैरी अस्पताल या किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या विभाग प्रमुख द्वारा सत्यापित या हस्ताक्षरित और क्या उक्त में प्रविष्टियाँ

रजिस्टर्स या किसी भी पृष्ठ पर अस्पताल के किसी भी अधिकारी या विभाग प्रमुख द्वारा हस्ताक्षर या प्रति-हस्ताक्षर किए गए थे और क्या रजिस्टर्स पर हस्ताक्षर किए गए थे किसी भी अधिकारी या विभाग प्रमुख द्वारा प्रमाणित। डी. डब्ल्यू.-3 ने अपदस्थ किया कि दोनों रजिस्टरों को क्वीन मैरी अस्पताल या किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और सत्यापित नहीं किया गया था। डी. डब्ल्यू.-3 ने बयान दिया कि उसने न तो रजिस्टर में प्रासंगिक प्रविष्टियां की थीं और न ही उसने

उन पर हस्ताक्षर किए। यह पूछे जाने पर कि वह किस आधार पर कह सकती हैं कि रजिस्टर में प्रविष्टियां वास्तविक थीं, यह देखते हुए कि वे दोनों ही नहीं थीं। डी. डब्ल्यू.-3 ने कहा कि उसने कहा था कि वे अस्पताल की कार्य प्रक्रिया की समझ पर वास्तविक थे।

16.4 . डी. डब्ल्यू.-3 के बयानों के आलोक में उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने पर, उच्च न्यायालय ने कहा कि क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ के ई. ओ. टी. रजिस्टर का पृष्ठ संख्या 174 (उदा. आर-4 पेपर नं. ए-100/1-2) जिसमें 29.09.1990 पर रोगियों के प्रवेश की प्रविष्टियाँ थीं, जिसमें दिखाया गया था कि सफल उम्मीदवार, तज़ीन फ़ातिमा की माँ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एक पुरुष बच्चे को जन्म दिया था, विश्वसनीय नहीं था क्योंकि सामग्री को हटा दिया गया था और ई. ओ. टी. रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ पर "तज़ीन फ़ातिमा" के नाम पर अधिलेखन था। कि कॉलम 13 में की गई प्रविष्टियाँ और

कॉलम 16 में अन्य रोगियों से संबंधित सामग्री विवरण नहीं थे जैसा कि उसी पृष्ठ पर प्रविष्टियों में दिखाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा कि

ई. ओ. टी. रजिस्टर के प्रासंगिक पृष्ठ में प्रविष्टि एम. एल. आर. रजिस्टर (उदा.) के पृष्ठ संख्या 225 में प्रविष्टियों से मेल नहीं खाती थी। आर-5 पेपर नं. ए-101/1-2)। कि एम. एल. आर. रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ पर "श्रीमती तजीन फातिमा" के नाम पर अधिलेखन था और एम. एल. आर. रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ पर प्रवेश की तारीख और पंजीकरण संख्या नहीं थी। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि एम. एल. आर. में गर्भावस्था की अवधि 38 सप्ताह दर्ज की गई थी जबकि ई. ओ. टी. रजिस्टर में 32 सप्ताह की अवधि दर्ज की गई थी। कि ई. ओ. टी. रजिस्टर में प्रविष्टि एक "तजीन फातिमा" के नाम पर की गई थी, जबकि एम. एल. आर. रजिस्टर यह "श्रीमती तजीन फातिमा" के नाम पर बनाया गया था और यह एक अलग हाथ लेखन में था और अन्य विवरणों की तुलना में एक अलग कलम का उपयोग किया गया था।

16.5 . यह भी ध्यान दिया गया कि इस तथ्य को डी. डब्ल्यू.-3-डॉ. द्वारा स्वीकार किया गया था कि उपरोक्त रजिस्टरों में सामग्री को अंकबद्ध किया गया था और अधिलेखित किया गया था। उमा सिंह, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, क्वीन मैरी अस्पताल, (प्रसूति विभाग। & गायनो।) उसके मौखिक साक्ष्य दिनांकित 31.07.2019 में।

16.6 . डी. डब्ल्यू.-3 के बयान से-डॉ. उमा सिंह, यह ध्यान दिया जाता है कि उन्होंने कहा था कि उपरोक्त दो रजिस्टर न तो थे अस्पताल के किसी अधिकारी या डॉक्टर द्वारा प्रमाणित और न ही हस्ताक्षरित और 30.09.1990 पर जन्म से संबंधित प्रविष्टि पर उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। डी. डब्ल्यू.-3 ने आगे कहा था कि वह यह नहीं कह सकती कि उपरोक्त रजिस्टरों में उल्लिखित 30.09.1990 पर पैदा हुआ बच्चा यहाँ अपीलार्थी था या नहीं। डी. डब्ल्यू.-3 ने आगे कहा कि जन्मों से संबंधित जानकारी नगर निगम, लखनऊ को देना मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी थी और उन्हें यह जिम्मेदारी कभी नहीं दी गई थी और अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का कोई पद नहीं था। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-3 ने कहा कि उपर्युक्त रजिस्टरों को बनाए रखा गया था [2022] 12 एस. सी. आर.

एक क्लर्क द्वारा, और उपरोक्त रजिस्टरों में की गई कथित प्रविष्टियों को साबित करने के लिए सफल उम्मीदवार द्वारा संबंधित क्लर्क को पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-3-डॉ. उमा सिंह सफल उम्मीदवार की मां द्वारा डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिए गए आवेदन को उन्हें प्रस्तुत नहीं कर सकीं।

16.7 . इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डी. डब्ल्यू.-3, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 30.09.1990 पर सफल उम्मीदवार को जन्म दिया है, स्पष्ट रूप से यह नहीं कह सके कि

जिस पुरुष बच्चे को उसने जन्म दिया वह वास्तव में सफल उम्मीदवार था। इस प्रकार, प्रस्तुत किए जाने की मांग किए गए दस्तावेजों के बावजूद इस संबंध में कोई ठोस सबूत नहीं है, जो किसी भी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अधिलेखन, अंतर्वेशन आदि के कारण सही नहीं माना गया है और डी. डब्ल्यू.-3 स्पष्ट रूप से यह कहने में सक्षम नहीं है कि सफल उम्मीदवार उनके द्वारा 30.09.1990 पर दिया गया था। इसलिए, मेरे विचार में डी. डब्ल्यू.-3 का साक्ष्य किसी भी तरह से सफल उम्मीदवार के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

16.8 . डी. डब्ल्यू.-4, डॉ. विनीता दास को वह डॉक्टर बताया गया है जिसने 21.04.2015 पर डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी किया था। दस्तावेज़ का उल्लेख करना

सकारात्मक। दस्तावेज़ ए-37, डी. डब्ल्यू.-4 की सामग्री के बारे में, डी. डब्ल्यू.-4 ने कहा कि यह एक डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र था जिसे 21.04.2015 पर अस्पताल के स्त्री रोग विभाग द्वारा जारी किया गया था, जिसमें वह काम करती थीं। डी. डब्ल्यू.-4 ने आगे कहा कि पहले कॉलम में यह दर्ज किया गया था कि जन्म प्रमाण पत्र तजीन फातिमा के बच्चे से संबंधित था, बच्चे का लिंग और जाति यानी पुरुष और मुसलमान भी दर्ज किया गया था। दूसरे कॉलम में मां का नाम श्रीमती है। तज़ीन फ़ातिमा लिखी गई थी और तीसरे कॉलम में; पिता का नाम अर्थात मोहम्मद। आजम खान को लिखा गया था और चौथे कॉलम में दादा का नाम लिखा गया था। डी. डब्ल्यू.-4 ने अपदस्थ किया कि अगली पंक्ति में, डिलीवरी की तारीख और समय अर्थात, 3 पर 30.09.1990: 43 ए. एम. का उल्लेख किया गया। 16.9 . डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, डी. डब्ल्यू.-4 ने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी

अधीक्षक, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी विभाग के प्रमुख को एक पत्र भेजता है जो बदले में जारी करने के लिए एक चिकित्सा सलाहकार नियुक्त करता है।

डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र और उसके बाद क्लर्क डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र बनाता है जिस पर विभाग के प्रमुख को हस्ताक्षर करने होते हैं।

16.10 . यह पूछे जाने पर कि क्या पृष्ठ संख्या में प्रविष्टियाँ की गई हैं। 174 नियमावली संख्या 5097 उनके द्वारा बनाई गई थी, डी. डब्ल्यू.-4 ने जवाब दिया

नकारात्मक।

16.11 . ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों के आलोक में उपरोक्त कथनों की सराहना करने पर, यह ध्यान दिया जाता है कि डी. डब्ल्यू.-4 अपने क्रूस पर

लेकिन वह डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए नामित चिकित्सा सलाहकार का नाम नहीं बता सकी और न ही वह उससे संबंधित कोई दस्तावेज पेश कर सकी। 16.12 . उच्च न्यायालय ने कहा कि ई. ओ. टी. रजिस्टर में प्रविष्टियाँ (उदा. आर-4 पेपर नं. ए. 100/1-2) और एम. एल. आर. रजिस्टर में (उदा. आर-5 पेपर नं. ए 101/1-2) को सफल उम्मीदवार द्वारा वास्तविक साबित नहीं किया जा सका और वह यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह 30.09.1990 पर पैदा हुआ बच्चा था, जैसा कि उपरोक्त रजिस्टरों में दर्ज है।

16.13 . इसलिए उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दिया कि सफल उम्मीदवार यह साबित नहीं कर सका कि वह लखनऊ में 30.09.1990 पर पैदा हुआ था।

और 30.09.1990 पर कथित जन्म के संबंध में सफल उम्मीदवार (DW-5) की माँ द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर अन्य पुष्टिकारक साक्ष्यों के अभाव में भरोसा नहीं किया जा सका।

16.14 . आर. टी. आई. आवेदन दिनांक 31.08.2017 को आगे बढ़ाते हुए, जो सफल उम्मीदवार द्वारा (चुनाव के लंबित रहने के दौरान) दायर किया गया था।

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ की अधीक्षक, जिसमें उन्होंने कहा था कि सफल उम्मीदवार का जन्म 30.09.1990 पर हुआ था। दिनांकित 12.09.2017 पत्र के अवलोकन पर, यह देखा गया है कि उक्त पत्र की सामग्री की शुद्धता इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से खो गई थी कि E. O. T. रजिस्टर (Ex. आर-4 पेपर नं. ए. 100/1-2) और एम. एल. आर. रजिस्टर के संबंधित पृष्ठ पर (Ex. आर-5 पेपर नं. ए 101/1-2), सफल उम्मीदवार के नाम का कोई उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, सफल उम्मीदवार का जन्म (दिनांक 30.09.1990) उन प्रविष्टियों से संबंधित नहीं हो सकता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि डी. डब्ल्यू.-4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा था कि वह न तो सफल उम्मीदवार की डिलीवरी से संबंधित थी और न ही उसने ई. ओ. टी. रजिस्टर में प्रविष्टियां की थीं। इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि डी. डब्ल्यू.-4 के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होने के बावजूद, यह प्रमाणित करना उनकी ओर से गलत था कि सफल उम्मीदवार का जन्म किस स्थान पर हुआ था।

30.09.1990 क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.15 . उपरोक्त तर्क के आधार पर, उच्च न्यायालय सही था

डी. डब्ल्यू.-3-डॉ. उमा सिंह और डी. डब्ल्यू.-10 द्वारा दिए गए साक्ष्य से यह साबित नहीं हो सका कि उनका जन्म क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ में 30.09.1990 पर हुआ था।

16.16 . ई. ओ. टी. और एम. एल. आर. रजिस्टरों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वे अति-लेखन और तथ्यात्मक विसंगतियों से भरे हुए हैं।

अशुद्धियाँ। एक स्पष्ट विसंगति, जिसका सफल उम्मीदवार के मामले पर एक भौतिक असर होगा, वह यह है कि गर्भावस्था की अवधि

ई. ओ. टी. रजिस्टर में दर्ज 32 सप्ताह की अवधि की तुलना में एम. एल. आर. रजिस्टर में 38 सप्ताह दर्ज किए गए थे। यह भी ध्यान दिया जाता है कि एम. एल. आर. रजिस्टर में अकेले श्रीमती तजीन फातिमा का नाम इस तरह की प्रविष्टि से संबंधित बाकी विवरणों की तुलना में अलग लिखावट और अलग स्याही में लिखा गया है। यह इंगित करेगा कि सफल उम्मीदवार की माँ का नाम दर्ज किया गया था और उपलब्ध स्थान में समायोजित किया गया था, और विवरण के अनुरूप, जो रजिस्टर में किसी अन्य रोगी से संबंधित था।

16.17 . जबकि डी. डब्ल्यू.-3 ने बयान दिया है कि सफल उम्मीदवार द्वारा आवेदन किए जाने के बाद डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

16.18 . ई. ओ. टी. और एम. एल. आर. रजिस्टरों में सफल उम्मीदवार के जन्म से संबंधित प्रविष्टियों पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। विसंगतियों, अति-लेखन और तथ्यात्मक अशुद्धियों के कारण, मैं इसे नजरअंदाज करने में असमर्थ हूं, विशेष रूप से क्योंकि ऐसे दोनों रजिस्टरों को क्वीन मैरी अस्पताल या किंग जॉर्ज विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और सत्यापित नहीं किया गया था। डी. डब्ल्यू.-3 के स्वयं के प्रवेश द्वारा, एकमात्र आधार जिसके आधार पर वह कह रही थी कि रजिस्टरों में प्रासंगिक प्रविष्टियां वास्तविक थीं, अस्पताल की कार्य प्रक्रियाओं की उनकी समझ पर था। यह रजिस्टरों में की गई प्रविष्टियों की वास्तविकता के बारे में अधिक विश्वास को प्रेरित नहीं करता है, जो प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होते हैं

हेरफेर किया गया।

16.19 . इसके अलावा, लेबर रूम रजिस्टर से यह उल्लेख किया गया है कि डी. डब्ल्यू.-5 में भाग लेने वाले डॉक्टर-सफल उम्मीदवार की माँ

क्वीन मैरी अस्पताल के प्रो. (डॉ.) ए. हरीश और डॉ. उमा सिंह नहीं। डॉ. ए. हरीश से इस मामले में पूछताछ नहीं की गई है।

16.20 . इसलिए, मैं डी. डब्ल्यू.-4 की गवाही पर अधिक जोर देने के लिए इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने ई. ओ. टी. रजिस्टर में प्रविष्टियां नहीं की थीं। इसलिए, उनके बयान प्रेरक नहीं हैं। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर भी उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय की पुष्टि करता हूं।

v) पुनः: सफल लोगों की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट

उम्मीदवारः

17. उच्च न्यायालय ने ऑसिफिकेशन परीक्षण की रिपोर्ट को सफल उम्मीदवार की उम्र के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया डी. डब्ल्यू.-8, डॉ. सतबीर सिंह केन, रेडियोलॉजिस्ट, जिला अस्पताल, रामपुर द्वारा साबित नहीं किया जा सका, जो निर्धारित करने वाले मेडिकल बोर्ड का हिस्सा थे।

सफल उम्मीदवार की आयु 26 वर्ष होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय इस तथ्य पर आधारित किया कि डी. डब्ल्यू.-8 मूल प्रस्तुत नहीं कर सका।

चिकित्सा रिपोर्ट या उससे संबंधित अभिलेख। यह भी देखा गया कि हड्डी के अस्थीकरण परीक्षण पर हमेशा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए कि इसके परिणाम दो साल तक भिन्न हो सकते हैं।

परीक्षण किए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु से, मुकर्रब और अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2017) 2 एस. सी. सी. 210।

17.2 . उपरोक्त कथनों पर हड्डी के अस्थीकरण के साक्ष्य मूल्य से संबंधित कानून के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। परीक्षण। इस न्यायालय ने मुकर्रब (ऊपर) में घोषणा की है कि एक अस्थिकरण परीक्षण पर केवल उम्र के निर्णायक प्रमाण के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता है और उक्त परीक्षण किसी भी तरह से किसी व्यक्ति के जीवन के वर्षों की सही संख्या निर्धारित करने के लिए एक अचूक या सटीक परीक्षण नहीं है। आयु निर्धारित करने के लिए सामान्य नियम यह है कि यह दो साल से अधिक या कम हो सकता है और किसी व्यक्ति की जन्म तिथि [2022] 12 एस. सी. आर. के आधार पर निर्धारित की जानी है।

जिन्हें इस न्यायालय द्वारा विभिन्न अवसरों पर जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है, वास्तव में तत्काल मामले में उपलब्ध हैं, लेकिन उक्त दस्तावेजों में दर्ज जन्म तिथि अस्थिकरण परीक्षण के परिणाम के विपरीत है। भले ही मैं अस्थिकरण परीक्षण के परिणाम पर कुछ जोर देने के लिए इच्छुक रहा हो, लेकिन यदि अन्य दस्तावेज जो उम्र के प्रमाण के रूप में काम करेंगे, उपलब्ध नहीं थे, तो मैं तत्काल मामले में इसे स्वीकार करने में असमर्थ हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अन्य दस्तावेज जो उम्र के प्रमाण के रूप में काम करेंगे, उपलब्ध हैं और ऐसे दस्तावेजों में दर्ज जन्म तिथि अस्थिकरण परीक्षण के परिणाम के विपरीत है। इसलिए, मैं इस मुद्दे पर भी उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और निर्णय की पुष्टि करता हूं।

vi) पुनः: जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र जमा करते समय सफल उम्मीदवार की मां की घोषणाः

18. यह मुद्दा जी. आई. एस. की सामग्री के साक्ष्य मूल्य से संबंधित है। (समूह बीमा योजना) नामांकन प्रपत्र जो एक

सेवा पुस्तिका का हिस्सा (उदा. आर-11 पेपर नं. सफल उम्मीदवार की माँ का ए 95/1-34), जिस पर सफल उम्मीदवार द्वारा भरोसा किया जाता है। पेपर नं. उक्त सेवा पुस्तिका का ए 95/25 सफल उम्मीदवार की मां का जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र है, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्ज करता है कि उसने समूह बीमा योजना के तहत अपीलकर्ता-सफल उम्मीदवार और परिवार के दो अन्य सदस्यों को उनकी संबंधित आयु उपर्युक्त तिथि पर बताते हुए नामित किया था। एमओएचडी में।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

उक्त प्रपत्र में, सफल उम्मीदवार की आयु 26.04.2001 पर आठ वर्ष बताई गई है।

18.1 . उच्च न्यायालय ने कहा कि डी. डब्ल्यू.-1-डॉ. शैलेंद्र के. तिवारी, उच्च शिक्षा सहायक निदेशक, प्रयागराज, यू. पी.

सफल उम्मीदवार की माता की सेवा पुस्तिका (उदा. आर-11 ए 95/1-34) जिसमें जी. आई. एस. था। (समूह बीमा योजना) नामांकन प्रपत्र (उदा. आर-11 ए 95/25) जिस पर सफल उम्मीदवार की मां ने 26.04.2001 पर हस्ताक्षर किए थे। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सफल उम्मीदवार का जन्म वर्ष 1993 में हुआ था। 18.2 . उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि चुनाव याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से चुनाव याचिका के पैराग्राफ 12 (iii) में इस तर्क को उठाया था और फिर भी, सफल उम्मीदवार ने इस संबंध में कोई दावा नहीं किया ताकि जी. आई. एस. में दर्ज किए गए विवरण की व्याख्या की जा सके।

नामांकन प्रपत्र। 18.3 . जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र (उदा. आर-11 पेपर नं. ए 95/25) ने दिखाया कि सफल उम्मीदवार की आयु केवल आठ वर्ष थी

वर्ष 2001, जिसका अर्थ होगा कि उनका जन्म वर्ष 1993 में हुआ था। इसके अलावा, डी. डब्ल्यू.-5-तजीन फातिमा की ओर से निर्विवाद समय पर इस तरह के प्रवेश को इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण माना जाना चाहिए कि सफल उम्मीदवार का जन्म वर्ष 1993 में हुआ था और

उक्त प्रपत्र में उम्मीदवार की आयु और उसने उक्त जी. आई. एस. प्रपत्र पर विवाद नहीं किया था जो उसकी सेवा पुस्तिका का एक हिस्सा था। सफल उम्मीदवार, डी. डब्ल्यू.-5 की सेवा पुस्तिका, जिसमें से जी. आई. एस. प्रपत्र एक हिस्सा है, पर भरोसा करने के बाद अब उसी पर चुनिंदा रूप से, यानी केवल सेवा पुस्तिका/जी. आई. एस. में दर्ज किए गए विवरणों पर भरोसा नहीं कर सकता है। प्रपत्र जो पुनः दाखिल करते समय संभावित रूप से उसके मामले का समर्थन करेगा या उसमें किसी भी प्रविष्टि या विवरण को अप्रासंगिक के रूप में नजरअंदाज करेगा जिसका उसके मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। 18.4 . इस न्यायालय ने पी. सी. पुरुषोत्तमा रेड्डी बनाम मामले में निर्णय दिया है। एस. पेरुमल (1972) 1 एस. सी. सी. 9 ने कहा कि एक बार जब उक्त दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले पक्ष द्वारा किसी दस्तावेज़ को ठीक से स्वीकार कर लिया जाता है, तो उस दस्तावेज़ की सामग्री को भी साक्ष्य में स्वीकार किया जाता है और इस तरह से स्वीकार किए गए तथ्य को स्थापित करने के लिए इस तरह के स्वीकार पर भरोसा करने वाले पक्ष द्वारा आगे कोई सबूत नहीं देना होगा।

18.5 . उक्त जी. आई. एस. प्रपत्र को सफल उम्मीदवार के कहने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था और उसी की सामग्री साबित की गई थी।

डी. डब्ल्यू.-1-डॉ. शैलेंद्र के. तिवारी और डी. डब्ल्यू.-5 तजीन फातिमा द्वारा विवादित नहीं थे। इसलिए, सफल उम्मीदवार को अब उसी की सामग्री को चुनिंदा रूप से स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सफल उम्मीदवार द्वारा उक्त प्रवेश पत्र को वापस लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि उक्त दस्तावेज पर निर्भरता क्यों नहीं रखी जा सकी, जबकि सफल उम्मीदवार स्वयं उस पर भरोसा कर रहा था।

18.6 . इसलिए, मैं उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करता हूं कि जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र (उदा. आर-11 पेपर नं. A95/25) में आया

एक निर्विवाद समय पर अस्तित्व और सबूत का एक टुकड़ा है जो साबित करता है कि सफल उम्मीदवार का जन्म वर्ष 1993 में हुआ था।

vii) पुनः: आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंसः

19. यह मुद्दा पहचान के निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रभाव से संबंधित है, जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि निर्धारित की गई है। 30.09.1990 के रूप में अभिलिखित, अर्थात्, अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार के आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र की प्रति। उपरोक्त सूचीबद्ध दस्तावेजों पर यह तर्क देने के लिए मजबूत निर्भरता रखी गई है कि उसमें दर्ज जन्म तिथि 30.09.1990 है, जो कि क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा क्रमशः 21.04.2015 और 21.01.2015 पर जारी किए गए डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्रों में दिखाई देने वाली जन्म तिथि के अनुसार है।

19.1 . उच्च न्यायालय, सफल उम्मीदवार के आधार कार्ड (उदा. पी-2 पेपर नं. ए-66/1), ड्राइविंग लाइसेंस (उदा. पी-2 पेपर नं. ए-67/1) और मतदाता आईडी कार्ड (उदा. पी-2 पेपर नं. ए-68/1) ने अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त दस्तावेज तारीख का प्रमाण नहीं हैं सफल उम्मीदवार का जन्म। यह विचार था कि ड्राइविंग लाइसेंस में जन्म तिथि को बाद में सही किया गया था और आधार कार्ड दिनांक 07.03.2015 और मतदाता आईडी कार्ड दिनांक 18.07.2016 को नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दिनांक 21.01.2015 में उल्लिखित जन्म तिथि के आधार पर जारी किया गया था, जिसे अमान्य माना गया था। रिलायंस को एक फैसले पर रखा गया था

यह मानना कि आधार कार्ड पहचान का एक साधन है न कि जन्म तिथि का प्रमाण। अतः उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उपर्युक्त - दस्तावेज़ निर्णायक रूप से यह स्थापित नहीं कर सके कि सफल उम्मीदवार एम. ओ. एच. डी. है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

नामांकन पत्र दाखिल करने की तारीख को या विचाराधीन विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख को उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक थी।

19.2 . मैं उच्च न्यायालय के निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए इच्छुक हूं।

यह मुद्दा भी। यह इस तथ्य के आलोक में देखा जाता है कि आधार कार्ड 21.01.2015 दिनांकित डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर 07.03.2015 पर जारी किया गया था। यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि 21.01.2015 दिनांकित डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि को 30.09.1990 के रूप में स्थापित नहीं करता है और यह कि यह उन परिस्थितियों में जारी किया गया था जो अस्पताल के रिकॉर्ड में हेरफेर और अंतर्वेशन का संकेत देते हैं, मेरी राय है कि आधार कार्ड जो 07.03.2015 पर जारी किया गया था, उसका भी अब तक सफल होने में कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं होगा।

उम्मीदवारों की जन्म तिथि का संबंध है। इसके अलावा, इसमें सफल उम्मीदवार का ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र, जो क्लीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा क्रमशः 21.04.2015 और 21.01.2015 पर जारी किए गए डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों के आधार पर भी जारी किए गए थे, सफल होने के प्रमाण के रूप में काम नहीं करेंगे।

उम्मीदवार की जन्म तिथि, सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 30.09.1990 होने के प्रमाण के रूप में चर्चा के पूर्ववर्ती पैराग्राफ में टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए। 19.3 . यह देखा गया है कि ये सभी दस्तावेज 2015 के बाद सुरक्षित किए गए थे, जिस समय सफल उम्मीदवार ने सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया था

राजनीति में। इसलिए, मैं यह देखने के लिए इच्छुक हूं कि उक्त दस्तावेज केवल सफल उम्मीदवार के जन्म तिथि के बारे में झूठे दावों की पुष्टि करने के साधन के रूप में प्राप्त किए गए थे और इसलिए उन्हें साबित करने के उद्देश्य से पुष्टि करने वाले साक्ष्य के रूप में विचार करने के योग्य नहीं हैं।

सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि।

20. अब मैं उनकी ओर से उद्धृत निर्णयों पर चर्चा करूँगा।

अपीलकर्ताः

क) बृज मोहन सिंह बनाम प्रिया ब्रैट नारायण सिन्हा (ऊपर) में, पूरे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की जांच पर, यह

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उसमें निर्वाचन याचिकाकर्ता यह साबित करने में सक्षम नहीं था कि उसमें सफल उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम थी।

अपना नामांकन दाखिल करने की तारीख को आयु जबकि अपीलार्थी स्वयं भी यह दिखाने में सक्षम नहीं था कि उस तारीख को उसकी आयु कम से कम पच्चीस वर्ष थी। यह देखा गया कि उम्र साबित करने का बोझ [2022] 12 एस. सी. आर. पर था।

चुनाव याचिकाकर्ता और जब उक्त बोझ का निर्वहन नहीं किया गया था, तो चुनाव याचिका विफल होनी चाहिए।

उपरोक्त उक्ति यहाँ अपीलार्थी के लिए कोई सहायता नहीं है क्योंकि तथ्यात्मक मैट्रिक्स के संबंध में स्थिति भिन्न है। हालांकि, यहाँ चुनाव याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सफल उम्मीदवार

वह पच्चीस वर्ष से कम आयु का था और इसलिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य था और चुनाव याचिकाकर्ता पर उक्त तथ्य को साबित करने का बोझ था, लेकिन सफल उम्मीदवार ने एक और तथ्य को साबित करने के लिए खुद को लिया, अर्थात् कि वह 30.09.1990 पर पैदा हुआ था न कि 01.01.1993 पर और इसलिए, उसकी आयु पच्चीस वर्ष से अधिक थी। इस प्रकार, अपने-अपने मामलों को साबित करने का भार संबंधित पक्षों पर था। इस मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य को देखने पर, मैं पाता हूं कि इसमें अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि हमारे द्वारा की गई चर्चा और निष्कर्षों को देखते हुए भारी मात्रा में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य देने के बावजूद वह आईडी1 पर पैदा हुआ था। दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्य ने, जब अपीलार्थी द्वारा दिए गए प्रासंगिक स्वीकारों के साथ जोड़ा जाता है, तो मेरे विचार में, प्रत्यर्थी को उच्च न्यायालय के समक्ष अपना मामला साबित करने में सक्षम बनाया है। इस प्रकार, मेरे विचार में उच्च न्यायालय का तर्क और निष्कर्ष तत्काल अभिलेख में दर्ज साक्ष्य की सराहना पर न्यायसंगत और उचित है।

मामला।

ख) बिराद मल सिंघवी सिंह बनाम आनंद पुरोहित (उपरोक्त) में, दो उम्मीदवारों, अर्थात्, हुक्मी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की आयु के संबंध में प्रश्न विचाराधीन था। इसमें चुनाव याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-5 को नए सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर का प्राचार्य होने के नाते, जांच की थी।

1984 और उप निदेशक (परीक्षा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, क्रमशः। उन्होंने विद्वान का रजिस्टर तैयार किया (उदा. - पी8) और माध्यमिक बोर्ड के प्रमाणपत्र का प्रतिरूपण

शिक्षा (उदा. - पी 9) क्रमशः हुक्मी चंद का, और माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 1974 का सारणीकरण अभिलेख, (पूर्व। - पी10)। में

पूर्व-पी9 और पी10 में दस्तावेज़, हुकमी चंद की जन्म तिथि 13.06.1956 के रूप में दर्ज की गई थी। इसी तरह, जहां तक सूरज प्रकाश जोशी का संबंध है, एक्स। - पी11 के 1977 की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा का सारणीकरण अभिलेख होने के कारण उनकी जन्म तिथि 11.03.1959 के रूप में इंगित की गई थी और परीक्षा प्रपत्र में उम्मीदवार द्वारा जो उल्लेख किया गया था, उसके आधार पर प्रमाण पत्रों और उसी जन्म तिथि को दर्ज करने वाला सारणीकरण प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था।

एम. एच. डी. अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

मेरे विचार में, उपरोक्त मामले की कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

जैसा कि यहाँ अपीलार्थी का संबंध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान मामले में भी मुद्दा अपीलार्थी की जन्म तिथि के संबंध में है सफल उम्मीदवार। जबकि तत्काल मामले में चुनाव याचिकाकर्ता ने कहा कि यह 01.01.1993 है और उसने दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है और उसी के समर्थन में मौखिक साक्ष्य दिया है, अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार ने कहा है कि उसकी जन्म तिथि 30.09.1990 है और इस तथ्य के समर्थन में, मौखिक और दस्तावेजी दोनों साक्ष्य देने की कोशिश की है। अभिलेख पर मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करते हुए, मैंने पाया कि अपीलार्थी अपने मामले को साबित करने में विफल रहा है कि वह 30.09.1990 पर पैदा हुआ था। दूसरी ओर, मौखिक और दस्तावेजी प्रवेश के रूप में अभिलेख पर साक्ष्य जब अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और

प्रतिवादी चुनाव याचिकाकर्ता के मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के साथ यहाँ सराहना की गई है जो इंगित करता है कि अपीलार्थी साबित करने में विफल रहा है

कि उनका जन्म 30.09.1990 पर हुआ था जबकि चुनाव याचिकाकर्ता के पास है

साबित किया

कि यहाँ अपीलार्थी का जन्म 01.01.1993 पर हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि अपीलार्थी ने यह दिखाने के लिए सबूत नहीं दिया है कि जन्म प्रमाण पत्र किस आधार पर क्वीन मैरी अस्पताल द्वारा जारी किया गया था जिसमें

अपीलार्थी का जन्म हुआ था, साथ ही वह आधार जिस पर अन्य जन्म प्रमाण पत्र

नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि ई. ओ. टी. रजिस्टर और एम. एल. आर. में की गई प्रविष्टियों का अस्पताल द्वारा नगर निगम को भेजी गई जन्म सूची के अभाव में कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है। निगम जो उसके द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में जन्म पंजीकृत करने का आधार है। जब तक वह अस्पताल जिसमें बच्चे का जन्म हुआ था, नगर निगम को जन्म सूची नहीं भेजता है, तब तक उसके द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का कोई संभावित मूल्य नहीं होगा। क्वीन मैरी अस्पताल और नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी किए गए डुप्लिकेट जन्म प्रमाण पत्र तत्काल मामले में किसी भी आधार पर हैं। ऊपर चर्चा किए गए वृत्तचित्र और मौखिक साक्ष्य के अवलोकन पर भी मैं यही अनुमान लगाता हूं। इसलिए, इसमें अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा है कि उसका जन्म 30.09.1990 पर हुआ था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है

यह साबित करने के लिए कि अपीलार्थी का जन्म 01.01.1993 पर हुआ था, एक निर्विवाद समय बिंदु का प्रासंगिक साक्ष्य। इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है पूर्व से। पी-1 से पी-4 जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में दिखाई गई थी। हालांकि, भारी मात्रा में दस्तावेज थे

अपीलार्थी द्वारा उसी का खंडन करने के लिए प्रस्तुत किया गया, तथ्य यह है कि पूर्व आर-11 अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार की माँ, राजनीति विज्ञान की व्याख्याता तजीन फातिमा की सेवा पुस्तिका की

प्रति होने के कारण यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इसमें अपीलार्थी की आयु [2022] 12 एस. सी. आर. में आठ वर्ष थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वर्ष 2001 में जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र के अनुसार उनके द्वारा 26.04.2001 पर अपने हस्ताक्षर के तहत प्रस्तुत किया गया। सेवा में की गई यह महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति

इस पुस्तक में कहा गया है कि अपीलार्थी की आयु 2001 में आठ वर्ष थी, न तो इसका स्पष्टीकरण दिया गया है और न ही इसका खंडन करने या विरोध करने का कोई प्रयास किया गया है।

उपरोक्त मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स लागू नहीं होगा-ए

जिस मामले में प्रतिवादी ने यह साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं कि अपीलार्थी का जन्म 01.01.1993 पर हुआ था और उक्त तथ्य प्रासंगिक मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करके साबित किया गया है। जब अपीलार्थी द्वारा यहाँ स्वीकार किए जाने के आलोक में उक्त साक्ष्य की सराहना की जाती है, तो मैं पाता हूँ कि अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि उसका जन्म 30.09.1990 पर हुआ था। इन परिस्थितियों में, मेरी राय है कि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य

प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता का ठोस और संभावित मूल्य है। यह है।

क्योंकि उक्त दस्तावेज अपीलार्थी के स्वीकृत दस्तावेजों के साथ-साथ अपीलार्थी द्वारा स्वयं किए गए प्रवेश के अनुरूप हैं, इस प्रभाव के लिए कि केवल वर्ष 2015 में ही उसे पता चला कि उसके अभिलेखों में उल्लिखित जन्म तिथि 01.01.1993 दिखाई गई थी और वह रामपुर में पैदा हुआ था और जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर था

नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी किए गए, उन्होंने पासपोर्ट और जारी किए गए वीजा पर विदेश यात्रा करने सहित अपने मामलों को जारी रखा।

नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र से पता चलता है कि उनका जन्म 01.01.1993 पर हुआ था।

इसके अलावा, चुनाव याचिका में कार्यवाही शुरू होने और अपनी जन्म तिथि को चुनौती दिए जाने के बाद ही अपीलार्थी ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि वह आईडी1 पर पैदा हुआ था और इसलिए, अपने शैक्षिक रिकॉर्ड, पासपोर्ट और पहचान के अन्य दस्तावेजों को "सुधार" करने के लिए कदम उठाए ताकि वे चुनाव याचिका के खिलाफ अपने रुख के अनुरूप हों। अपीलार्थी से संबंधित दस्तावेजों में किए गए बाद के परिवर्तनों का मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि अपीलार्थी के अनुसार भी यह निम्नलिखित दस्तावेजों के आधार पर था, अर्थात् उसकी दसवीं कक्षा की मार्कशीट, उसका पासपोर्ट और वीजा कि अपीलार्थी यहाँ अपनी गतिविधियों को जारी रख रहा था और वर्ष 2015 तक इस जन्म तिथि के साथ खुद को 01.01.1993 के रूप में चिन्हित किया। इसलिए, मुझे विश्वास है कि यह केवल चुनाव लड़ने के उद्देश्य से था

विधानसभा चुनाव जो वर्ष 2017 में हुए थे और इस तथ्य से अवगत थे कि वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था

कम उम्र होने के कारण, उन्होंने अपनी जन्म तिथि को एम. ओ. एच. डी. में बदलने के लिए कदम उठाए।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]

30.09.1990 और नगर निगम, लखनऊ और क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ से "डुप्लिकेट" जन्म प्रमाण पत्र लेने का प्रयास किया। तब तक, यहाँ अपीलार्थी इस तथ्य से अवगत था कि उसकी जन्म तिथि

उनके शैक्षिक और अन्य अभिलेखों में 01.01.1993 था और उन्होंने उन दस्तावेजों का उपयोग प्रासंगिक उद्देश्यों के लिए किया जिनके लिए उक्त दस्तावेजों का उपयोग आवश्यक था। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूर्व में दस्तावेज़ तक। पी-3 पेपर नं. ए-80/1 रद्द कर दिया गया था, अपीलार्थी के पास जन्म की दो तिथियां दिखाने वाले दस्तावेज थे, एक, 01.01.1993 रामपुर में पैदा हुआ था और दूसरा 30.09.1990 में पैदा हुआ था।

लखनऊ। इन परिस्थितियों में, मेरी राय है कि चूंकि जिस आधार पर नगर निगम, लखनऊ और क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उसे मान्य और संभावित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है, इसलिए अपीलार्थी का मामला बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

इससे, इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता को विफल होना चाहिए। मैं ऐसा इस कारण से कहता हूं कि अपीलार्थी ने यहाँ प्रस्तुत किया है।

यह दिखाने के लिए सामग्री कि वर्ष 2001 में उनकी आयु आठ वर्ष थी (जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र) जो चुनाव याचिकाकर्ता के मामले के अनुरूप है, जिसने अपीलार्थी-सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि 01.01.1993 के रूप में इंगित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और इसलिए, वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं था।

ग) नरेंद्र सिंह (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय का निर्णय इसमें अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं है क्योंकि अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है।

इसमें अपीलार्थी के पक्ष में निष्कर्ष निकालना।

घ) जोशना गौड़ा (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय भी विशिष्ट है। उक्त मामले में, विवाद उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 के तहत सरपंच के पद के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता के संबंध में था, इसमें पहले प्रतिवादी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उसमें अपीलकर्ता चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था क्योंकि वह 21 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर चुका था। इसलिए, प्रत्यर्थी के चुनाव को अलग करने की मांग करने के लिए चुनाव याचिका दायर की गई थी। उसमें अपीलार्थी ने चुनाव याचिका का विरोध किया। उक्त मामले में, सवाल यह था कि क्या उसमें अपीलार्थी का जन्म 07.07.1985 पर हुआ था न कि

20.06.1986 जैसा कि पहले प्रत्यर्थी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवाद किया गया था। उसमें सफल उम्मीदवार ने Exbs प्रस्तुत किया था। A से H इस तथ्य के समर्थन में कि वह 07.07.1985 पर पैदा हुई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि [2022] 12 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

Exbs. ए और एच क्रमशः वर्ष 2007 और 2008 की मतदाता सूची है जो चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने के समय बाद में तैयार की गई थी और वे वर्ष 2007 की मतदाता सूची की जन्म तिथि नहीं दर्शाते हैं।

उसमें अपीलार्थी। Ex. डी कुंडली होने पर सही मायने में भरोसा नहीं किया गया था। Ex. ई जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 07.07.1985 के रूप में दिखाई गई है, लेकिन ऐसी प्रविष्टि अपीलार्थी द्वारा उसमें किए गए आवेदन के अनुसार की गई थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने उक्त दस्तावेज़ पर भी कोई भरोसा करने से इनकार कर दिया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने उन दस्तावेजों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था और अपीलार्थी-उसमें सफल उम्मीदवार अपनी जन्म तिथि 07.07.1985 साबित करने में विफल रही थी। लेकिन इससे स्वतः ही यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह दावा कि उसमें अपीलार्थी की वास्तविक जन्म तिथि 20.06.1986 है, साबित हो गया था। इस न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि इस तथ्य को साबित करने का भार कि उसमें अपीलार्थी का जन्म 20.06.1986 पर हुआ था, पूरी तरह से चुनाव याचिकाकर्ता पर निर्भर था। उस संबंध में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 पर निर्भरता रखी गई थी। इसे आगे रॉबिन्स बनाम नेशनल पर निर्भरता रखते हुए देखा गया।

ट्रस्ट कंपनी 1927 ए. सी. 515 जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

यह दावा करने के लिए कि एक जीवित व्यक्ति पैदा हुआ था, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दावा करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर नहीं है,

क्योंकि यह स्वयं स्पष्ट है कि उनका जन्म हुआ था। लेकिन यह दावा करने के लिए कि वह एक निश्चित तारीख को पैदा हुआ था, यदि तारीख भौतिक है, तो सबूत की आवश्यकता होती है; दावा करने वाले व्यक्ति पर जिम्मेदारी होती है।

इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि चूंकि उसमें पहला प्रत्यर्थी उस पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा था, इसलिए चुनाव याचिका को उस मामले में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पर विफल होना पड़ा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें अपीलार्थी की आयु के संबंध में और विशेष रूप से उच्च प्राथमिक विद्यालय में उसके प्रवेश के संबंध में विसंगति थी और इसलिए, अपील को अनुमति दी गई और चुनाव याचिका को खारिज कर दिया गया। उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है।

जैसा कि वर्तमान मामले में अपीलार्थी की ओर से सेवा पुस्तिका-(पूर्व) का हिस्सा होने के कारण नामांकन प्रपत्र के माध्यम से एक स्पष्ट और स्पष्ट प्रवेश है। आर-11 पेपर नं. ए-95/1-34 और प्रतिवादी/चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़। इन दस्तावेजों से संबंधित

यहाँ अपीलार्थी और यहाँ अपीलार्थी ने उन दस्तावेजों पर तब तक कार्रवाई की थी जब तक कि वर्ष 2015 में उनकी जन्म तिथि को 30.09.1990 में बदल नहीं दिया गया था। इस प्रकार, जोशना गौड़ा में निर्णय अपीलार्थी के लिए कोई सहायक नहीं है।

अब्दुल्ला आजम खान बनाम। नवाब काज़िम अली खान [बी. वी. नागरत्न, जे.]निष्कर्षों की संख्याः

अभिलेख पर प्रचुर मात्रा में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान किए जाने के बावजूद अपीलार्थी के रूप में नामांकन दाखिल करने के समय उक्त तथ्य को साबित करने में असमर्थ रहा है। वास्तव में, डी. डब्ल्यू.-5 द्वारा प्रस्तुत जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र निर्विवाद समय और जो उसकी सेवा पुस्तिका का हिस्सा है जिसे अपीलार्थी के कहने पर साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है-सफल उम्मीदवार अपीलार्थी के मामले के खिलाफ जाता है। जी. आई. एस. नामांकन प्रपत्र संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट और वीजा के अनुरूप है जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि को 01.01.1993 के रूप में दिखाया गया है जो चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा उसके मामले के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है। नया जारी करना

चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान जन्म तिथि को 30.09.1990 के रूप में दिखाने वाले पासपोर्ट का कोई परिणाम नहीं है और

इसमें अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं दी जा सकती है।

इसी तरह, दसवीं कक्षा की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा

प्रमाण पत्र और बारहवीं कक्षा का माध्यमिक विद्यालय परीक्षा प्रमाण पत्र जो अपीलार्थी की जन्म तिथि दर्शाता है

क्योंकि 01.01.1993 आज तक भी, प्रतिवादी-चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पहले के पासपोर्ट और वीजा दस्तावेजों के अनुरूप हैं। वास्तव में, अपीलार्थी

सफल उम्मीदवार ने शैक्षिक पर भरोसा किया था

उनके पहले के पासपोर्ट और वीजा को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उनकी जन्म तिथि 01.01.1993 और उनके जन्म स्थान को रामपुर के रूप में दर्शाने वाले प्रमाण पत्र।

28.06.2012 नगर पालिका परिषद, रामपुर के कार्यालय द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र को 08.05.2015 पर शॉर्ट सर्किट के कारण जला दिया गया था, जिससे पता चलता है कि उक्त जन्म प्रमाण पत्र, जिसमें सफल उम्मीदवार की जन्म तिथि दर्ज की गई थी क्योंकि 01.01.1993 को नष्ट किया गया था और बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में रद्द कर दिया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ग)

इसके अलावा, ई. ओ. टी. और एम. एल. आर. रजिस्टरों के अवलोकन पर, मैं मान लीजिए कि वे विसंगतियों, अति-लेखन और तथ्यात्मक अशुद्धियों से भरे हुए हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आई.

इसलिए, मेरा विचार है कि नगर निगम, लखनऊ द्वारा जारी दिनांकित 21.01.2015 जन्म प्रमाण पत्र पर कोई वजन नहीं रखा जा सकता है, जिसे अस्पताल द्वारा बनाए गए जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि के बल पर जारी किया गया है, जो कि 30.09.1990 पर अपीलार्थी के जन्म का संकेत देने वाली जन्म सूची के उत्पादन के अभाव में प्रामाणिक नहीं है, और हेरफेर और हेरफेर द्वारा बनाया गया है।

अस्पताल के अभिलेखों में अंतर्वेशन।

मैं परिणाम पर कोई भार डालने के लिए इच्छुक नहीं हूँ

(घ)

अन्य दस्तावेजों के रूप में अस्थिकरण परीक्षण जैसे कि

मैट्रिक प्रमाण पत्र, नगर पालिका परिषद, रामपुर द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साबित करते हैं। कि
ऐसे दस्तावेजों में दर्ज आयु और जन्म तिथि

ऑसिफिकेशन परीक्षण के परिणाम के विपरीत है।

यह भी माना जाता है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और

ई)

क्वीन मैरी अस्पताल, लखनऊ और नगर निगम, लखनऊ द्वारा क्रमशः 21.04.2015 और 21.01.2015 पर जारी किया गया, सफल उम्मीदवार का प्रमाण नहीं हैं। जन्म तिथि 30.09.1990 है।

सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम

सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार बनाम सुशील कुमार के पैरा 79 का उल्लेख करना उचित होगा।

श्री कुमार (ऊपर) जो इस प्रकार हैः

" 79. चुनाव न्यायाधिकरण को इस प्रकार के मुद्दे का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 173 (बी) में अयोग्यता का प्रावधान है। किसी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जा सकती है

वह एक ऐसे पद पर आसीन है जिसके लिए वह संविधान के तहत अयोग्य है।

अतः न्यायालय का प्रयास यह देखना चाहिए कि अयोग्य व्यक्ति को पद पर नहीं रहना चाहिए लेकिन पद पर नहीं होना चाहिए।

उसी समय इसके लिए योग्य व्यक्ति को पद से हटा दें। न्यायालय को मामले में सावधानीपूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इस प्रकार, यह देखते हुए कि

कमजोर आधार लेकिन यह भी देखना कर्तव्य होगा कि संवैधानिक जनादेश पूरा हुआ है। अब्दुल्ला आजम खान बनाम।

उपरोक्त चर्चा में, जिसे अभिलेख पर सभी सामग्री पर विचार करने के बाद किया गया है, मैं पाता हूं कि अपीलार्थी का नामांकन सफल उम्मीदवार था। इस संबंध में उच्च न्यायालय के निष्कर्ष हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अनिवार्य रूप से लागू होता है, अपील खारिज कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए यहां अपीलकर्ता का चुनावआर निर्वाचन क्षेत्र, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित है।

इस निर्णय की प्रति चुनाव आयुक्त को भेजी जाए। अपने-अपने खर्च वहन करने के लिए।

अवमानना की अपील

बोस

रीतम भारती, एलसीआरए)